(ISSN 2350-1456)

EXPRESSION

An International Journal of Social Sciences

(A Blind Peer Reviewed Refereed Indexed Half Yearly Journal)

Jan 2021 Volume – 07 Issue - 01

MODERN COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES GZB

Website : www.modemcollege.org, E-mail : journal.expression@gmail.com

EXPRESSION

An International Journal of Social Sciences

(A Blind Peer Reviewed Refereed Indexed Half Yearly Journal)

ISSN 2350-1456

Jan 2021 Volume – 07 Issue - 01

Chief Patron

Mr. Vineet Goel

Secretary,

Modern College, Mohan Nagar, Ghaziabad

Chief Editor

Dr. Nisha Singh

Principal,

Modern College, Mohan Nagar, Ghaziabad

Chief Advisor

Prof. Jitendra K Sharma

Faculty of Commerce & Management Studies Maharashi Dayanand University GGDSD-PG Research Center, Palwal

Address

Expression-An International Journal of Social Sciences

Modern College of Professional Studies,

431, Anand Industrial Estate, Mohan Nagar, Ghaziabad,

Pin Code: 201007

Phone: 0120-4900197, 9711149573

Email: Journal.expression@gmail.com | Website: http://journal.moderncollege.org

EXPRESSION - An International Journal of Social Sciences

(A Blind Peer Reviewed Refereed Indexed Half Yearly Journal)

ISSN 2350-1456

Managing Editor: Dr. Kiran Joshi

Editors: Dr. Subodh Bala Gupta, Dr. Dhiraj Singh, Ms. Monika Bansal

ADVISORY BOARD

Prof. Mahesh Joshi,
RMIT University, Australia,

Prof. Raj Singh,
University of Riverside, USA,

Prof Li Shengxiao,
Shaoxing University, China,

Professor Awadhesh Kumar Tiwari,
Department Of Commerce, D D U Gorakhpur University, Gorakhpur, 9415339988, professorakt@gmail.com

Prof. (Dr.) S.S.Modi,
President, Inspira Research Association (IRA), 09829321067/ 9828571010, profdrssmodi@gmail.com

Dr. Pradeep Kumar,
Assistant Professor, Delhi University, 9599835583, pks.gzb@gmail.com

Dr. Umesh Dangarwala,
Head, Dept. of Commerce and Business Management, The M.S. University of Baroda Vadodara, 9824019199, urdangarwala@gmail.com

Prof. Jayanta Kumar Parida,
Former Head & Dean, Faculty of Commerce & Management Studies, Utkal University, Bhubaneswar-751004, Odisha, 9437229465, jayantakp123@gmail.com

Prof Kulwant Singh Pathania,
Faculty of Commerce and Management Studies Himanchal Pradesh University Shimla 171005, 9418359205, pathania_ks@yahoo.com

Prof. Deepti Bhargava,
Principal, Shrinathji Institute of Biotechnology, and Management, Nathdwara, Rajasthan, 9829292624, deepti_ysb1@rediffmail.com

EDITORIAL COMMITTEE

Prof. (Dr.) Parimal H. Vyas,
Vice Chancellor [Acting] & Pro-Vice-Chancellor, Maharaja Sayajirao University of Baroda, 9825237942, parimalvyas17@gmail.com

Dr. Anurag Deep,
Associate Professor, Indian Law Institute (New Delhi) 9654629241, anuragdeeplaw1@gmail.com

Dr.Aruna Sharma,
Associate Prof., Ginni Devi Girls (PG) College Modinagar, Ghaziabad, 9910371171, arunasharma_22@rediffmail.com

Dr.Anurag Agnihotri,
College of Vocational Studies University of Delhi New Delhi, dragnihotricvs@gmail.com

Dr. Vinod Kumar Sharma,
Associate Prof. RBS College, Agra, 9412589195 kumarvinod1959@yahoo.com

Dr. Suniti Chandiok,
Asst Prof, Department of Management, BCIPS GGSIP University Dwarka, New Delhi, 09868512849 suniti_K22@rediffmail.com

Dr. Rajnish Kumar Singh,
Asst Prof. & Head Department of Education J.R.Handicapped University Chitrakoot (UP), 9045757531, 9456818622, singh.rajnish@yahoo.com

REFEREED BOARD

Prof. Ravi Sen,
Texas A and M University USA,

Prof. Jung Ha Kim,
University of South Korea,

Prof. (Dr.) Pratapsinh Chauhan,
Dean, Professor and Head, Vice Chancellor, Shree Govind Guru University, Godhara (Gujarat) 9099939409, prof.pratapsinh@gmail.com

Prof. Keshav Sharma,
The Business School, University of Jammu, Jammu, 9469211211, keshavju@gmail.com, keshavju@rediffmail.com

Prof. Arvind Kumar,
Head, Department of Commerce University of Lucknow, 9415028817, arvindk.lu51@gmail.com

Prof. Atul Joshi,
Department of Commerce, Kumaun University D.S.B. Campus Nainital, 9412327702, joshidr.atul@yahoo.in

Prof. J.K. Jain,
Chairman Board of Studies Chief Editor, Research Journal Madhya Bharti Dr. Harisingh Gour University (A Central University) Sagar-MP, 9425436471, dr.jinendrakumarjain@gmail.com

Prof. G.P. Prasain,
Department of Commerce, Manipur University, Canchipur, Imphal-795003, Manipur, 9612158167, gpprasain@yahoo.co.in

Dr.Vandana Goswami,
Associate Prof, Faculty of Education Banasthali University, Rajasthan, 9414642659, tovandana2020@yahoo.com

Prof (Dr.) Furqan Qamar,
Professor, Centre for management Studies, Jamia Millia Islamia. Jamia Nagar, New Delhi, 26985519, Qamar.pc@gmail.com

Guidelines for Contributors

Submission of Manuscript: Manuscript should be in English/Hindi only on one side of good quality paper, with attachment to Editor journal.expression@gmail.com. The manuscript must have neither be published nor be adequate margin on all four sides. It must be complete in all respects such as abstract, illustrations, appendices etc.

The submission must be word-processed and in English Times New Roman or in Hindi used Kruti Dev 010

Preparation of Manuscript: Manuscript should be presented in as concise a form as possible. Pages should be numbered consecutively and arranged in following order.

Title: the title should to brief nor unnecessarily long. It should reflect the content of the paper so as to derive the maximum advantage in indexing.

Abstract: The abstract, usually not exceeding 200 words, should indicate the scope and significant content of the paper, highlighting the principal findings and conclusion. It should be in such a form that abstracting can use it without modification.

Keywords- On the basis of that your paper can be traced. (At least 5)

Introduction: Long and elaborate introduction should be avoided. It should be brief and state the exact scope of periodicals can use it without modification. the study in relation to the present status of knowledge in the field.

Main Body of the Paper – It should include following points:

I. Research Question/ Research Problem & Research Objectives.

II. Review of the related literatures(If needed)

III. Hypothesis of the research (If needed)

IV. Research Design (including Methodology, Population Sample, Sampling Techniques and Tools if used in study)

V. Findings/Conclusion

Figure: Figures should be numbered in order of mention in the text. Each figure should have a descriptive name.

Mathematical Expression: Wherever possible, mathematical expressions should be typewritten, subscripts and superscripts clearly shown. It is helpful to identify ambiguous symbols in the when they first occur. Equations must be displayed exactly as they should appear in print and numbered in parentheses placed at the right margin.

Tables: Tables should have short descriptive caption and numbered consecutively.

References: References must be prepared in proper format.

Plagiarism Policy: As per the UGC norms and standards

Chief Patron
Mr. Vineet Goel
Secretary,
Modern College, Mohan Nagar, Ghaziabad

Chief Editor
Dr. Nisha Singh
Principal,
Modern College, Mohan Nagar, Ghaziabad

Chief Advisor
Prof. Jitendra K Sharma
Faculty of Commerce & Management Studies
Maharashi Dayanand University GGDSD-PG Research Center, Palwal

From The Desk of Chief Editor

Dear Readers,

I am delighted to celebrate the launch of January 2021 issues of Journal-Expression an International Journal of Social Sciences (A Blind Peer Reviewed Refereed Indexed Half Yearly Journal) indexed in IJIFactor Indexing, Scientific Journal Impact factor (SJIFactor). It provides an important forum to address critical issues in the field, exchange new ideas and disseminate the latest developments in quality research.

I am very aware of the responsibilities that the editor's role entails, and I approach my new role with both excitement and some trepidation. It continues to gain appreciation and accolade as it provides a platform that stimulates and guides the intellectual guest of scholar. Expression is a Blind Peer Reviewed Refereed Indexed Half Yearly Journal that brings to the reader's high quality research. However, these weaknesses can be managed by an effective and active editorial office, and I believe they are outweighed by the benefits. There is strong consensus that accepted articles are often improved by peer review after referees' comments and criticisms are dealt with; this explicit appraisal process also helps to engender trust of the reader.

We would like to express our gratitude to our valued contributors for their scholarly contributions to the journal. Appreciations is due to the editorial advisory board, the panel of referees. The contributors of our team members are highly appreciated. On the behalf of Expression's Editorial team, I would like to extend a warm welcome and heartily thanks to our authors, advisors, editors and reviewers, all of whom have volunteered to contribute to the journal. Lastly I would like to thank all our submitting authors, who have toiled in the production of their work.

Dr. Nisha Singh

Principal
Modern College of Professional Studies, Mohan Nagar, Ghaziabad.
(Affiliated to CCS University, Meerut, Uttar Pradesh)

About Journal

Founded in 2003, Modern College of Professional Studies, Ghaziabad has already established a reputation as a medium to expand one's knowledge & enhance skills to achieve success.

The strength lies in the strong academic faculty, focus on research and collaboration with industry The publication of first International Journal of MCPS "EXPRESSION - An International Journal of Social Sciences" (A Blind Peer Reviewed Refereed Indexed Half Yearly Journal) proved to be a milestone in achieving academic expertise. Now, we are bringing the second issue of the journal.

The Volume-07, Issue-01 of "EXPRESSION - An International Journal of Social Sciences" covers finest peer-reviewed research in all fields of management, IT, Education, Commerce, Law and Social Science and taking contemporary issues and latest trends in the global village.

It contains diverse collection of original articles and research work of researchers, academicians and scholars.

Through this journal, we would like to share globally our experiences and learning with other education assessors or evaluators.

The basic objective is to provide opportunities for all those interested in learning more about in the field of Social Sciences.

Index

1. Indian Education System in The Time "Corona-Pandemic" — 1
—Dr. Arvind Kumar Kushwaha

2. Over Population, A Problem : Sustainability, A Way Out — 6
—Dr. Ananya Barua and Thokchom Melody Devi

3. A Study of Daily Newspapers (Hindi And English) To Find The Degree of Importance Given to Two Different Popular Events That Took Place on The Same Day I.E 6th December — 14
—Saheb Kumar

4. Rights of Children of Sex Trade in India : A Critical Study — 19
—Namrta Rastogi

5. Literature, Society and Global Media: Use of Social Media in Literature and Society — 25
—Ms. Sonu Lata

6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के आधारभूत सिद्धांत एवं बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान संबंधी प्रावधानों की विवेचना — 31
—डॉ० नरेश कुमार

7. नागरी प्रचारिणी सभा, काशी : एक परिचय — 42
—डॉ० अनामिका सिंह

8. "बरेली जनपद के शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का विभिन्न जनसांख्यिकीय चरों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन" — 50
—डॉ० अजिता सिंह तिवारी, शरद गंगवार

9. पत्रकारिता का भारत की आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य सुरक्षा पर प्रभाव — 61
—सुधा पाल

10. "चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध शासकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के विज्ञान संकायों की अवस्थापना सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन" — 71
—अभिषेक त्यागी, डॉ० जगदीश

11. सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का प्रभाव और कानून — 86
—सुषमा देवी

INDIAN EDUCATION SYSTEM IN THE TIME "CORONA-PANDEMIC"

Dr. Arvind Kumar Kushwaha,
Guest Assistant. Professor
Chaudhary Mahadev Prasad (CMP) P.G. College Prayagraj, India.

ABSTRACT

In this research paper, the work is centric on all major changes about COVID Pandemic. Centre of Corona Pandemic has been human for which whatever the causalities was man centric in the different field like education, commerce & industry, society etc. In present time the biggest global threats are environmental threats and health issues cultural issues, education system, etc, the way whole world including India facing an epidemic crisis called CORONA DISEASE (COVID-19). It is a serious and terrible global health issue. The biggest problem of CORONA epidemic is that nobody has the cure for it so far in the whole world. Powerful countries like United State of America (USA), Russia, Germany, France, and United Kingdom (UK), all over the world today who have technologically very advanced they have no cure to end the epidemic.

The way of development was stimulated and irresponsible by man was imbalanced from the beginning as the reason the balance between man and the environment had slowly started too deteriorated. Indeed, human begins neglected environment protection, we see the number of problems today including the problem called CORONA PANDEMIC as a major problem. CORONA PANDEMIC completely changed the educational system of the whole world, including India, and the pattern of education that was traditional turned to non-traditional education system. Nontraditional education system that represents a non-traditional education system (on line education system) that is making gradual progress in India today.

Keywords: E-base education, online work shop, e-seminars, pandemic, flexible education, quality centric education.

INTRODUCTION

Today entire world is shifting a very new type of threats that is known as Nontraditional threats. It produces many types of difficulties in front all over the world. Corona is serious health problem one of them. Corona or Covid is biggest health problem in present time. It gives many threats on human beings as well as on environment and education system also. No one can decide that how it will have solved in near future. The Centre of Corona Pandemic

has been human for which what ever the causalities was man centric in the different field like education, commerce & industry, society etc. Definitely this pandemic gives the new ideas and thought in the field of education, like e-base education, online work shop, e-seminars etc.

RESEARCH DESIGN/ RESEARCH METHODOLOGY

In this research Paper secondary data has been used, which is collected from the different official websites of Government of India's Ministry, newspapers, journals, books, magazines and library of Central government's agencies like central universities in India, central government import ant's library like Trimurti in New Delhi and State government's library like Government Library in Prayagraj (Allahabad) and so many. This research paper is descriptive in nature which emphasizes on studying the current hurdles and threats or challenges on new types of education system (online education system) issues.

BRIEF ANALYSIS

In present time the biggest global threats are environmental threats and health issues cultural issues, education system, etc, the way whole world including India facing an epidemic crisis called CORONA DISEASE (COVID-19). It is a serious and terrible global health issue. The biggest problem of CORONA epidemic is that nobody has the cure for it so far in the whole world. Powerful countries like United State of America (USA), Russia, Germany, France, and United Kingdom (UK), all over the world today who have technologically very advanced they have no cure to end the epidemic.[1]

The way of development was stimulated and irresponsible by man was imbalanced from the beginning as the reason the balance between man and the environment had slowly started too deteriorated. Indeed, human begins neglected environment protection, we see the number of problems today including the problem called CORONA PANDEMIC as a major problem. CORONA PANDEMIC completely changed the educational system of the whole world, including India, and the pattern of education that was traditional turned to non traditional education system. Non traditional education system that represents a non-traditional education system (on line education system) that is making gradual progress in India today.[2] The online education system has proved to be a blessing in the age of CORONA. Student can sit home safely and fulfill their various types of teachings well as achieve their academic objectives. Although the question of online education system in India was very rare even during the time of CORONA PANDEMIC Indian students adopted this on line education system and achieved their educational objectives with great effort. In this way online education system is a boon to India in time to come. Online learning, or virtual classes offered over the internet, is contrasted with traditional courses taken in a brick-and-mortar school building. It is the newest development in distance type of education that began in the mid-1990s with the spread of the internet all over the world. Learner experience is typically asynchronous, but may also incorporate synchronous elements. The vast majority of

institutions utilize a Learning Management System for the administration of online courses. As theories of distance education evolve, digital technologies to support learning and pedagogy continue to transform as well. Before the importance of online education system, we have to keenly understand the real concept of online education system. The assumption of online education system represents a particular s that focus on opening access to education and training provision, freeing learners from the constraints of time and place, and offering flexible learning opportunities to individuals and group of learners. The terms "distance education" and "distance learning" are used to cover any situation when the student and teacher are not in the same place. The openness presupposes the availability of education- anyone, anyway, anywhere and anytime without social, physical and geographical restrictions. Open and distance learning is usually contrasted with 'conventional' or face-to-face' education, which may be described as the form of education which takes place in a classroom or an auditorium. However, both 'distance' and 'face-to-face' education are labels covering a wide range of variations and methods. Education may vary along a continuum from one-to-one tutorials, group activities, seminars and classroom teaching to lectures for large audiences. In each case different educational philosophies may be applied and different methods may be used. 'Face –to-face' education may be supported by a range of media, and may be combined with periods of independent study. In a similar way, distance education has a variety of forms, according to the underlying educational philosophy, organizational approach and choice of technology, and distance educators may incorporate into their programmes an element of face-to-face teaching. To meet the emerging demands of 'knowledge era' distance learning has been accepted and recognized mode of education.

Earlier in India the education system was adopted from the teacher in which teacher gives the knowledge to his pupil and the pupil wrote down his word in mind and manuscripts also.[3] The process was passed from generation to generation, but now it turn from traditional education system to the system to the online education system, but the online education system in India not fully successful due to some causes like inadequate online education training, lack internet gadgets, lack of online teaching skill etc.

The pattern of online education system in India is completely new one. Online education system in India is up to a very limited section of society and it has not even spread among the common people to this day, for which provision of online teaching in the CORONA PANDEMIC period has not been as successful as it was expected. [4]

SOME ELEMENTS OF MADE EASY TO ONLINE EDUCATION IN INDIA.

There are different ways which made easy to online education in India.

• **Internet penetration**: India has an internet penetration of about 31% today, which means 409 million internet users. It is predicted that by 2021, there will be nearly 735 million internet users in India, which will lead to

increase in traffic for online education student.

• **Easily Smartphone Availability:** Currently, there are 290 million smart phone users in India and the user base is expected to grow with the addition of another 180 million new users by 2021.

• **Use of time**: This is specifically true for working professionals who have time constraints in pursuing an offline course. Pursuing a course in online mode allows a person to multi-task with other work and family commitments.

• **Quality-Centric education**: There are areas in India where there is lack of quality offline education. Online education system has enhanced the quality of Indian education system. In remote areas where good teachers are not available, students acquire good knowledge through on line education, thus extending the quality of education in the online education system to all corners of the country. [5]

• **Ramdally Response**: Online education allows candidates to get immediate results for any test that they appear for. This further helps them in preparing for exams more efficiently.

• **Government initiatives**: Government's recent initiatives such as **swayam (swayamgov.in)**, e-Basta, and Digital India are expected to strengthen the infrastructure needed by students to pursue education in online mode.

• **Study material**: A variety of online study material in the form of videos and texts are encouraging students to adopt online education platforms.

• **Affordability**: Online courses joined at UG (Under Graduate) or PG (Post Graduate) level is much more affordable than traditional way of teaching.

RELEVANCE OF ONLINE TEACHING

There are different ways in which online education is so relevance for different people-

• **Webinar/Workshop**: A e-seminar/workshop conducted in the online mode is referred to as a webinar. These days many online players conduct webinars that help candidates in conceptual clarity.

• **Mock tests**: Mock tests are emerging as a popular course component for students wherein they participate in a series of tests and get a comparative assessment (with other students) of their performance. With mock tests, candidates also get to know their areas of improvement as well as test pattern of the competitive exam they are planning to appear for.

• **Videos**: Videos are helpful for candidates in solving exam papers and other problem areas.

• **Different Types Online Programme**: This platform provides different types of online programme, which are very helpful for our society. In Covid -19 crisis it gives us such a various type of programme. It's also make

human life very easily, both physical and mental.

CONCLUSION

In those days the importance online education has gradually increase. Pattern of education that is currently in India is certainly chaining with time especially in the time of CORONA PANDEMIC. In this broad change of education India needs sometime because no change in India can take place abruptly, if there is a broad change in education, we must formulate a policy and outline and complete it in a time bound manner so that the impact and important of education can be easily conveyed to all people. In this way India can succeed fully in the field of online education and in times to come if any problem like this CORONA PANDEMIC can push India through online education system, and this is possible only if India can fully built various types of infrastructure in the field of online education system. A train all people fully in the field of digital education and educate more and more people in it.[6] In this way India can succeed in the field of online education system. India should set up its online education system to adopt the entire educational system in the world if India can keep steps with the world's educational system, then India can achieve the objectives of online learning successfully. Online education system will provide a strong base on India's education system and in times to come, if such an epidemic occurs such problem, India will yet be able to continue the educational system, and in this way a parallel system of education in India will always run without any obstacle, for this India must provide a variety of training related to online education and at the same time, computer education must reach to the common people, unless the common people has access to computer education, the online education system in India has not been completely successful.[7] It can only be possible through the collective efforts (GO and NGO Efforts) of the government of India and the common people of India. Then India surely Become a new and strong hub of Global Education in the point of online education. Indeed India has very big possibility of online education system. Government of India and Citizen also trying to adopting by various efforts and methods. By this way India will suddenly become huge hub of online education system one day.

REFERENCES

- Tyagi Gursharn, Philoshipal accespect of Education, Mohit publication, New Delhi, 2017.
- Gupta, D.K, Different Dimension education, Manjusha Publication, New Delhi, 2016.
- Thakur Yatindra, Inclusive Education, Pratush Publication, New Delhi, 1998.
- Sharma Ritu, Development of Education System in India, knowledge Publication, New Delhi, 2009.
- Singh Y.K., Indian Education System, Raka Publication, Agra, 2010.
- Ghosh.Suresh Chandra, The History of Education in Modern India,1757-2012, Pratush Publication, New Delhi, 2014.
- Green T.D. and Brown A.H. The Educator Guide to Developing New Media and Education Resources, Routledge Publishers, London, 2018.

EXPRESSION : An International Journal of Social Sciences Volume 7, Issue 1, p.p.-6-13

OVER POPULATION, A PROBLEM : SUSTAINABILITY, A WAY OUT

Dr. Ananya Barua
Assistant Professor (Stage-3)
Hindu College, University of Delhi

Thokchom Melody Devi
Ph.D. Scholar, University of Delhi

ABSTRACT:

Men are dependent on the mother earth for survival and the earth on men for its growth and prosperity. The global population as we know, is endorsed by services rendered by the earth's natural ecosystem. Fundamental requirements of mankind such as food, clothing, shelter, are provided by nature. However, it is believed by many that the earth has limited resources. The problem thus arises that the earth does not have a sufficient food supply for the efficient living of the growing number of people.

The world population today is estimated to have reached 7.8 billion. And it is believed by many people that the rapidly growing population is mainly responsible for food insecurity worldwide. It is also said to contribute largely towards an existing crisis like poverty and other environmental crises. However, I cannot help but wonder had not there been overpopulation, would there be no issue of poverty and climate crisis? But we know from the facts of history that there were traces of famines, droughts, etc. even when there was no problem of overpopulation. So, the problem of sustainability such as poverty and climate crises cannot be reduced to overpopulation. Rather it implies that the root cause of the said could be something else vaguely visible to us.

Unfailingly, it becomes a matter of immense importance that we must revisit the existing concept of overpopulation and how it poses a threat to the health of the ecosystem. Also, it is an urgent necessity that we understand the real cause of all these problems to be able to solve the problem. Therefore, this article argues that overpopulation might not be a problem in achieving sustainability but also propounds an idea that rather than overpopulation, unequal distribution of wealth could the cause of global crises like poverty and climate change.

Keywords: Overpopulation, Poverty, Climate crisis, Sustainability, Ecosystem.

RESEARCH QUESTION/ RESEARCH PROBLEM:

Being overpopulated is generally considered to be the cause of the scarcity of foods, and other resources. The rising population is also counted as one of the most vital threats to protecting the ecosystem as it is believed by

many people that the resources of our world are being overused. Some people believe that the fast-growing population not only lessens the earth's capacity to sustain lives but also deprives the current population of their quality of life. They believe that the earth has limited capacity to provide recourses for all living beings while human beings overuse and exploit nature. For them, overpopulation is the cause of both the scarcity of food and the depletion of the natural environment. But my question is that does overpopulation obstruct the way of achieving sustainability? Is there a scarcity of food? And if food is scarce, is overpopulation the responsible factor for that? Can the problem of scarcity be solved if there is no overpopulation? Is overpopulation the reason why human beings harm the health of the ecosystem?

RESEARCH OBJECTIVE:

This article, therefore, intends to inquire if it is right for us to point our fingers towards the growing population to be the cause for global crises like scarcity of food and environmental degradation. The whole concept of this article will be presented in two different sections. The first section consists of existing arguments about why some people believe it to be morally right to consider overpopulation as a major cause for the change in the health of the ecosystem.

HYPOTHESIS OF THE RESEARCH:

Some shreds of evidence that have been often considered for an argument against overpopulation are being mentioned in the first section. The argument why it is not be blamed as a cause is being made in the second section. A brief analysis of the pieces of evidence provided in the first section is to be conducted in the second section to be able to judge if it is morally right to consider overpopulation as harmful to the natural state of the ecosystem.

Section 1: The first section hereby discusses some popular theories that have been forwarded against overpopulation. One considerable theory is the Malthusian theory of population forwarded by Robert Thomas Malthus. Malthus believed that the earth's capacity to produce grain is limited and he even insisted that the size of the population must only be determined by that of food. His theory states that overpopulation is bound to cause overconsumption of resources of the earth for world's grain productivity grows just at arithmetic rate i.e., 1,2,3,4,5, ..., while world's population size progress at geometric rate i.e., 1,2,4,8,16.[1] The global human population is estimated to have a growth rate of 1.1 % per year which would be 83 million per year. The estimation also shows that the world population has increased from 1 billion in 1800 to 7.6 billion in 2017. Whereas the expectation is that it will grow to 8.6 billion in mid-2030 and 9.8 billion by mid-2050.[22]

For him, the earth's land was limited and had limited resources. He held that if the population increases, then the land for cultivation will be reduced and eventually lead to a shortage of food. So, according to this view, overpopulation is bound to result in crises such as famines, droughts, floods, and many other disasters which further causes poverty among human beings. According to

this view, this intersection of food productivity and population growth can be understood as the beginning of shortages of food and other resources.

The concept of the 'The Population Bomb' of Paul R. Ehrlich speaks pretty much the same. He predicted in 1968 that many people will starve to death in the 1970s due to overpopulation.[3] According to him, the optimum population of the earth was estimated to be 2 billion while the then population was much more than 2 billion. This made him believe that human civilization is bound to collapse very shortly. For him, the earth was a dying planet.

Another reason why overpopulation is believed to cause scarcity of fundamental resources is that some resources of the earth like fresh air and water are non-renewable. A larger number of populations means larger demand for such supplies however the water component of the earth consists of only 1% fresh and accessible water. And out of this portion, food production is said to consume 70% of freshwater while industries and domestic use consume 20% and 10% respectively.[4] And with the rise in population, more amount of water might be consumed for domestic use which makes it a relevant threat to loss of the natural state of the ecosystem.

Yet it is not just freshwater that seems to be dripping fast but also the air whose purity level is destroyed. Various activities of mankind such as driving automobiles, use of chullah, etc., harm the air that we breathe. Despite the size of the population, the so-called advanced technology has equipped mankind with all sorts of devices that make lives easier while being quite harsh to nature. The process of production of such devices and the use of them release tons of CO_2 in the atmosphere resulting in unwanted consequences such as increasing amount of greenhouse gases, global warming, etc. Some may argue that due to overconsumption, overpopulation harms the natural ecosystem by draining its useful resources. Gardener argues that the release of CO_2 in the atmosphere is harmful to both the present and the future generation of human beings.[5] The argument therefore may also be that overpopulation being one of the most active participants of the emission of carbon particles into the atmosphere, exploits the health of the ecosystem. This entails the idea that population growth needs to be controlled and even reduced if possible.

Land degradation is also one of the most discussed topics when it comes to the harmful consequences of human action over nature. An example of land degradation that is most mentioned in studies of overpopulation is the act of deforestation. 30% of the earth's forest is said to be made up of forest, out of which 3 – 6 billion trees are cut down every year.[6] But we know that more population indicates more demand for more space for purposes like shelter, agriculture, etc. The needs of human beings in this sense play a big role in the cutting of trees leading to deforestation. Many people seem to believe that the more the population, the more the trees will be cut and climate crises like a flood, soil erosion, rise in temperature, melting of glaciers are caused. The idea is that the problem of overpopulation has to be

tackled first to mitigate the global environmental crisis. So, a rise in the population may be still be viewed by some as a threat to the ecosystem.

Section 2: Now to begin with the second section, it is once again to be reminded that this section is about analyzing the truth of the ideas provided in the first section. The first argument provided as a possible truth for demanding a reduction in the population is that of the Malthusian theory of population. Hence, we begin here with the concept of Robert Thomas Malthus's theory of population.

Malthusian theory of population expounded that more population demands more food. And because the earth's resources are limited, population growth was believed to result in scarcity of food. If the theory is right, the world will no more be able to sustain today's population for the grain productivity rate would be overstepped by the growth rate of the population. If Robert Malthus is right, overpopulation can be understood as that the earth has exceeded its capacity to carry human beings efficiently. But it wouldn't too wrong to say that he was wrong in the sense that not only the resources were procured efficiently but also the earth's yielded more production with the emergence of better technology. This makes it apparent that the problem of the scarcity of resources was not with the population but with the use of inefficient technology. The point is that human beings have always transformed the ecosystem to sustain themselves by the use of various means like technology. If we have better and more efficient technology, we could always produce more food and sustain ourselves. The technique or the method that we implement for grain production seems to be the real problem for the scarcity of food and not the population.

Erle Ellis, who is an environmental scientist as well as a professor at the University of Maryland, briefed an idea regarding the relationship between population and the environment. He described that human beings have been in the position of a creator on earth that men have been maintaining their sustainability through the use of various strategies and techniques. Ellis didn't agree with the idea of Malthus that there exists a limit of earth called human carrying capacity. For him, the food security issue is more of a concern for the creativity of human beings and not population growth.[7] It can be understood that according to him the earth's capacity to sustain lives must come from the capabilities of our social systems and our technologies.

As for the theory of the Population Bomb propounded by Paul R. Ehrlich, the earth was supposed to face a massive death or collapse of millions of human beings due to the scarcity of food. He conveyed a message that the earth has already exceeded its capacity to sustain human beings that the population has overgrown. But this theory also proved to be a wrong guess as the collapse didn't happen at all. He was wrong in the sense that the earth has a larger human population now and can sustain the population. The emergence of the Green Revolution along with its High Yielding Variety (HYV) seeds, tractors, irrigation methods increased grain productivity rate and

saved from the explosion of the population bomb as suggested by Paul Ehrlich. Ehrlich believed that 40% of the Earth's resources have already been consumed and suggested population control like birth control as the measure. But if we are to adopt such means, are we not being immoral towards the so-called inherent value of human beings? Robin Attfield made it very clear when he said that considering population growth amounts to considering those who are born later have no inherent value, while all people are potential inherent value bearers. He believed that this might create a vibe of misanthropic among mankind. He said that the tenth child cannot be a tragedy if the first child is a blessing. For this reason, he disagreed with Rolston's idea of letting people starve for the sake of ecological sustainability. For him, population growth is not always the cause of environmental degradation.[8]

The above being the reason, population growth cannot be the force behind famines and droughts, and other calamities. This is to say that the growing population cannot be the cause of global poverty. Let's take the example of India and China. India in 1964 had a 500 million population but faced massive famine while India now has more than 1 billion population and yet much better off and self-sufficient for food. China in 1950 had around 600 million population as was densely under-developed and yet has become a super-power today with a population of 1.3 billion.[9] The point is apparent here that the rapidly growing population has nothing to do with famines and poverty issues. Had the population been a cause for poverty, countries like India and China wouldn't have become such self-sufficient, powerful countries.

Regarding the matter of freshwater, air, and land being overused and getting polluted due to overpopulation, it can be proved not so right with the basis that there are various methods available for purification of agricultural water as well as drinking water. The technology today has even improved its way of cleaning wastes of industries so to make the water regain its purity. The emergence of the products of biotechnology can be stated as one instance. They are known mostly because they can yield very large crops while they consume a very less amount of nutrients from the earth and remain resistant to chemicals and diseases. Therefore, with the advancement in Biotechnology, the concern for the overconsumption of natural resources like water and land are being tackled. Agriculture with the use of tools as such has become sustainable. The use of this method is also said to decrease largely the emission of greenhouse gases.[10]

FINDINGS/ CONCLUSION:

From the two different opposing views, it can be analyzed that the relationship between the number of the population and the ecosystem is such that the population treats the ecosystem in a way granted by the society. So, I believe that the way society operates is what is causing all the damages to the ecosystem. An anthropologist, Timothy C. Weiskel believed that the strategies each society adapts to procure resources and produce foods unfailingly leave their marks on the environment.[11] He believed that what is generally believed as a natural disaster is

indeed a result accumulated largely as fruits of human behaviors. This concept tells us that the methods employed in grain production are what causes damage to the health of our environment.

To the knowledge archived from the above views, it becomes transparent that cases of poverty like the scarcity are also not related to the number of the population residing in the country. Rather poverty and environmental degradation seem mostly a concern of distribution of wealth. We know that in the era of today and along the way of urbanization, our needs are no more just the materials for survival but much more than that. Trendy dresses and cosmetics to boost confidence in every competition of society, medicines, motor cars, the internet, education has also become one of the basic fundamental requirements. Such competitions may further create bifurcation between the poor and the rich. Poor people often cannot get access to education and proper jobs which even more often make them end up in poverty. Ehrlich himself pointed out that to end over-consumption, an unprecedented redistribution of wealth is needed. The drive for urbanization found in the pattern of society's way of operation has worsened the quality of life by making many people struggle for what is not even our basic need just to fit in the existing society of lust. For example, owning a luxury car, expensive cosmetics, televisions, air-conditioners, etc. The poor who are incapable of such luxuries has no other choice but to adhere to actions like cutting trees and burning them as firewood for cooking. Thus, for some people, there are no open options available other than that which harms the environment. My point is that some people live in extreme luxury while others live in extreme poverty. There might be a food insecurity problem for the poor as the rich wouldn't stop collecting large stocks for uses in the days to come. So, the understanding that overpopulation is harmful to the eco system seems fabricated. Rather it appears that unequal distribution of wealth is what makes the population commit to harming the environment.

It is therefore arguable that the problem of the ecosystem is not addressed properly and that population growth does not pose a problem against the welfare of the ecosystem. We can analyze the amount of harm population growth caused to the ecosystem. The current population of the world as estimated on the 26th of February 2018 is 7,456,556,489. India ranks 2nd with a population of 1.3 billion and the USA, 3rd with a population of 320.9 million. However, when it comes to the emission of harmful gases, the 2015 statistical data shows that the percentage CO_2 emissions of the US are 14.34 and 6.81% for India.[12] If more population meant more harm to the ecosystem, India would have caused more harm to the ecosystem than that caused by the US. It makes it obvious that what harms the atmosphere, is not directly related to the fast-growing population though the relationship between them is hard to identify.

Given the information, it can be asked if it should still be considered right to call population a reason for climate change crises. Such a situation makes it seeming that the developed countries use the growing population as their curtain to escape from responsibilities to solve global poverty and

ecological damages like Harry Potter would use the invisible cloak to prevent his crimes from being seen. Moreover, the land area of the US is 9.834 million (square kilometers) while that of India is 3.287 million (square kilometers).[13] There is an unequal distribution of land and population. It is almost impossible to bring the world population under one roof or one nation that all human beings enjoy equal distribution of all kinds of resources. This makes it questionable if the division of nation serves right to global ecosystem health but that is not to be discussed here. Therefore, considering population growth as a global crisis seems to be giving developed countries like the USA an escape route from being responsible for the correct amount of CO2 that it emits every year. In the face of such a scenario, there is a need for better political policies that would consider the distribution of all kinds of resources while resolving the problems of the ecosystem such as environmental degradation, climate change, and the like. Hence, it would be more reasonable if we try to create ways and attend to the needs of current people rather than escaping one's responsibility in the name of population control.

BIBLIOGRAPHY:

1. Malthus, Thomas Robert, Donald Winch, and Patricia James. Malthus:' An Essay on the Principle of Population'. Cambridge University Press, 1992.
2. Paul and Anne Ehrlich. "Global Ecosystem Health". In Environmentalism, edited by David Pepper et al, 337-360. London: Routledge, 2003.
3. Gardiner, Stephen M. "A perfect moral storm: Climate change, intergenerational ethics, and the problem of moral corruption." Environmental Values 15, no. 3 (2006): 397-413.
4. Attfield, Robin. "Saving nature, feeding people, and ethics." Environmental Values 7, no. 3 (1998): 291-304.
5. Weiskel, Timothy C. "The ecological lessons of the past: an anthropology of environmental decline." The Ecologist 19, no. 3 (1989): 98-103.
6. World population data. https://ourworldindata.org/world-population-growth.
7. Renewable Resources Coalition. https://www.renewableresourcescoalition.org/overpopulation-causes-effects-solutions/.
8. List of Carbon Dioxide emissions. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions.
9. Geography of India. https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_India.
10. Overpopulation is not a problem. http://www.nytimes.com/2013/09/14/opinion/overpopulation-is-not-the-problem.html.
11. Does more population mean more poverty in a nation? https://www.pop.org/does-more-population-mean-more-poverty-in-a-nation/.

(Footnotes)

[1] Malthusian theory of population growth

https://ourworldindata.org/world-population-growth. Assessed on 08/11/2020

[3] Paul R. Ehrlich, "The Population Bomb"

http://125.22.40.134:8080/jspui/bitstream/123456789/3161/1/2%20%20Ehrlich%20The_Population_Bomb.pdf. Assessed on 24/11/2020

[4] Renewable Resources Coalition

https://www.renewableresourcescoalition.org/overpopulation-causes-effects-solutions/. Assessed on 24/11/2020

[5] Using Gardener's concept Intergenerational Moral Storm

[6] Audrey Merhar, "How Population Growth causes Deforestation"

https://prezi.com/fg4n_fmu9pww/how-population-growth-causes-deforestation/. Assessed on 22/11/2020

[7] Erle Ellis, "Overpopulation is not the problem" from New York Times article

http://www.nytimes.com/2013/09/14/opinion/overpopulation-is-not-the-problem.html. Assessed on 25/11/2020

[9] Bishop Casare Bonivento, "Does more population mean more poverty in a nation?"

https://www.pop.org/does-more-population-mean-more-poverty-in-a-nation/. Assessed on 12/11/2020

[10] A.M. Mannion, "Biotechnology in Agriculture: Agronomic and Environmental Considerations and Reflection based on 15 years of GM Crops"

http://epubs.surrey.ac.uk/745768/1/Biotechnology%20in%20agricu lture%20-%20Progress%20in%20Physical%20Geography.pdf. Assessed on 24/11/2020

[11] From the article "The Ecological Lessons of the Past" by Timothy C. Weiskel

http://ecoethics.net/Papers/Lessons-of-Past.pdf. Assessed on 26/11/2020

[12] List of Carbon Dioxide emissions

https://en.wikipedia.org/wiki List_of_ countries_by_carbon_dioxide_emissions. Assessed on 21/11/2020

[13] Geography of India

https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_India. Assessed on 26/11/2020

EXPRESSION : An International Journal of Social Sciences Volume 7, Issue 1, p.p.-14-18

A STUDY OF DAILY NEWSPAPERS (HINDI AND ENGLISH) TO FIND THE DEGREE OF IMPORTANCE GIVEN TO TWO DIFFERENT POPULAR EVENTS THAT TOOK PLACE ON THE SAME DAY I.E 6TH DECEMBER

Saheb Kumar
Research Scholar,
Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow (U.P)

ABSTRACT:

Newspapers have become an integral part of our daily lives. It is another matter that with increasing digitalization in India the popularity of hardcopy newspapers is declining. Yet there is a growing trend in the readership of hard copy newspapers(India) when compared with Western countries. They are an important medium to spread information, news, ideologies, cultures, awareness, knowledge besides other medium(television, radio etc.).This study thus has aimed to find the degree of importance the present days' daily newspapers are giving to two different events- death anniversary of Babasaheb Bhimrao Ambedkar(6th December 1956) and his ideologies and Ayodhya Babri Masjid demolition (6th December 1992). The study has helped a lot in finding which event and ideologies are important for the present time's daily newspapers- either Babasaheb's secularism or majoritarianism or positive and balanced coverage in both the cases.

Keywords : Biased, Babri Masjid, Majoritarianism, Newspapers, Secularism

INTRODUCTION:

Dr. B R Ambedkar believed in secularism, social justice. He was against majoritarian rule, religious orthodoxy. According to him the base of Nationality is humanity and social equality. The above views are very important at present times when there are religious riots, caste discrimination ,majority exploiting the minorities (with exceptions). On the other hand incidents like Ayodhya's Babri Masjid demolition lead to widening of religious rift between Hindus and Muslims. After the demolition of the mosque there were attacks on Hindus and their sites in Pakistan, Bangladesh. Each year on December 6th (since 1992) the Hindu organisations were celebrating the day as Shaurya Diwas and Muslim organisations as a black day. Now after the supreme court pronounced it's judgement on the Ayodhya matter on November 9 ,2019 there will be no Shaurya Diwas and Black Day as predicted and declared by many experts and many hindu and muslim organisations.

Knowing their value and power in the society regarding spread of ideologies, information, knowledge, news newspapers should refrain from covering issues harmful for societies. If very necessary then they should only present news and no biased opinion. The study thus tries to find out whether the newspapers are spreading Ambedkar's secularism and social justice philosophy or are still indulged in widening religious rifts through insensitive and biased coverage of Ayodhya Babri Masjid demolition even after the Supreme Court's verdict on it on November 9, 2019.

LITERATURE REVIEW:

Dr B R Ambedkar's book Annihilation of caste which was published by him in 1936 was against caste system among Hindus. Ambedkar had also started newspapers like Mooknayak (Leader of voiceless) and Bahishkrit Bharat to lessen the pain of untouchables and eradicate untouchability from India and from the world.

An article by Harold A. gould - 'The Babri Masjid and the secular contract'- talks of how a historical structure was politicized and ultimately destroyed leading to riots,violence. Before its destruction there were religious conflicts and after its destruction there are continuing conflicts.Another paper by Paolo bacchetta- 'Sacred space in conflict in India:The Babri Masjid affair'- focuses on the demolition of a sacred space just for political gains. Besides the above there are various papers, articles regarding Ambedkar's philosophy of secularism and on Babri Masjid conflict.

METHODOLOGY:

This study randomly picked top 3 English newspapers (Times of India, Hindustan Times, Indian Express) and 3 Hindi newspapers (Dainik Jagran, Hindustan, Amar Ujala) on the basis of readership. All the six newspapers were dated 6 december 2019 and were published from Lucknow. A simple observation (headlines study) of news, features,articles related to Dr B R Ambedkar and Ayodhya's Babri Masjid incident was done and a comparison among them was done. After the observation different tables were constructed to show which newspaper gave how many news, features ,articles related to Dr B R Ambedkar and Ayodhya Babri Masjid incident. On the basis of above works the researcher came to some results and conclusion.

RESULTS:

Newspapers (Total no. of items)	On B R Ambedkar (death anniversary/ideology)	On Ayodhya's Babri masjid incident
Hindi (17)	9	8
English (15)	2	13
Total(32)	11	21

Table no. 1

From the above table it could be understood that while Hindi newspapers gave equal coverage (in terms of numbers) to both Dr B R Ambedkar and Ayodhya's Babri Masjid incident, the English newspapers were biased (in terms of numbers) towards Ayodhya's incident. Over all also the biasedness (in terms of numbers) was towards Ayodhya's Babri Masjid incident.

Newspapers	Small news(On the basis of space allotted /Sensationalization)	Big news (On the basis of space allotted /Sensationalization)	Features/Articles/Editorials
Dainik jagran	2	0	1
Amar ujala	0	2	1
Hindustan	1	1	0
Indian express	0	1	1
The Times of India	1	4	0
Hindustan Times	0	4	2

Table no. 2: Newspaper items related to Ayodhya's Babri Masjid dispute

Newspapers	Small news(On the basis of space allotted /Sensationalization)	Big news (On the basis of space allotted /Sensationalization)	Features/Articles/Editorials
Dainik jagran	2	0	0
Amar ujala	2	0	0
Hindustan	2	1	2
Indian express	0	0	2
The Times of India	0	0	0
Hindustan Times	0	0	0

Table no. 3: Newspaper items related to B R Ambedkar(death anniversary /ideology)

Some of the examples of small news, big news, features, articles related to Dr B R Ambedkar and Ayodhya's Babri Masjid dispute are as follows:

SMALL NEWS:

- Shanti ki appeal (related to Ayodhya Babri Masjid dispute) - Hindi newspaper
- Ayodhya mein aaj kadi nigrani - Hindi

newspaper

- Tight security in Ayodhya today - English newspaper

- Lohiya path ke aaspaas badla rahega yatayat (related to Doctor B R Ambedkar) -Hindi newspaper

- Baspa aaj manayegi Doctor Ambedkar parinirvan Diwas - Hindi newspaper

BIG NEWS:

- Ayodhya per punarvichar yachika aaj - Hindi newspaper

- Vihip gaon gaon batayegi Ayodhya andolan ka itihaas - Hindi newspaper

- Dhara 370 hatakar Baba Sahab ko samman diya: Yogi - Hindi newspaper

- Ayodhya security up religious leaders say low key affair - English newspaper

FEATURES, ARTICLES:

- Jay parajay darkinar vivad se mukti swikar - Hindi newspaper

- Nirantar badh rahi hai jin ki prasangikta - Hindi newspaper

- Babri to new India - English newspaper

- A time to remember (On Dr B R Ambedkar) - English newspaper

Table number 2 shows that all of the six newspapers had one or more small news, big news, features or articles on Ayodhya's Babri Masjid dispute. On the other hand Table number 3 shows that out of the six newspapers only four had one or more small news, big news, features, articles related to Doctor B R Ambedkar (death anniversary/ideology). Table 3 shows that out of the six newspapers two English newspapers (The Times of India and Hindustan Times) had no items either small news, big news, features or articles which were related to Doctor B R Ambedkar (death anniversary/ideology).

CONCLUSION:

From the above results it could be concluded that the newspapers gave more importance to disputive incident (Ayodhya's Babri masjid dispute) instead of the ideologies of secularism, social Justice,humanity as was practiced and preached by Doctor B R Ambedkar.

LIMITATIONS:

The study was conducted on the six newspapers (their Lucknow edition) so the results and numbers may vary if other edition(s) of the newspapers are studied. Despite this limitation the study is of great use as the Lucknow edition of these newspapers also have a large number of readers. And as readership is large therefore impact of these newspapers is also large.

REFERENCES

1. Times of India (Lucknow edition); 6th December, 2019

2. Hindustan times (Lucknow edition); 6th December, 2019

3. Indian express (Lucknow edition); 6th December, 2019

4. Dainik jagran (Lucknow edition); 6th December, 2019

5. Hindustan (Lucknow edition); 6th December, 2019

6. Amar ujala (Lucknow edition); 6th December, 2019

EXPRESSION : An International Journal of Social Sciences Volume 7, Issue 1, p.p.-19-24

RIGHTS OF CHILDREN OF SEX TRADE IN INDIA : A CRITICAL STUDY

Namrta Rastogi
Assistant Professor
Modern College of Law

ABSTRACT

Children of sex workers (hereinafter referred to as CoSW) are 'invisible victims' of society. Studies on these children remained a neglected area of socio-legal regime. Children themselves form a vulnerable group. The vulnerability and victimhood of CoSW further increases because of the social stigmetisation associated with the sex trade. A government report in 2020 admits the terrible fact that even after serious efforts made by the Department of Women and Child Development the representative data on a number of indicators for sex workers are yet not available.[1] If data for sex workers are not available, there is no surprise why any data on CoSW cannot be found. This indicates the extent of vulnerability of the children of sex workers in India. This study is divided into five heads. Ist head introduces the topic and the issues involved. IInd, IIIrd and IVth head makes a brief reference to the educational, health and social aspects of the problem. Vth head makes concluding remarks

INTRODUCTION

According to a report of the Government of India there are 2.8 million sex workers.[2] However, as per UNAIDS, in 2016 that there were 657,829 prostitutes[3] in the country. Some reports suggest there are over 800,000 sex workers in India.[4] These data are not very accurate as many girls and ladies are involved or forced to involve anonymously. Though the Constitution of India makes various provisions for children[5] and conceives a welfare state[6], it is paradoxical to note that even after 70 years of Indian republic we cannot find the actual data of these types of children. First challenge is to find a reasonable number of these children. A few reports suggest that "female children of the women in prostitution invariably end up in prostitution (98 per cent), as there is no safe place for the children and there is no programme for them till date, to get them out of these areas and to provide them alternation livelihood. This contributes to about 10 per cent of prostitution."[7] Due to lack of child-care for single working mothers, many children roam on the streets unattended. They often get sick from the unsanitary conditions and are vulnerable to accidents. They come in association with anti-social elements and are quick to learn criminal activities.

There are many ways in the Indian society in which a girl or lady can turn into a prostitute. For example, (i) by kidnapping or abduction (ii) by trafficking(iii) by the permission of girls

parents or lady's husband(iv) by own will due to poverty and other circumstances(v) by ritual tradition(vi) by parental occupation, etc. Here, the focus of our discussion is the sixth method i.e. by parental occupation. Other five are unpredictable in nature because no one can know when it will happen and by whom it will be caused? But the last method can be distinct in the sense that we can identify such potential victims of sex trade. We can count the registered prostitutes and locate red light areas, number of registered brothels may be found so that good education, health measures, clothes, residence, appropriate food according to norms can be given to their children. Certain reports "estimate that the number of children involved in prostitution is increasing at 8 to10% per annum. 30%of the prostitutes in these six metro cities are under 20 years of age. Nearly half of them became commercial sex workers when they were minors. Conservative estimates state that around 300 000 children in India are suffering commercial sexual abuse, which includes working in pornography."[8] If these children can be identified and efforts are made to send them to school, provide them vocational training, placed in hostels, the number of such children (especially girls) turning into sex trade can be reduced considerably. One report suggests as under :

This was a different and new experience for us. We decided to conduct this survey because we want the world to know about the lives of children living in red light areas. The idea comes from the necessity to engage the most vulnerable children, those not yet within any "protective net" provided by NGOs, schools, etc. As this was our first experience, we have not conducted the survey on an extremely large scale. We are hopeful that adults and people who can make a difference will appreciate the sincerity and hard work that has gone into this survey and excuse any mistakes or shortcomings."[9]

EDUCATIONAL ASPECTS

The educational problems of the children can be pointed out as under:

1. Admission of children

Article 21A of the Indian constitution provides that every child above 6 years and below 14 years shall be entitled to get free and compulsory education. It was incorporated through 86th amendment of the Constitution of India in 2002. It did not amend only fundamental rights but fundamental duties also. Moreover as per article 51A(k) every parent has a fundamental duty to give basic education to their children. The Right to Education Act, 2009 also makes various provisions of entitlement that every child below the age of 14 years should get education. It was noticed that certain schools were denying admission to children of women in the flesh trade. They also demand the name of father, proof of residence, occupation. It is almost impossible to find or give the name of the father. The proof of residence exposes their identity. The disclosure of occupation also makes them more vulnerable. When such practice was brought to the notice of government, they issued a government resolution (GR) that categorically says admission cannot be denied to children of sex workers. The GR strictly instructs all schools

to give admission to this "very neglected" section of society under RTE Act 2009. The schools were directed not to make it compulsory for children or women with such backgrounds to furnish details such as father's name and proof of residence. A part of the circular states that "no school can deny admission to a child on the ground that his/her mother is in prostitution. We want schools to be sensitive and flexible." The GR also orders schools to cooperate with NGOs working among such groups.[10] Such government circulars are one illustration of the problem. Can a centralised admission scheme under RTE Act be conducted by the state to ensure accountability and transparency. How to ensure that the schools follow rules? How to create awareness among sex workers as many parents do not know what the RTE Act is about? It was also reported that the requirement of a birth certificate and name of father lead to new problems. For example, in one case, A1, a sex worker, who was single mother of a daughter in Mumbai told that she used to have to pay a man to act as her husband in order to admit her daughter into the school.[11]

2. **Discrimination after admission**

These children do face problems even if they are able to secure admission in schools. An NGO expresses the plight that the children often complain about the fellow students who usually tease them. "Your mother is a sex worker, so you are also going to be one." How to address this issue? How can the schools reduce such instances? Can they conceal the identity of the mother and the children? It is not always possible because the children talk to each other. Where do these children learn this? Obviously they learn it at their own homes. Can the guardians be sensitised?[12]

HEALTH ASPECTS

The health issues of the children may be discussed as under:

1. Right to safe birth and vaccination

A pregnant sex worker prefer to have baby either at brothel or at any place where her identity remains intact. They avoid hospitals for safe pregnancy because they want to remain anonymous and want their baby to be secure from any stigma."These women do not have the courage to go to the government hospital fearing stigma."[13] Sex workers in India often give birth in their brothels then ignore the health needs of their growing children for fear of meeting prejudice in the medical system, new research shows.[14]

In the hospitals/ nursing homes, the name, address and occupation is often asked for records. It can be a matter of intelligent guess that the baby born out of such situations would be weak. After birth the baby has the right to be vaccinated. "Ministry of Health and Family Welfare, Government of India provides several vaccines to infants, children and pregnant women through the Universal Immunisation Programme."[15] As the birth takes place in a secret manner, the baby also loses the right to be vaccinated after birth as required by government norms. "From a legal point of view, the state has the right and duty to focus upon mandatory vaccination in the pursuit of achieving the good health of its citizens."[16] It Should be examined whether a sex worker who

is going to birth a child, has access to all facilities which a pregnant lady deserves? Does she get appropriate vaccination and medication during pregnancy? And after the birth of the baby, is the baby vaccinated properly? No data is available how many children are born due to prostitute every year? Probably many sex worker do not get facility of hospitals and they birth their child in the brothels in the observation of "Daai" (non-experienced and untrained lady who helps in delivery of a child). Lack of money, illiteracy, social discard and feeling of shame are the obstruction of getting a medical facility also.

2. Health check-up to reduce sexual diseases like HIV-AIDS

The sex workers are more vulnerable to HIV-AIDS. The chances of transmission of HIV-AIDS to their children is very high. Do these children of sex worker get proper medical examined? How many medical camps in the red light areas should be arranged frequently? Some sexually transmitted infections can be prevented with vaccines, including hepatitis A, hepatitis B, and HPV. The hepatitis A and B vaccines are recommended for people with multiple sexual partners, and the HPV vaccine is recommended for females up to 45 years of age. Every child of sex worker should also be given these vaccination so that these harmful diseases cannot be transmitted to others. But we do not have any data that these vaccinations are given to CoSW? An NGO[17] worked in a red light area. A Doctor[18] who was a participant of this social work shared his experience that this is an area of "crowded streets, filthy surroundings, dark dingy rooms, no ventilation and people hoarded like animals."

SOCIAL ASPECTS

Besides educational and health problems there are social aspects which can be summarised below-

1. Adoption of criminality

The children of sex workers remained neglected at various fronts. The mother and other family members fail to find schools for them. On the other hand the State is also reluctant and unconcerned. For society also these children are matters of disdain. In such situations, there is complete alienation and these children come in the company of criminal elements. There is no data on juvenile delinquents especially boys who come from the red light area. In this scenario how can we say that we can monitor these teen-agers to join criminality. Because boys who come from red light areas form a vulnerable group for bad elements. These people induce these children on the basis of money. As they are connected with the underworld etc., they get involved in criminal activities. Indeed article 39(f) of the Constitution of India requires the State to protect children from moral abandonment.[19]

2. Discrimination

a. There is discrimination in society at every stage while getting marriage, finding job,etc. It is but natural when at every stage CoSW gets discriminated against, in social life they face various problems like- in socialisation, marriage, jobs etc.

b. There is discrimination at the level of cremation because of their identity. At last, in cremation time the relatives of CoSW would be confused how to cremate a dead body as there is no certainty of religion of CoSW. This scenario even puzzles the dead body of CoSW also.

CONCLUSION

Children of sex workers (CoSW) are one of the most neglected lot of vulnerable groups. The government apathy is manifest as there is no data of such children. The Ministry of Child at central and state level should take immediate attention to find data of these children. The National Commission of Children and National Commission of Women can jointly take this task with the help of technical experts and NGOs. These children have a fundamental right to primary education. The Supreme Court may take *suo motu* cognizance of this matter and issue directions to the central and state governments. The educational institutions and researchers ought to focus more on these children so that their fundamental rights can be protected.

(Footnotes)

[1]Ministry of Statistics and Programme Implementation, 9.6 Gender Statistics (2020), available at http://mospi.nic.in/96-gender-statistics, last accessed on Dec, 5, 2020.

[2] The Ministry of Women and Child Development, Government of India, 2007, as quoted in https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/YPP_Research_indial.pdf

[3] "Sex workers: Population size estimate - Number, 2016". www.aidsinfo online.org. UNAIDS. Archived from the original on 4 June 2019. Retrieved 21 July 2018.

[4] "Status of sex workers in India" Aarthi Pai, Meena Seshu,Manisha Gupte, VAMP, availabl e https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/Ind INT_CEDAW_NGO_Ind_17395_E.pdf, last accessed on Dec 5, 2020.

[5] Article 21A,24,39(e),39(f),45,51A(k)of The Constitution of India

[6] Article 38,39,39A the Constitution of India.

[7] Dr. Tulsing Sonwani, "Prostitution In Indian Society: Issues, Trends And Rehablitation," available at https://www.ugc.ac.in/mrp/paper/MRP-MAJOR-SOCI-2013-25158-PAPER.pdf

[8] Shankar Megha, "The Veracity of Child Prostitution in India,"

http://www.legalservicesindia.com/article/1727/The-Veracity-of-Child-Prostituti on-in-India.html

[9] Vulnerability of Children Living In The Red Light Areas of Kolkata, India Youth Partnership Project South Asia, 2010 (YPP-SA)

https://www.ecpat.org/wp-content/uploads /2016/04/YPP _Research_indial.pdf

[10] Mihika Basu, May 28, 2013, available at http://archive.indianexpress.com/news/can-t-deny-admission-to-children-of-sex-workers-state/1122041/0,

[11] Stella Paul, "Sex Workers' Daughters Access Education in India," available at https://globalpressjournal.com/asia/india/sex-workers-daughters-access-education-in-india/

[12] Ibid.

[13] Thomson Reuters Foundation, available at https://www.globalcitizen.org/en/content/health-

risks-for-children-of-indian-sex-workers/

[14] Ibid.

[15] Available at https://www.nhp.gov.in/universal-immunisation-programme_pg

[16] Kushaan Dosajh, "The legality of mandatory vaccination", December 2019 available at https://ijme.in/articles/the-legality-of-mandatory-vaccination/?galley=html

[17] Anjali Mehta,"Taking healthcare to Delhi's red light district", available at https://citizenmatters.in/delhi-red-light-area-gb-road-eye-camp-sex-workers-8366

[18] Dr Modi, a respected homeopath Doctor.

[19] Article 39. Certain principles of policy to be followed by the State.

—The State shall, in particular, direct its policy towards securing

— [(f) ... that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment.

EXPRESSION : An International Journal of Social Sciences Volume 7, Issue 1, p.p.-25-30

LITERATURE, SOCIETY AND GLOBAL MEDIA: USE OF SOCIAL MEDIA IN LITERATURE AND SOCIETY

Ms. Sonu Lata
Lecturer
R. G. N. P. Group Of College, Tajpur Bijnor
Utter Pradesh (India) Pin code-246734

ABSTRACT:

In modern world, social media, in many occasions, has been blamed for inflaming violence, cultural conflict, and ethnic hated among people of diverse identities and ethnicities. this article, therefore, attempts to explore the role of social media and literature in dealing with issues of Society. Media can change our knowledge, behavior, emotions. Social media occupy a vast field of social relations, and literature has almost lost its status as an influential tool in contemporary societies. It has almost replaced literature in many aspects. Therefore, I want to shed light on the important role of literature, and the various social media platforms, especially Facebook, Instagram, Twitter and You Tube, etc. have influenced it. The literature allows readers to critically analyze various views of current realities and discuss them from social, cultural, ideological and political perspectives. The societies were formed by the human beings with objectives of fulfilling the human needs and aspirations.

INTRODUCTION:

Social media is an agency by which something is conveyed or transferred. It basically began from hand published newspaper and magazines. Media plays an important role in literature and society. Media has become an integral part of our lives. There are social media sites for almost everything from books to movie to connect with other people these websites often viewed as beneficial in an age where sharing thoughts an ideas are important for innovations whether in literature or business. Social media makes communication convenient and effective. As a result many people use these different websites this enables the possibility of wide spread information quickly. Generally these seems positive because saves time.

This media outlet accommodates a wide variety of spontaneous, formal, informal, scholarly and unscripted writing to flourish. This enables general interest based groups such as students to work in collaborative group projects outside of their classroom. While it has brought many benefits, allowing us to easily connect with friends and family around the world, allowing us to break international boundaries and cultural barriers, social media has come at a cost. Many literature is returning to reflect various controversies in many societies. It also depicted some social problems and crises

experienced by various social groups. Literature, simply known as the mirror of society, deals with almost everything in our day to day life.

Life, reflecting all aspects of sociocultural and socio-political interactions in societies. But, when social media platforms emerged in the very beginning of the twenty first century. literature is no longer as effective as it was in the past centuries, as social media has nearly prevailed all other aspects of communications, replaced literature in many sites and situations. A society is a group of people related to each other through their continuous and uninterrupted relationships. It is also a group of people with an ideology largely governed by their own norms and values. It is seen that human society is characterized by patterns of relationship between individuals sharing cultures, traditions, beliefs and values etc. If one looks at the history of society, one will find that the nature of various societies has undergone changes from the Paleolithic period to the present era of information technology. The reflection of which can be seen in various forms of literature.

Kalidas, a great poet, ever born in Indian history, is first afraid of the uncertain attitude of the people, but then pleads his own points of views that provide us union of the old and the new. In respect of literature too we notice that it has remarkably gone through changes with regard to its theme and style. The subjects of literature have been changing as they over multiple spheres of life and society. Sometime it is noticed that many charges are labelled against literature as well as society. A literary writing is banned because an opposite section of society finds in mirroring beliefs and norms against that society.

In the article about "The fusion of Literature and Social media" in Alabama, Adrienne Erin claims that "While libraries might be on life support, there are still avid book readers who have a prominent Internet presence in the form of blogs and social media profiles". Many authors today interact with readers through tweets and blog posts John Blossom[2009] [Erin, 2014] has discussed Keitai Novels which use mobile phones to create popular literature. However, most of the users and reactors are author, writers, academics, and researchers while the majority of internet users are preoccupied by chats, games, song or video clips. Literature inspired people towards concepts of tolerance, truth, liberty, liberalism, gender equality, coexistence and diversity, and enlightenment. On the other hand, social media has become self-publishing platform, and anyone can write a book and be an author, and yet many will show no interest in such inspiring creativities. Even many writers now prefer to it their opinions and views by tweeter or post them via Facebook. Recently, people have started to share creative and original works online via social media sites. Many novelists and authors have created their own pages on social media, started sharing their creative thoughts. Infect religion becomes the predominated phenomenon to create tensions and turmoil, and social media is the best to implement conflict-oriented goals.

SOCIAL MEDIA, LITERATURE AND SOCIETY:

Social media can be considered as a potential

tool for facilitating the social contract between the citizens and the state. For example, government can potentially use social media platforms to solicit feedback on its policies and political actions, while citizens can use the same platforms to express and vent their anger, frustrations or acceptance of whatever actions government is undertaking (Kamp). Shirky (2011) says that "The more promising way to think about social media is as long-term tools that can strengthen civil society and the public sphere"

Similarly, Shirky(2011) quotes that many demonstrations in different part of the world have utilized social media as a technique to organize them. He also points out that "As a result, all of those protests exposed participants to the threat of violence, and in some cases its actual use". Kamp (2016) says that media has continued to influence mass opinions and perceptions. According to him-The emergence of social media sites such as Facebook, twitter and you tube has taken this very concept a step further, with some arguing that social media now shape the opinions, perception and actions of majority whose opinions were previously shaped by information from traditional and mainstream media houses.

Taprial & Kanwar(2012) discuss the emergence and development of social media and the benefits of social media to individuals and businesses. The major aim of using social media is "To have influence over others", that managing conflict and conflicting interests is something that is an important part of its success.

Chambers (2013) argues the use of social media for building personal relationships and friendships. She addresses the social changes that have been taking place since the emergence of social media, starting that "New opportunities being offered by social media to transform identies and generate new modes of self presentation, interaction and etiquette are identified". On the other hand, she posits that "It has had a powerful influence on debates about social media, fueling fears that social work sites contribute to a breakdown of coto dmmunity" Miller(2016) says in his article "Making social media matter" provides some demonstrate that "School pupils use social media for a wide mix of arguments, banter, gossip and that may sometimes spiral into abusive and destructive interactions".

Social Media can also be used as a cyber terrorism tool where the perpetrators disseminate false or compromising information using the Internet. For instance on April2013, the Syrian Electronic Army attacked the Associated Press's Twitter that said' Breaking News: two explosions in the white House and Barack Obama is injured. "The news was of course false. But the stock market plunged within minutes; the NewYork Stock Exchange dropped $136 billion dollars. This type of cyber terrorism can destabilize a nation's economy and security creating turmoil globally.

Lopes(2014) discuss that "The introduction of social media such as blogs, Facebook, and twitter as a new way to social network, has become the new catalyst tools in the formation of social movements". One of the most

revolutionary aspects of the use of social media, individuals are able to connect with each other and organize at an incredible low cost.

RELATION BETWEEN LITERATURE AND SOCIETY

We all know that Literature mirrors society what happens in a society is reflected in literary works in one from or another. The literal meaning of literature is the art of written work in different forms such as, poetry, plays, stories, prose, fiction etc. It may also consist of texts based on information as well as imagination. A society is a group of people related to each other through their continuous and uninterrupted relations. different societies have used and are still using different languages for the fulfillments of individuals and societies aspirations. Sometimes it's noticed that many change are labeled against literature as well as society.

The influence of literature on society is felt directly or indirectly. Sarat Chandra's novels have gone away in breaking conservatism as regards woman in our society. It's however clear that if we are interest in literature and its influence is bound to more unamply.

USE OF SOCIAL MEDIA IN LITERATURE AND SOCIETY

Literature is a highly dynamic sphere that reflects values social and cultural life. Social media has become The space where new Literature arises and we are currently witnessing the rise of new genre in the literature. It's give an opportunity to fight injustice, build communities and influence the world of literature.

Texts

Texts that appear in social networks as new forms and formats of online literature constantly appear and old ones fade away. Social network fiction could be classified as Experimental Literature as it keeps with different formats to convey the message and it gets immediate feedback form audience.

Facebook

The creative use has les literary text. facebook has more technical possibilities than traditional blogging sites such as live journal. com, word press. com. Many authors interact with readers through tweets and blog spots. They have posts and tweets focus on controversial issues and their consequences. In other wods, people indulge themselves in tense debates and become preoccupied with the likes comments of the followers or supports, and would deal with posts or tweets accordingly.

Fan fiction

A phenomenon which is on rise in social media and online posting, The notion of fan fiction gives un experienced writers a chance to their creativity such as stories around characters, settings, plots or review on their favorite shows, books, movies.

Blogging

Blogging fiction generally recognized as literature. The reason for this various online Blogs are transforms into printed books (Miller

and Shepherd, 2009) Blogs don't form a single genre. In social networking, services deal with immediate contact with audience and tangled system of mutual linking. The link and feedback from the audience in the form of likes, shares, reposts, and their analogues in Instagram and Twitter which directly influence how the text is perceived by others.

Literature that arises from the process of communication in social network has their focus on the interaction and communication between author and audience where by direct and indirect communication taken into account. Direct communication can be classified as interaction between audience and author.

Youtube

Today you tube is the largest online social media Website in the world. The site exceeds two billion views a day. this is a good platform for sharing and posting literary articles. It provides a forum for people to connect, inform and inspire across the globe.

Instagram

It is a platform for social media fiction with many possibilities for tagging, linking and communicating. many examples of short stories with most thought provoking sub genre on Instagram is flash fiction.

whatsApp

This app is most popular in social media. mostly person use in our life to other social media site. In otherwords, we can say that this App is first priority of every parson in life.

CONCLUSION

Social media to revive the status of literature not to kill it. Moreover, there must be a framing perspective to redefine the relationship between literature and social media, as how to direct them to peace building. Further, social media, especially Facebook and Twitter, must foster peace initiatives for war torn countries etc. Social media must be recruited to propagate tolerance. People must be engaged in discussions, conversations, and debates concerning literature, social movements, issues, and problems. one of the major effects of social media is that it eliminated literature in diverse discourses and contexts in modern societies.

Therefore, I recommend in this article that Facebook, Twitter, Instagram, you tube, being the most influential social media tools, should have educating and scruting approaches. It should introduce its users with plethora of literary topics. Literature, when combined with culture and other facets both abstract and concrete of society, not only presents impalpable subjects like alienation, assimilation and transformation in society but also reflects the palpable issues, such as, political and social facts. The recent development of social media Literature proves that social media fiction is a self sufficient genre of literary creation social media fiction belongs to literary process.

REFERENCES

- Blossom, John (2009) content nation;

Surviving and thriving as social media changes our lives, and our future.

- Shirky, Clay (2011) 'The political power of social media: Technology, the public sphere, and political change'. Foreign affairs. vol. 90, No. 1
- Bryfonski, Dedria(2012). The Global impact of social media 2011ed. Detroit, MI: Green haven press
- Taprial, Varinder and Priya Kanwar(2012). Understanding Social Media. Varinder Taprial and Priya Kanwar and Ventus Publishing Aps.
- Harlow, Summer(2012). 'Social media and social movements: Facebook and an online Guatemalan justice movement that moved offline. "New Media and Society, 14. 2.
- Chambers, Deborah.(2013) Social media and personal relationships: Online intimacies and networked friendship. Palgrave Macmillan.
- Erin, Adrienne(2014) "The fusion of literature and social media" Alabama.
- Lopes, Amandha Rohr(2014). "The impact of social media on social movements; the new opportunity and mobilizing structure. "Journal of political science Research.
- Kamp, Mathias.(2016) Assessing the Impact of social media on political communication
- Miller, Daniel(2016). Making social media matter. In Social media in an English village. JSTOR.
- Albrecht, Milton C. (1954) The relationship of literature and society in American journal of sociology vol 59, 425-436
- http;//en.wikipedia.org/wiki//Lyrical Ballads

EXPRESSION : An International Journal of Social Sciences Volume 7, Issue 1, p.p.-31-41

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के आधारभूत सिद्धांत एवं बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान संबंधी प्रावधानों की विवेचना

डॉ० नरेश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर
मण्डलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
दक्षिण–पश्चिम, घुम्मनहेड़ा, नई दिल्ली

सार

संवैधानिक मूल्यों एवं मौलिक दायित्वों से युक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 एक ऐसी शिक्षा नीति है जो देश के साथ जुड़ाव एवं बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करने पर बल देती है। यह नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है एवं जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 सबके लिए आसान पहुँच, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित है तथा इस नीति में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या–ज्ञान को सीखने की एक तात्कालिक आवश्यकता एवं पूर्वशर्त माना गया है एवं शिक्षा को सुगम बनाने के संदर्भ में तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इस शिक्षा के अनुसार छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों के साथ–साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के प्रतिबद्ध हो; ताकि सही मायने में वे वैश्विक नागरिक बन सकें। वर्तमान की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की जगह प्रतिस्थापित किया गया है।

भूमिका

शिक्षा माध्यम है जिससे कि देश की समृद्ध प्रतिभा तथा संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्द्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व अर्थात् मानवता की भलाई के लिए किया जा सकता है तथा साथ ही यह मानवीय क्षमताओं को प्राप्त करने, न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना एवं विकास तथा राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के संदर्भ में एक मूलभूत आवश्यकता है। इसी संदर्भ में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 भारत की 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह शिक्षा नीति सतत् विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21 वीं सदी की जरूरतों के

अनुकूल विद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना तथा प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। यह शिक्षा नीति भारत की परम्परा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें एसडीजी 4 शामिल है, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है तथा यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या–ज्ञान जैसी 'बुनियादी क्षमताओं' के साथ–साथ 'उच्चतर स्तर' की तार्किक और समस्या–समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए; बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है।

*राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की अंतर्दृष्टि (विज़न) भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षाविधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। नीति की अंतर्दृष्टि छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें। –**राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृष्ठ 8***

वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में शैक्षिक पाठ्यक्रम 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए विद्यालयी पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 की नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी जो क्रमशः 3–8, 8–11, 11–14, और 14–18 उम्र के बच्चों के लिए है तथा साथ ही इस नीति में अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है। इस नई शिक्षा प्रणाली अथवा व्यवस्था में तीन साल की आँगनवाड़ी/प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी तथा प्री स्कूलिंग एवं स्कूली शिक्षा को मिलाकर यह अवधि कुल 15 वर्ष की होगी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें छात्रों में

रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, सतत् सीखते रहने की कला और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया है।

नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा

स्तर / स्थिति / अवस्था / चरण		कक्षा	आयु	कुल वर्ष
4.	सेकेंडरी / Secondary	कक्षा 9 से 12	आयु 14–18 वर्ष	4 वर्ष
3.	मिडिल / Middle	कक्षा 6 से 8	आयु 11–14 वर्ष	3 वर्ष
2.	प्रिपरेटरी / Preparatory	कक्षा 3 से 5	आयु 08–11 वर्ष	3 वर्ष
1.	फॉउंडेशनल / Foundational	कक्षा 1 से 2 आँगनवाड़ी / प्री–स्कूल / बालवाटिका Anganwadi/Pre-school/Balvatika	आयु 06–08 वर्ष आयु 03–06 वर्ष	5 वर्ष

इस नीति में तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, सतत् सीखते रहने की कला और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के आधारभूत (मूलभूत) सिद्धांत

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अन्तर्गत बहुत से आधारभूत सिद्धांतों को समावेशित किया गया है। इन सिद्धातों को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है–

1. अवधारणात्मक समझ पर जोर देना– यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि बच्चें की शिक्षा के संदर्भ में अवधारणात्मक समझ पर जोर दिया जाए न कि रंटत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई करने अथवा उसे पास करने के संदर्भ में। शिक्षा एवं अधिगम के संदर्भ में यह जरूरी है कि बच्चों को सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए ही तैयार नहीं किया जाए अपितु उनकी पाठ्यवस्तु अथवा विषयवस्तु से संबंधित अवधारणात्मक समझ पर अधिक बल दिया जाए।

2. प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना– राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का यह सिद्धांत हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करने पर बल देता है इसके अन्तर्गत शिक्षकों और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवदेनशील बनाना जिससे कि वे बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं में उनके सर्वांगीण विकास पर भी

पूरा ध्यान दें।

3. बहु–भाषिकता और भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन– बहु–भाषिकता और भाषा की शक्ति किसी भी प्रकार की शिक्षा की आधारशिला है। अतः शिक्षा में बहु–भाषिकता और अध्ययन–अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन दिया जाए। बहुभाषिकता एवं भाषा की शक्ति छात्रों की शिक्षा एवं अधिगम को अधिक सरल एवं सुगम बनाती है।

4. बहु–विषयक और समग्र शिक्षा पर बल– राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस सिद्धांत के अनुसार सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहु–विषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला मानविकी और खेल के बीच एक बहु–विषयक और समग्र शिक्षा पर बल दिया जाए एवं उसका विकास किया जाए। जब तक बहु–विषयक और समग्र शिक्षा पर बल नहीं दिया जाएगा तब तक ज्ञान की एकता और अंखडता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

5. तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर– इस सिद्धांत के अनुसार अध्ययन–अध्यापन कार्य में, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में तथा शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर बल दिया जाना चाहिए। तकनीकी के प्रयोग के माध्यम से अधिगम के संदर्भ में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए।

6. रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करना– राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा के संदर्भ में रचनात्मकता और तार्किक सोच एवं तार्किक निर्णय लेने पर बल दिया जाना चाहिए तथा नवाचार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। रचनात्मकता, तार्किक सोच तथा नवाचार शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया को एक नई दिशा प्रदान करते हैं तथा अधिगम को छात्रों के अनुकूल बनाने में मदद प्रदान करते हैं।

7. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध– इस सिद्धांत के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध करने तथा शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत् समीक्षा करने पर बल देता है। वर्तमान समय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर के शोध राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ही जरूरी हैं।

8. शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता– यह सिद्धांत शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए एक हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढाँचा साथ–ही–साथ स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और आउट–ऑफ–द–बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है।

9. सीखने के लिए सतत् मूल्यांकन पर जोर– राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह सिद्धांत सीखने के लिए सतत् मूल्यांकन पर बल देता है बजाय इसके की साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केन्द्र में रखकर शिक्षण हो। साल के अंत में होने

वाली परीक्षा से वर्तमान समाज में 'कोचिंग संस्कृति' को बढ़ावा मिलता है।

10. भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना– राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का यह सिद्धांत भारत के गौरवशाली अतीत, संस्कृति एवं परम्पराओं पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार भारतीयों को भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना चाहिए और जहाँ प्रासंगिक लगे वहाँ भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति एवं ज्ञान प्रणालियों तथा परम्पराओं आदि को शामिल किया जाना चाहिए तथा उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।

प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गयी है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्म–ज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशीला और वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्व–स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए थे और विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को लाभान्वित किया था। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि दत्ता, पाणिनी, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी और थिरूवल्लुवर जैसे अनेक महान विद्वानों को जन्म दिया। इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों; जैसे– गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायान निर्माण और दिशा ज्ञान, योग, ललित कला, शंतरज इत्यादि में प्रामाणिक रूप से मौलिक योगदान किये। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। वैश्विक महत्त्व की इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ सहेज कर संरक्षित रखने की जरूरत है बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कार्य होने चाहिए, उसे और समृद्ध किया जाना चाहिए और नए–नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए। – ***राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृष्ठ 4–5***

11. निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन और सुविधा– इस मूलभूत सिद्धांत के अनुसार शिक्षा के उचित विकास के संदर्भ में एक मजबूत, जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश किया जाना चाहिए तथा साथ ही सच्ची एवं परोपकारी निजी तथा सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

12. नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों का विकास– भारत एक लोकतान्त्रिक देश है और इसके अपने संवैधानिक मूल्य हैं। इस सिद्धांत के अनुसार नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों; जैसे– सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, शिष्टाचार, स्वच्छता, सेवा की भावना, लोकतान्त्रिक भावना, बहुलतावाद, जिम्मेदारी, सार्वजनिक सम्पति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, समानता और

न्याय आदि पर विशेष बल दिया जाना चाहिए तथा शिक्षा में इन सभी मूल्यों का उचित समावेश होना चाहिए।

13. विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए सम्मान– यह सिद्धांत स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए सम्मान पर बल देता है। बच्चों की शिक्षा एवं अधिगम के संदर्भ में सभी पाठ्यक्रम, शिक्षण–शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और परिवेश के लिए सम्मान एवं उसको ध्यान में रखा जाए तथा साथ ही हमेशा इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है।

14. बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना– इस सिद्धांत के अन्तर्गत बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है जिससे कि सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या–ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सकें। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति सही ढंग से सीखने के लिए अत्यंत जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर विशेष बल दिया है।

15. शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केन्द्र मानना– यह सिद्धांत शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केन्द मानकर चलता है; अतः इस संदर्भ में उनकी भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था, निरन्तर व्यावसायिक विकास और सकारात्मक कार्य वातावरण तथा सेवा की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

16. सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल– शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर–तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रूचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें। इसके अतिरिक्त कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रन और पाठ्योत्तर गतिविधियों के बीच व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव न हो जिससे ज्ञान के क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊँच–नीच और परस्पर दूरी एवं असंबद्धता को दूर किया जा सके।

17. शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है– राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह सिद्धांत शिक्षा को एक सार्वजनिक सेवा मानता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। शिक्षा को जब हम एक सार्वजनिक सेवा के रूप में स्वीकार कर लेंगे तभी हम एक उत्तम समाज तथा सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे तथा सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 एवं बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान –

बुनियादी साक्षरता का अर्थ है कि बच्चे छोटे–छोटे अनुच्छेदों को आसानी से लिख एवं पढ़ सकें और उनसे एक समझ बनाते हुए संबंधित सवालों एवं प्रश्नों का जवाब दे सकें; तो वहीं दूसरी ओर संख्या–ज्ञान से अभिप्राय है कि बच्चे अंकों की पहचान कर सकें और उनसें संबंधित जोड़ तथा

घटाव आदि से संबंधित बुनियादी संक्रियाओं को कर सकें। बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान के संदर्भ में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक राष्ट्रीय अभियान चलाने की बात कही गई है जिसके तहत वर्ष 2025 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान के लक्ष्य को हासिल किया जाना है। बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान के संदर्भ में भारत देश की इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की विवेचना निम्न प्रकार अथवा आधारों पर की जा सकती है–

1. बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता एवं पूर्वशर्त– वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात को स्वीकारती है कि बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता एवं पूर्वशर्त है अर्थात् इनके अभाव में शिक्षा को एक सही दिशा अथवा गति नहीं प्रदान की जा सकती। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या–ज्ञान वास्तव में शिक्षा के वे पक्ष हैं जो समुचित शिक्षा एवं अधिगम को उचित एवं व्यवस्थित आधार प्रदान करते हैं। इस शिक्षा नीति के अनुसार भारत में वर्तमान में ऐसे शिक्षार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा हैं जिन्होंने बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान भी नहीं सीखा है।

*सभी विद्यालयों के छात्रों द्वारा पढ़ने और लिखने और संख्याओं के साथ कुछ बुनियादी संक्रियाएं करने की क्षमता आगे की स्कूली शिक्षा में और जीवन–भर सीखते रहने की बुनियाद रखती है और भविष्य में सीखने की एक पूर्वशर्त भी है। हालांकि, विभिन्न सरकारी, साथ ही गैर–सरकारी सर्वेक्षणों से यह संकेत मिलता है कि हम वर्तमान में सीखने की एक गंभीर समस्या से जुझ रहे हैं। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों ने जिनकी अनुमानित संख्या 5 करोड़ से भी अधिक है– बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान भी नहीं सीखा है; अर्थात् ऐसे बच्चों को सामान्य लेखन को पढ़ने, समझने और अंकों के साथ बुनियादी जोड़ और घटाव करने की क्षमता भी नहीं हैं।– **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 पृष्ठ 11***

2. छात्रों के लिए प्ले–आधारित "स्कूल तैयारी मॉड्यूल" तैयार करना– इस नीति में इस बात का उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में ईसीसीई की सभी तक पहुँच नहीं होने के कारण बच्चों का एक बड़ा हिस्सा प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाता है। इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इस नीति में यह वर्णित किया गया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के द्वारा कक्षा–1 के छात्रों के लिए अल्पकालीन 3 महीने का प्ले–आधारित "स्कूल तैयारी मॉड्यूल" बनाया जाएगा तथा जिसमें गतिविधियाँ और वर्कबुक जिनमें अक्षर, शब्द, ध्वनियाँ, रंग, आकार और संख्या आदि सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त इस संदर्भ में इस मॉड्यूल को क्रियान्वित करने में सहपाठियों और अभिभावकों का भी उचित योगदान लिया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि हर छात्र अथवा बच्चा विद्यालय के लिए तैयार है।

3. पाठ्यचर्या में बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान पर अतिरिक्त ध्यान देना– इस नीति के अनुसार बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान के संदर्भ में पाठ्यचर्या में इन पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा एवं समूचे प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय पाठ्यचर्या के दौरान एक मजबूत सतत् रचनात्मक और अनुकूल मूल्यांकन प्रणाली के साथ विशेष रूप से प्रत्येक बच्चे के सीखने को ट्रैक किया जाएगा और मुख्य रूप से पढ़ने, लिखने, बोलने, गिनने, अंकगणित और गणितीय चिंतन पर अधिक ध्यान केन्द्रित होगा तथा साथ ही इन क्षेत्रों में छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए उन पर प्रत्येक दिन अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा तथा समूचे वर्ष विभिन्न अवसरों पर इन विषयों से संबंधित गतिविधियों को लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान पर नए सिरे से ध्यान अथवा जोर देने के लिए शिक्षक शिक्षा और प्रारंभिक ग्रेड पाठ्यचर्या को नए सिरे से बनाया अथवा डिजाइन किया जाएगा जिससे कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या–ज्ञान को सुनिश्चित किया जा सके।

4. सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता एवं संख्या–ज्ञान प्राप्त करना – इस नीति के अनुसार सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या–ज्ञान को प्राप्त करने के संदर्भ में तत्काल रूप से एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा एवं जिसे तात्कालिक उपायों तथा स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अल्पावधि में प्राप्त किया जाएगा। जिसके अन्तर्गत कक्षा 3 तक के प्रत्येक छात्र की मूलभूत साक्षरता एवं संख्या–ज्ञान को अनिवार्य रूप से प्राप्त करना सम्मिलित किया गया है। इस नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों मे सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता एवं संख्या–ज्ञान को प्राप्त करना होगा। इन नीति के अनुसार सीखने की बुनियादी आवश्यकताओं; जैसे– मूलभूत स्तर पर पढ़ना, लिखना एवं अंकगणित आदि को हासिल करने के उपरान्त् ही हमारी यह बाकी शिक्षा नीति विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रासंगिकता के लिए अथवा संदर्भ में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान अति अनिवार्य है।

*मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा प्राथमिक आधार पर आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। उसके अनुसार सभी प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या–ज्ञान के लिए राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश की सरकारें, 2025 तक प्राप्त किए जा सकने वाले चरण–वार चिन्हित कार्यों और लक्ष्यों की पहचान करते हुए और उसकी प्रगति को बारीकी से जांच और निगरानी करते हुए अविलंब एक क्रियान्वयन योजना तैयार करेंगी। **–राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 पृष्ठ 12***

5. शिक्षकों के रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरना– इस शिक्षा नीति में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द और समयबद्ध तरीके से भरा जाएगा। विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों एवं उन क्षेत्रों में जहाँ शिक्षक–छात्रों का अनुपात दर ज्यादा हो या जहाँ साक्षरता की दर निम्न हो; वहाँ पर पर स्थानीय

शिक्षक अथवा स्थानीय भाषा से परिचित शिक्षकों को नियुक्त करने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए तथा इस संदर्भ में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक–छात्रों का अनुपात 1:30 से कम हो एवं सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षक–छात्रों का अनुपात 1:25 से कम हो। इसके अतिरिक्त इस नीति में इस बात को भी वर्णित किया गया है कि कक्षा स्तर से नीचे के बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या–ज्ञान सिखाने के उद्देश्य से अध्यापकों को सतत् व्यावसायिक विकास (सीपीडी) के साथ संबलित, उत्साहित एवं प्रशिक्षित किया जाएगा।

6. पियर ट्यूटरिंग को एक स्वैच्छिक एवं आनंदपूर्ण गतिविधि के रूप में स्वीकार करना– यह शिक्षा नीति इस बात को स्वीकार करती है कि पियर ट्यूटरिंग को एक स्वैच्छिक एवं आनंदपूर्ण गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है तथा स्थानीय और गैर–स्थानीय दोनों प्रकार के प्रशिक्षित वॉलेंटियर्स के लिए इस बड़े पैमाने के अभियान में भाग लेना बहुत आसान बनाया जाएगा और यदि समुदाय का प्रत्येक साक्षर सदस्य किसी एक छात्र को पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए तो इससे देश का परिदृश्य बहुत ही जल्द बदल जाएगा। राज्य इस तरह के शिक्षण संकट के दौरान मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इस तत्काल राष्ट्रीय मिशन में पियर ट्यूटरिंग और वॉलेंटियर्स को बढ़ावा देने के लिए एक नवीन मॉडल पर विचार कर सकते हैं तथा साथ ही साथ अध्यापकों को समर्थन देने के लिए अन्य कार्यक्रमों की शुरूआत भी कर सकते हैं।

*वर्तमान में बड़े पैमाने पर बच्चे नहीं सीख रहे हैं। यह एक बड़ा संकट है, सभी के लिए साक्षरता और संख्या–ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस महत्त्वपूर्ण मिशन में शिक्षकों का सहयोग करने के लिए सभी व्यावहारिक तरीकों का पता लगाया जाएगा। दुनिया भर के अध्ययन से पता चलता है कि जब सहपाठी एक–दूसरे से सीखते–सिखाते हैं तो यह काफी प्रभावी होता है।– **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 पृष्ठ 13***

7. उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराना– इस शिक्षा नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि दीक्षा (द डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग) पर बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान पर उच्चतर–गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा तथा तकनीकी दखल को शिक्षकों के लिए एक मदद के रूप में पहले प्रयोगात्मक किया जाएगा और फिर लागू किया जाएगा तथा इसके अतिरिक्त इसमें अध्यापक एवं छात्रों के मध्य भाषायी बाधाओं को भी दूर करने के उपाय भी किए जाएंगे।

8. बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर उचित ध्यान देना– इस नीति के अन्तर्गत यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि जब बच्चे अस्वस्थ अथवा कुपोषित होते हैं तो वे बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ हो जाते हैं।

कई सारे अध्ययन से यह पता चलता है कि सुबह के पौष्टिक नाश्ते के बाद कुछ घंटों में कई सारे मुश्किल विषयों का अध्ययन अधिक प्रभावी होता है, इस उत्पादक और प्रभावी समय का लाभ उठाया जा सकता है, यदि सुबह और दोपहर में बच्चों को क्रमशः पौष्टिक नाश्ता और भोजन दिया जाए। जहाँ पके हुए गर्म भोजन की व्यवस्था करना संभव नहीं होगा, वहाँ सादा लेकिन पौष्टिक विकल्प, जैसे गुड़ के साथ मूंगफली/गुड़ मिश्रित चना और/या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फल उपलब्ध कराया जा सकता है।– ***राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 पृष्ठ 14***

इसलिए उनके पोषण और स्वास्थ्य जिसमें मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है पर उचित ध्यान दिया जाएगा तथा इस संदर्भ में पुष्टिकर भोजन तथा अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलर एवं विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में समुदाय की भागीदारी के साथ–साथ शिक्षा प्रणाली के अलावा विभिन्न सतत् उपायों के माध्यम से कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्कूल के बच्चे विद्यालयों के द्वारा आयोजित नियमित स्वास्थ्य जाँच में भाग लेंगे और सभी स्कूली बच्चों की विशेष रूप से 100 प्रतिशत टीकाकरण के लिए विद्यालयों में नियमित स्वास्थ्य जाँच कराई जाएगी और इसकी निगरानी के लिए बच्चों को स्वास्थ्य (हैल्थ) कार्ड भी जारी किए जाएंगे।

9. सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं में बाल साहित्य उपलब्ध करना तथा सार्वजनिक एवं विद्यालय पुस्तकालयों का विस्तार करना– यह नीति इस बात को भी सुनिश्चित करती है कि सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं में दिलचस्प एवं प्रेरणादायक बाल साहित्य तथा सभी स्तरों के छात्रों के लिए विद्यालय और स्थानीय पुस्तकालयों में बड़ी संख्या में पुस्तकें उपलब्ध करायी जाएंगी एवं जिसके लिए आवश्यकता के अनुसार उच्चतर गुणवत्ता के अनुवाद भी करवाए जाएंगे तथा साथ ही समूचे देश में पढ़ने की संस्कृति के निर्माण के लिए सार्वजनिक और विद्यालय पुस्तकालयों का विस्तार भी किया जाएगा एवं डिजिटल पुस्तकालय भी स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पढ़ने की संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तक सवंर्द्धन नीति तैयार की जाएगी तथा सभी स्थानों, स्तरों, भाषाओं और शैलियों में पुस्तकों की उपलब्धता, पहुँच, गुणवत्ता एवं पाठकों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रयास एवं पहल की जाएगी जिससे कि समुदाय को उचित लाभ मिल सके।

निष्कर्ष– उपरोक्त वर्णन के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान शिक्षा नीति प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में तैयार की गई वह शिक्षा नीति है जो सबके लिए आसान पहुँच, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर आधारित है और जिसका उद्देश्य 21 वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल विद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना तथा प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। यह नीति भारत की परम्परा और सांस्कृतिक मूल्यों के

आधार को बरकरार रखते हुए, 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। इस नीति के अपने कुछ मूलभूत सिद्धांत है; जैसे– प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना, अवधारणात्मक समझ पर जोर देना, बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, बहु–भाषिकता और भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन, भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना, विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए सम्मान तथा नैतिकता एवं मानवीय और संवैधानिक मूल्यों का विकास, सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल, सीखने के लिए सतत् मूल्यांकन पर जोर, शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है आदि जो इसे एक सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं तथा साथ ही इस शिक्षा नीति के अन्तर्गत बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे प्रमुख प्रावधान हैं; जैसे– सीखने के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या–ज्ञान एक तात्कालिक आवश्यकता एवं पूर्वशर्त, छात्रों के लिए प्ले–आधारित "स्कूल तैयारी मॉड्यूल" तैयार करना, पाठ्यचर्या में बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान पर अतिरिक्त ध्यान देना, सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता एवं संख्या–ज्ञान प्राप्त करना, पियर ट्यूटरिंग को एक स्वैच्छिक एवं आनंदपूर्ण गतिविधि के रूप में स्वीकार करना, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर उचित ध्यान देना, सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं में बाल साहित्य उपलब्ध करना तथा सार्वजनिक एवं विद्यालय पुस्तकालयों का विस्तार करना, आदि जो इस शिक्षा नीति को एक विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण शिक्षा नीति बनाते हैं। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रणाली को एक नया आधार एवं दिशा प्रदान करने वाली शिक्षा नीति के रूप में संबोधित किया जा सकता है। यह नीति सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान देगी।

संदर्भ–

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

EXPRESSION : An International Journal of Social Sciences Volume 7, Issue 1, p.p.-42-49

नागरी प्रचारिणी सभा, काशी : एक परिचय

डॉ० अनामिका सिंह,
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग,
ग्राम्यांचल पी जी कॉलेज, हैदरगढ़, बाराबंकी।

शोध सार

1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने सदियों से दबे भारतीय जनमानस के स्वर को फिर बुलंद करते हुए उसमे पुनः राष्ट्रीयता की पावन धारा के प्रति समर्पित होने का भाव बलवती किया। अब स्वराज, स्वभाषा और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग एक आंदोलन बन गया। भारतीय राजनैतिक पटल पर महात्मा गाँधी जी के उभार साथ ही एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी की स्वीकार्यता बढ़ी। लगभग सम्पूर्ण राष्ट्र में हिन्दी को स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अपना स्वर बनाया। अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले इस संग्राम में हिन्दी ने सम्पूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया।

1905 में देशव्यापी स्वदेशी आंदोलन से भी पूर्व हिन्दी भाषा को सँवारने का कार्य अनेक विद्वान कर रहे थे। ऐसे ही एक प्रयास के रूप में नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की स्थापना थी। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में स्थापित इस संस्था ने देश भर में हिंदी भाषा व साहित्य के विकास, प्रचार व प्रसार में अप्रतिम योगदान दिया। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना क्वींस कॉलेज वाराणसी के नवी कक्षा के 3 छात्रों बाबू श्यामसुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने कॉलेज के छात्रावास के बरामदे में बैठकर की। बाद में 16 जुलाई 1893 ई0 को इसकी स्थापना की तिथि इन्हीं महानुभाव ने निर्धारित की।

मुख्य शब्द – स्वभाषा, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, हिंदी भाषा, साहित्य, बाबू श्यामसुंदर दास।

भूमिका –

भारत विश्व के उन प्राचीनतम और महानतम देशों में से एक है जिनकी अपनी एक सुस्पष्ट संस्कृति, समृद्ध इतिहास, व्यापक धर्म, प्रबुद्ध दर्शन रहा है। भारत को पूर्व में दर्शन और ज्ञान की गुरुस्थली कहा जाता है। भौतिक समृद्धि के साथ–साथ ही भारत की ज्ञान परम्परा भी अति वैभवशाली रही है। इसीलिए प्राचीनकाल में इसे विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। विश्व में ज्ञान व धन के पिपासुओं के लिए भारत सदैव ही आकर्षण का केंद्र रहा है। समय–समय पर अनेक विदेशी आक्रांता यहाँ आये। कुछ तो इसी मिट्टी में रच–बस कर पूर्णतया भारतीयता को आत्मसात् करते हुए यहाँ की मूलधारा में शामिल हो गए और कुछ यहाँ की धन सम्पदा लूट कर अपने साथ ले गए। अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए विश्व के कोने–कोने से लोग यहाँ सदैव आते रहे। इस

प्रकार भारतीय ज्ञान परम्परा और समृद्धि का प्रचार–प्रसार पूरे विश्व में होता रहा।

भारत में इस्लामिक सत्ता फिर अंग्रेजों के आधिपत्य स्थापित हो जाने के पश्चात राजनैतिक व सामाजिक परिस्थितियों में भरी बदलाव हुआ। लेकिन भारत की मूल सांस्कृतिक धारा को ये वाह्य परिवर्तन परिवर्तित नहीं कर सके। भारतीय चेतना का प्रवाह सदैव जाग्रत रहा और इसी चेतना ने भारत की मूल आत्मा को कभी सुसुप्त नहीं होने दिया। भारतीय वैचारिक चेतना को समय–समय पर अनेक भारतीय मनीषियों व संतों ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं बहुआयामी कृतित्व से समृद्ध किया। भारतीय वैचारिक चेतना के अनुष्ठान में इस प्रकार मनीषियों के योगदान से यह धारा अविरल रूप से प्रवाहित होती रही और भारतीय संस्कृति की मूल धारणा लोक कल्याण की कामना पल्लवित होती रही।

1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने सदियों से दबे भारतीय जनमानस के स्वर को फिर बुलंद करते हुए उसमे पुनः राष्ट्रीयता की पावन धारा के प्रति समर्पित होने का भाव बलवती किया। इस क्रांति के फलस्वरूप अब भारतीय जनमानस अंग्रेजों व अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने को व्याकुल हो उठा। उसकी इस व्याकुलता ने भारतीयों में स्वदेशी का ऐसा अलख जगाया कि अब स्वराज, स्वभाषा और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग एक आंदोलन बन गया। भारतीय राजनैतिक पटल पर महात्मा गाँधी जी के उभार साथ ही एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी की स्वीकार्यता बढ़ी। लगभग सम्पूर्ण राष्ट्र में हिन्दी को स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अपना स्वर बनाया। अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले इस संग्राम में हिन्दी ने सम्पूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। लेकिन गांधीजी के भारत में आगमन से पूर्व हिंदी भाषा के साहित्यकारों ने हिन्दी को विकसित करने एवं उसके प्रचार–प्रसार के लिए अनेक प्रयास किये। 1905 में देशव्यापी स्वदेशी आंदोलन से भी पूर्व हिन्दी भाषा को सँवारने का कार्य अनेक विद्वान कर रहे थे। ऐसे ही एक प्रयास के रूप में नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की स्थापना थी। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में स्थापित इस संस्था ने देश भर में हिंदी भाषा व साहित्य के विकास, प्रचार व प्रसार में अप्रतिम योगदान दिया। प्रस्तुत आलेख में हिन्दी भाषा हेतु समर्पित राष्ट्रीय महत्व की संस्था नागरी प्रचारिणी सभा, काशी का परिचयात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत शोध आलेख का उद्देश्य– राजभाषा हिन्दी के विकास, प्रचार एवं प्रसार हेतु समर्पित नागरी प्रचारिणी सभा, काशी एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। प्रस्तुत आलेख का उद्देश्य इस संस्थान का परिचयात्मक अध्ययन करना है।

शोध आलेख का शीर्षक – प्रस्तुत शोध आलेख का शीर्षक है – **नागरी प्रचारिणी सभा, काशी : एक परिचय।**

नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की स्थापना से पूर्व परिस्थितियां –

1857 ई0 में हुए प्रथम स्वाधीनता संग्राम ने भारतीय जनमानस की सुप्त आत्मा को झकझोरते हुए उनमें राष्ट्रीयता का एक ऐसा बीज बो दिया था जो शनैः शनैः अंकुरित हो रहा था। तत्कालीन राजनैतिक व सामाजिक परिस्थितियों में भरी

परिवर्तन हो रहा था। भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावना हिलोरें मार रही थी। भारतीयों के मन में अंकुरित हो रही इस राष्ट्रीय भावना ने उनके हृदयों में अंग्रेजी शासन के प्रति विद्रोह की भावना भर दी। 1857 की क्रांति तो अंग्रेजों ने दबा दी किन्तु आम जनमानस के हृदयों में वह ज्वाला निरंतर प्रज्ज्वलित होती रही। सत्ता के केंद्र में बैठी मदांध अंग्रेजी हुकूमत ने हर संभव प्रयास किए इस ज्वाला को दबाने की, किन्तु सफल नहीं हो पाए। राष्ट्रीयता की भड़की चिंगारी ने अब अपना दूसरा रूप ले लिया। भारत का बुद्धिजीवी वर्ग साहित्य के माध्यम से भी अंग्रेजी सत्ता के प्रति अपना रोष अभिव्यक्त कर रहा था। भारतीयों के हृदयों में पल रहे असंतोष की इस भावना ने उन्हें स्वदेशी की ओर मोड़ दिया। अब भारत में स्वदेशी सामान, स्वदेशी सरकार, स्वभाषा और स्वराज की बातें होने लगी थी। 1885 ई० में कांग्रेस की स्थापना के साथ भारतीयों को अपने इस असंतोष को व्यक्त करने का एक और मंच मिला।

इधर स्वभाषा के प्रश्न पर भारतीय मनीषियों ने एक ऐसी भाषा के विषय में सोचा जिसमे सम्पूर्ण राष्ट्र का स्वर मुखरित हो सके। हिन्दी इसके लिए सबसे उपयुक्त थी। हिन्दी भाषा व साहित्य के विकास में भारतेन्दु युग एक महत्वपूर्ण काल था। भारतेन्दु युग के प्रवर्तक एवं हिन्दी भाषा की पितामह कहे जाने वाले भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने स्वभाषा के महत्व पर एक दोहे के रूप में एक कालजयी नारा दिया। वह नारा था –

निज भाषा उन्नति रहे, सब उन्नति के मूल।
बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय के शूल।।

यह नारा हिन्दी के प्रचार–प्रसार में मील का पत्थर बना। *डॉ. लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय ने लिखा है कि 'प्राचीन से नवीन के संक्रमण काल में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र भारतवासियों की नवोदित आकांक्षाओं और राष्ट्रीयता के प्रतीक थे, वे भारतीय नवोत्थान के अग्रदूत थे।'* भारतेन्दु युग के साहित्यकारों ने हिन्दी के विकास का जो बीड़ा उठाया वह आगे द्विवेदी युग में भी चलता रहा। सामान्य जनमानस स्वभाषा के महत्व को स्वीकार कर रहा था। तत्कालीन भारतीय नेताओं ने भी हिन्दी को माध्यम बना कर अंग्रेजों के विरुद्ध अपने संघर्ष को तीव्र किया।

उस समय सामाजिक व राजनैतिक परिस्थितियां ऐसी थी जिसमें हिन्दी भाषा और हिन्दी प्रयोग करने वालों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। समाज में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का बोलबाला था। सरकारी कार्यों में ही हिन्दी का प्रयोग नहीं होता था। उस समय फारसी और अंग्रेजी को उपयोग में लाया जाता था। हिन्दी भाषियों के लिए यह बहुत कठिन समय था।

नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना–

1857 की क्रान्ति के पश्चात देश में जो स्वराज की लहर उठी थी, क्रान्ति के दब जाने के बाद भी वह समाप्त नहीं हुई थी। वह चिंगारी भारतीय हृदयों में सुलग रही थी। देशवासियों में राष्ट्रीयता का अवबोध हो चुका था। राष्ट्रीयता के बोध और उसके उठ रहे प्रवाह ने आगे आने वाले समय में हिन्दी के लिए राह बनायी। इस प्रकार की परिस्थितियों में स्वभाषा के प्रश्न पर सभी एकमत हो रहे थे। हिन्दी देश के अधिकतर लोगों द्वारा

बोली जाने वाली भाषा थी। हिन्दी प्रेमियों और साहित्यकारों ने अनुभव किया कि हिन्दी को व्यापक बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है। एक ऐसी संस्था जो हिन्दी भाषा को मानकीय रूप प्रदान कर सके, हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े साक्ष्यों को इकट्ठा कर उसको विकसित करने का कार्य कर सके, समाज व राष्ट्र में हिन्दी को व्यापक और सर्व स्वीकार्य बनाने का उत्तरदायित्व निष्ठा पूर्वक निर्वाहन कर सके। भारतेन्दु युग के साहित्यकारों ने हिन्दी भाषा में साहित्य सृजन करते हुए इसे जनसामान्य तक ले जाने का कार्य किया। इसी समय क्वींस कॉलेज के कुछ विद्यार्थियों के मन में हिन्दी के प्रति उमड़ते अनुराग ने नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना के अंकुर बोए।

नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना क्वींस कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ने वाले कुछ उत्साही छात्रों ने किया था जिनका उद्देश्य था एक वाद–विवाद समिति की स्थापना करना। *इन छात्रों का दृढ़ संकल्प था कि नागरी प्रचार उद्देश्य बनाकर एक सभा की स्थापना की जाए और इसी संकल्प के अनुसार 10 मार्च, 1893 ईस्वी को सभा की स्थापना की गई। इसका नाम नागरी प्रचारिणी सभा रखा गया। उस समय गोपाल प्रसाद खत्री, रामसूरत मिश्रा, उमराव सिंह, शिव कुमार सिंह तथा राम नारायण मिश्रा उसके प्रमुख कार्यकर्ता थे।*[3]

नागरी प्रचारिणी सभा काशी नगर में लोकप्रिय होने लगी। अतः उसे छात्रावास से बाहर आकर नगर में स्थान ढूंढना पड़ा और जीवनदास जी के एक कमरे में उसे आश्रय मिला। ग्रीष्मावकाश भर सभा का कार्य स्थगित करने के पश्चात 9 जुलाई 1893 ई0 को पुनः सब लोग श्री जीवन दास के कमरे में एकत्र हुए। उस दिन भी श्री गोपाल दास और श्री राम नारायण मिश्र के प्रयास से कई नए सज्जन सभा में आए जिनमें श्री श्यामसुंदर दास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उस दिन कहीं सज्जनों ने सभा के नाम पर कार्य प्रणाली बदलने के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए जिन पर बहुत वाद–विवाद हुआ। यह वाद–विवाद दूसरी बैठक 16 जुलाई 1893 ईसवीं में भी चलता रहा। अंततः जो निर्णय लिया गया उसके अनुसार –*सभा, नागरी प्रचारिणी सभा ही रहे। इसके स्थापनकर्ता श्री गोपाल प्रसाद माने जाएं। उद्देश्य और नियम परिवर्तित तथा परि वर्धित किए जाएं। सभा का जन्म 32 आषाढ़ संवत 1950 विक्रम (16 जुलाई, 1893 ई0) माना जाए। श्री श्यामसुंदर दास सभा के मंत्री बनाए जाएं।*[4]

इसी निर्णय के अनुसार नागरी प्रचारिणी सभा का जन्म 16 जुलाई 1993 ईस्वी माना जाता है। इसके पहले भी यद्यपि इसका नाम नागरी प्रचारिणी सभा ही था और हिंदी हित साधन के बीज इसमें विद्यमान थे तथापि उस समय यह वाद विवाद समिति मात्र ही थी। ***सभा का जो रूप हम आज देख रहे हैं वास्तव में उसकी रूपरेखा 16 जुलाई 1993 ईस्वी की बैठक में ही बनी।***[5]

श्री श्यामसुंदर दास के मंत्री पद स्वीकार करते ही इस बात का उद्योग होने लगा कि भारतेंदु जी के अनुयाई तथा अन्य सभी हिंदी–हितैषी विद्वान सभा में सम्मिलित किए जाएं। उसे बालसभा मात्र समझकर बड़े–बूढ़े आने में संकोच करते थे। परंतु सदस्यों के उद्योग से वे क्रमशः आकृष्ट होने लगे

और इस प्रकार सभा को अपनी शैशवावस्था में ही राधा कृष्ण दास, सुधाकर द्विवेदी, रायबहादुर लक्ष्मी शंकर मिश्र, डॉ0 छन्नूलाल और राय बहादुर प्रेमदास मिश्र जैसे हिंदी–हितैषी प्रतिष्ठित विद्वान पथ–प्रदर्शक रूप में प्राप्त हो गए। धीरे–धीरे यह सभा सभी लोगों को अपनी ओर खींचने लगी। महामना मदन मोहन मालवीय, कालाकांकर नरेश राजा रामपाल सिंह, राजा शशि शेखर राय, काकरौली नरेश महाराज बालकृष्ण लाल, श्री अंबिकादत्त व्यास, श्री बदरीनारायण चौधरी, श्री राधाचरण गोस्वामी, श्रीधर पाठक, श्री ज्वालादत्त शर्मा (लाहौर), श्री नंदकिशोर देव शर्मा (अमृतसर), कुंवर जोध सिंह मेहता (उदयपुर), श्री समर्थदान (अजमेर), डॉ0 ग्रियर्सन जैसे अनेक प्रख्यात विद्वानों ने पहले ही वर्ष सभा की संरक्षकता और सदस्यता स्वीकार कर ली।

सभा की स्थापना में यद्यपि अनेक छात्रों ने योगदान दिया था, पर दो–तीन वर्ष बीतते ही यह छात्र मंडली बिखरने लगी। श्री श्यामसुंदर दास के अतिरिक्त श्री शिव कुमार सिंह और श्री राम नारायण मिश्र, ये ही दो सज्जन ऐसे थे जो सभा की सक्रिय सेवा करते रहे। इस त्रिमूर्ति ने सभा का पालन–पोषण अपनी संतान के समान किया तथा अनेक कठिनाइयों से इसे उबारा, इसीलिए ये तीनों सभा के संस्थापक ही नहीं पालक और पोषण भी थे। इसी कारण सभा के संस्थापक होने का श्रेय इस त्रिमूर्ति को ही प्राप्त है।

इस प्रकार यदि संक्षेप में कहें तो नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना क्वींस कॉलेज वाराणसी के नवी कक्षा के 3 छात्रों बाबू श्यामसुंदर दास पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने कॉलेज के छात्रावास के बरामदे में बैठकर की। बाद में 16 जुलाई 1893 ई0 को इसकी स्थापना की तिथि इन्हीं महानुभाव ने निर्धारित की। आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के फूफेरे भाई बाबू राधाकृष्ण दास इसके प्रथम सभापति हुए। काशी के सप्त सागर मोहल्ले के घुड़साल में इसकी बैठकें होती थी और बाद में इस संस्था का स्वतंत्र भवन बना जिसकी छत्रछाया में हिंदी विकास के पथ पर अग्रसर हुई।

स्वरूप एवं विकास

आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें आरंभ से ही देश बोलता रहा है। एक बड़ा वृहत्तर आदर्श सदैव उसे अनुप्राणित करता रहा है। हिंदी का विकास हिंदी क्षेत्रों के बाहर भी हुआ किंतु हिंदी को परिष्कृत किया नागरी प्रचारिणी सभा काशी में। अपनी बोलियों तथा भाषाओं के रहते हुए भी जिन क्षेत्रों ने हिंदी को वरीयता दी वह केवल एक भाषा के लिए तैयार नहीं कर रहे थे। उनकी दृष्टि में अवश्य ही देश तथा इस देश की सांस्कृतिक समग्रता थी। सभा के स्वरूप एवं विकास की विवेचना करते समय हमें यह सत्य आंखों से ओझल नहीं करना चाहिए।

काशी में स्थित नागरी प्रचारिणी सभा ने ही सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्र लिपि के प्रचारार्थ ठोस और सार्थक कार्यक्रम अपनाया। इस संस्था की प्रारंभ से ही यह नीति रही है कि इसने नारेबाजी तथा प्रचार आंदोलनों की तड़क–भड़क को ना अपना का क्रियात्मक कार्यक्रम को अंगीकार किया। सभा के कर्णधारों को इस बात की जानकारी थी कि

हम मात्र काशी में ही *हा–हा भारत दुर्दशा देखी न जाइ* का राग अलाप कर न तो हिंदी का कल्याण कर सकते हैं और नहीं हिंदुस्तान का। इसके लिए हमें अपना विस्तार अखिल भारतीय स्तर पर करना होगा। यदि हम हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा और भारत को राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें भारत की आम जनता के बीच जाकर उन्हें अपनी भाषा और अपने अतीत के बारे में बताना पड़ेगा साथ ही उन्हें अंग्रेजी की भाषा नीति और स्वभाषा नीति के बारे में बताते हुए एक साथ चलने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। यह सब करने के लिए हमें आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना चाहिए।

अतः इसके संस्थापक प्रारंभ में इधर–उधर से चंदा लेकर कार्य चलाते रहे। सभा के प्रारंभिक वर्षों में तो स्थिति यह थी कि यदि किसी से 1 चंदा मिल जाता तो बड़ा आनंद मनाया जाता था और सभा की ओर से दाता को अनेक धन्यवाद दिए जाते थे। आर्थिक कठिनाइयों की परवाह न कर सभा का जीवन खेते आने का श्रेय इसके उन कर्णधारों को है जिन्होंने इस नौका में बैठकर निस्वार्थ भाव से सरस्वती की आराधना की। जिनका उद्देश्य हिंदी हित साधना था ना कि आर्थिक लाभ। इन कर्णधारों को कार्य की धुन थी, पैसों की नहीं।

कार्य की पूर्ति के लिए जितने पैसो की आवश्यकता पड़ती थी एन केन प्रकारेण मुद्रा अर्जित की जाती थी। मुद्रा एकत्रित करने का ढंग भी निराला था। सभा के सदस्य जनमानस मध्य जाकर मजीरे और ढोलक की थापों के साथ अपनी बात करते थे।

अरबपति दे लक्ष–लक्ष, लखपति हजार–हजार।

हमें दो पैसे भी स्वीकार, हमें दो पैसे भी स्वीकार।।[5]

इस प्रकार नागरी प्रचारिणी सभा अपने बाल्यकाल में आर्थिक कष्टों का सामना करते हुए प्रगति पथ पर अग्रसर हुई।*1893 ई0 में स्थापित इस संस्था को तीन–चार वर्षों में ही काफी लोकप्रियता हासिल हुई। अतः इसे चिरस्थाई बनाना आवश्यक था, जिसके लिए सभा भवन का निर्माण और स्थाई कोष का होना एक अनिवार्यता थी। सभा भवन का निर्माण और स्थाई कोष की स्थापना एक दूसरे के संपूरक हैं। क्योंकि स्थाई कोष के अभाव में सभा भवन, अतिथि शाला, मुद्रणालय आदि का निर्माण या किसी भी तरह का सृजनात्मक कार्य नहीं किया जा सकता।*[6]

सभा के सदस्यों के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप 6 पौष, 1959 विक्रमी (21 दिसंबर 1902) को श्रीमान काशी नरेश हाराजा सर प्रभु नारायण सिंह बहादुर जी के कर कमलों द्वारा सभा भवन का शिलान्यास किया गया। 1 वर्ष के उपरांत सभा भवन का गृह प्रवेश बड़े समारोह के साथ 18 फरवरी, 1904 को संपन्न हुआ। इस प्रकार सभा के कर्तव्यनिष्ठ सदस्यों के परिश्रम का परिणाम था कि नागरी प्रचारिणी सभा काशी दिन प्रतिदिन विकसित हो रही थी और हिंदी के विकास में अपना सतत योगदान दे रही थी।

सन 1898 ईस्वी में सभा भवन के निर्माण और स्थाई कोश की स्थापना का संकल्प लिया गया था। इस संकल्प को साकार करने के लिए सभा के सदस्यों ने हर संभव प्रयास किए। समाचार पत्रों में अपील प्रकाशित की गई। शिक्षा संस्थाओं

से, सभा के सदस्यों व अन्य संबद्ध सज्जनों से स्थायी कोश के लिए सहायता राशि ली गई। सभा की तरफ से एक शिष्टमंडल भी देश के प्रमुख नगरों में भेजा गया जिसे पर्याप्त सफलता मिली। 2 वर्ष में जो धन एकत्र हो सका उसी से सन 1900 ई0 में स्थाई कोष का रूप लिया।

नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना के उद्देश्य –

हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास, प्रचार और प्रसार में नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस सभा की स्थापना बाबू श्यामसुन्दर दास द्वारा तब की गयी थी जब वे विद्यार्थी ही थे। ***हिन्दी नवजागरण के इतिहास में नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना थी। 19 वीं सदी के अंतिम दशक में स्थापित 'नागरी प्रचारिणी सभा' ने हिन्दी साहित्य और भाषा को उच्च आसन पर बैठाने का काम किया।'***

नागरी प्रचारिणी सभा का कुलगीत

अपने स्थापना काल से ही इस संस्था का उद्देश्य हिंदी और देवनागरी लिपि का राष्ट्रव्यापी प्रचार एवं प्रसार रहा है इसी उद्देश्य के अनुरूप सभा का कुलगीत भी है जो अग्रंकित है–

जय हिंदी, जय नागरी।
ऋषि मुनियों के अमर मंत्र की गागरी।।
जय हिंदी, जय नागरी।।
हिमगिरी के रस सिद्ध पीठ से,
बहती अविरल गंगा जल सी।
रामेश्वर के महा उदधि की,
शब्द ब्रह्म है शुचि निर्मल सी।
वेद– पुराण, श्याम– राम, शिव पागरी।।
जय हिंदी जय नागरी।।
महामंत्र स्वातंर्त्य मुक्ति की,
ज्ञान खान जन गिरा शक्ति की।
वाणी कल्याणी विज्ञानी,
परम ज्ञान विज्ञान भक्ति की।
नेह रंजिता भारत मां की मांग री।।
जय हिंदी जय नागरी।।
जग उद्‌बोधक, अंतर शोधक,
बोधक सत्य विषमता नाशक।
भाषक चिंतामणि उद्‌भाषक,
शांति प्रगति उल्लास प्रकाशक।
हर क्षण हर पल नित नूतन नव रागरी।।
जय हिंदी जय नागरी।।

वर्तमान स्थिति

कभी काशी का गौरव रही यह सभा आज स्थिति अच्छी नहीं है। इनके पदाधिकारियों में आपस में विवाद है और कुछ वाद न्यायालय में लम्बित है। *इस बीच जनवरी २०२० में एक समाचार आया कि परतंत्र भारत में हिंदी के माथे की बिंदी बन उसे संरक्षित करने वाली नागरी प्रचारिणी सभा काशी का वैभव लौटने वाला है। इसके लिए केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल की है। प्रदेश सरकार इसमें भारतेन्दु अकादमी खोलने की घोषणा कर चुकी है तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय इसमें सहेजी गई दुर्लभ पांडुलिपियों को संरक्षित करेगा।*

इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र की विशेष परियोजना के तहत सजाया–संवारा जाएगा।

हिन्दी के सम्मान, अस्मिता व अस्तित्व की लड़ाई नागरी प्रचारिणी सभा ने उस दौर में लड़ी जब देश में अंग्रेजीं सत्ता स्थापित थी। आज की ही भाँति हिन्दी सेवा कोई दिखावे की वस्तु नहीं थी बल्कि हिन्दी भाषा का प्रश्न उनकी अस्मिता, अस्तित्व, गरिमा व सम्मान से जुड़ा हुआ प्रश्न था। *विडंबना देखिए कि जिस संस्था ने अंग्रेज सत्ता के रहते हुए हिन्दी भाषा और साहित्य को प्रतिष्ठा दिलाने में अहम भूमिका निभाई हो आजादी के बाद वही संस्था जर्जर अवस्था में पहुंच जाएगी बाबू श्यामसुंदर दास ने इसकी कल्पना शायद ही की होगी।*

सन्दर्भ–

1 https://hi.wikipedia.org/wiki/Hkk jrsUnq;qx

2 हीरक जयंती ग्रंथ प्रकाशक नागरी प्रचारिणी सभा काशी पृष्ठ संख्या 3।

3 –उपरोक्त– पृष्ठ संख्या 3।

4 –उपरोक्त– पृष्ठ संख्या 3।

5 –उपरोक्त– पृष्ठ संख्या 5।

6 नागरी दैनंदिनी संवत 2055, नागरी प्रचारिणी सभा, संक्षिप्त परिचय, पृष्ठ संख्या–11, प्रकाशक– नागरी प्रचारिणी सभा काशी।

7 कुमार, सुरेश, नागरी प्रचारिणी सभा और हिन्दी अस्मिता का निर्माण, https://samalochan.blogspot.com/2020/03/blog-post_25.html

8 https://hi.wikipedia.org/wiki/नागरी प्रचारिणी सभा

9 कुमार, सुरेश, नागरी प्रचारिणी सभा और हिन्दी अस्मिता का निर्माण, https://samalochan.blogspot.com/2020/03/blog-post_25.html

EXPRESSION : An International Journal of Social Sciences Volume 7, Issue 1, p.p.-50-60

"बरेली जनपद के शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का विभिन्न जनसांख्यिकीय चरों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन"

डॉ० अजिता सिंह तिवारी
सहायक प्राध्यापक, एम.एड. विभाग
बरेली कॉलेज, बरेली

शरद गंगवार
पूर्व छात्र (एम.एड.)
बरेली कॉलेज, बरेली

शोध सार :

शिक्षक की व्यावसायिक दक्षता के साथ–साथ व्यक्तिगत विशेषताओं और शिक्षण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उसको पेशे (शिक्षण) में सफलता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एक शिक्षक की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकती है। यदि शिक्षण के प्रति शिक्षक की अभिवृत्ति सकारात्मक होती है तो छात्र शिक्षण में अधिक रूचि लेते है तथा शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में अपना पूर्ण सहयोग देते है। इसके विपरीत यदि शिक्षण के प्रति शिक्षक की अभिवृत्ति नकारात्मक होती है तो छात्र शिक्षण में रूचि न लेकर शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करते है। अतः शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया की सफलता शिक्षक की अभिवृत्ति पर निर्भर करती है।

उक्त लघु शोध का उद्देश्य बरेली जनपद के विभिन्न प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का विभिन्न जनसांख्यिकीय चरों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना है। इस अनुसन्धान हेतु शोध की वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। शोध द्वारा प्राप्त परिणामों से ज्ञात होता है कि विभिन्न जनसांख्यिकीय चरों (विद्यालय की प्रकृति, विद्यालय के प्रकार एवं शिक्षक की आयु) के आधार पर शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति में कोई अंतर नहीं है।

मुख्य शब्द– शिक्षण अभिवृत्ति, जनसांख्यिकीय चर, विद्यालय की प्रकृति, विद्यालय के प्रकार, शिक्षक की आयु।

भूमिका :

शिक्षा एक ऐसा साधन है जो मानव को प्राणी जगत के अन्य जीवो से पृथक करती है। शिक्षा के अभाव में मानव पशु के समान है। शिक्षा मानव को एक सामाजिक प्राणी बनाकर सांस्कृतिक धरोहर को आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तान्तरित करने के योग्य बनाती है। शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास में सहायक है। शिक्षा के द्वारा मानव अपना जीवन सुखमय बनाता है तथा सामाजिक

जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देता है। मानव की जीवन प्रक्रिया विविध प्रकार के वातावरण से सम्बन्धित है, शिक्षा उसको वातावरण के साथ अनुकूलन करने के योग्य बनाती है तथा मानव को वातावरण में अपनी सुविधानुसार परिवर्तन करने की शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है। इस प्रकार शिक्षा समाज की उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करती है। शिक्षा बौद्धिक परम्पराओं और तकनीकी निपुणताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरण हेतु धुरी का कार्य करती है तथा सभ्यता के दीपक को प्रदीप्त रखने में सहायक होती है। शिक्षा व्यक्ति के मार्गदर्शन के साथ ही राष्ट्र के भाग्य का भी मार्गदर्शन करती है। वस्तुतः शिक्षा उन भावी नागरिकों का निर्माण करती है जिनके ऊपर राष्ट्र का उत्थान निर्भर है। शिक्षा छात्रों के व्यक्तित्व का विकास कर चहुंमुखी प्रतिभाओं को उजागर करती है।

देश के भविष्य को उज्जवल बनाने व उसे सही दिशा में अग्रसर करने हेतु शिक्षा प्रदान करने का कार्य शिक्षक द्वारा किया जाता है। एक शिक्षक अपने ज्ञान, कौशल और सकारात्मक व्यवहार से विद्यार्थियों के जीवन को सज्जित कर उनके जीवन को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के सामाजिक और मानसिक स्तर को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह जीवन पर्यन्त अनेक विद्यार्थियों को शिक्षित व निर्देशित कर एक अच्छे समाज का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षक राष्ट्र के भाग्य निर्माता हैं। एक शिक्षक जीवनपर्यन्त राष्ट्र निर्माता, शिक्षा पद्धति की आधारशिला व समाज को गति प्रदान करने वाला आदि भूमिकाओं का निर्वहन करता है। जिस प्रकार दीपक स्वयं प्रकाशमान होता है तथा अपने स्पर्श मात्र से अन्य सैकड़ो दीपक जला देता है ठीक उसी प्रकार सद्गुरु आचार्य स्वयं ज्ञान ज्योति की भांति प्रकाशित होते हुए अपने शिष्यों को प्रकाशित करते है। यही कारण है कि मानव के रूप में शिक्षक तथा व्यवसाय के रूप में शिक्षण कार्य को संसार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है।

शिक्षण का अर्थ है सीखने में सहायता करना, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों एवं अनुभवों के आधार पर सीखता है। शिक्षक अपने छात्र को सीखने में प्रेरणा दे सकता है, रूचि उत्पन्न कर सकता है लेकिन वह छात्र को बलपूर्वक नहीं सिखा सकता। शिक्षण का शिक्षा से घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्राचीन काल से ही गुरु शिष्य परंपरा रही है जिसमे गुरु प्यार एवं स्नेह से अपने शिष्यों को आश्रम में पढ़ाता था। जैसे–जैसे समाज बदलता रहा, शिक्षा का अर्थ भी बदलता रहा क्योंकि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है।

"शिक्षण छात्रों (अधिगमकर्ताओं) के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने हेतु उपयुक्त अधिगम अनुभवों को आयोजित करने की प्रक्रिया है।"

शिक्षण अभिवृत्ति :

अभिवृत्ति किसी मनुष्य की वह सामान्य प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा वह किसी वस्तु का मनोवैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करता है। अभिवृत्ति के आधार पर ही व्यक्ति वस्तुओं का मूल्यांकन करता है। कुछ

पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने अभिवृत्ति को मनुष्य की वह अवस्था माना है जिसके द्वारा उसे मानसिक अनुभवों का ज्ञान प्राप्त होता है। इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक आलपोर्ट हैं। उनके सिद्धांतों के अनुसार अभिवृत्ति जीवन में वस्तुबोधन का मुख्य कारण है, अभिवृत्ति द्वारा ही मनुष्य भिन्न–भिन्न अनुभवों का समन्वय करता है। यह वह मापदंड है जिसके द्वारा व्यक्तित्व के निर्माण में सामाजिक तथा बौद्धिक गुणों का समावेश होता है। जिसका घनिष्ठ सम्बन्ध व्यक्ति के अमूर्त विचार तथा कल्पना से है।

शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया की सफलता शिक्षण के प्रति शिक्षक की अभिवृत्ति पर निर्भर करती है। यदि शिक्षण के प्रति शिक्षक की अभिवृत्ति सकारात्मक है तो शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेगी, इसके विपरीत यदि शिक्षण के प्रति शिक्षक की अभिवृत्ति नकारात्मक है तो शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया असफल हो जाएगी तथा अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं कर पायेगी।

चित्र संख्या 01–शिक्षण अभिवृत्ति के रूप

जनसांख्यिकीय चर :

जनसांख्यिकीय चर के अन्तर्गत जनसांख्यिकीय से अभिप्राय मानव जनसंख्या के सांख्यिकीय अध्ययन से है, जिसमे जनसंख्या का आकार, संरचना और वितरण के सन्दर्भ में स्थानीय व कालिक परिवर्तन का अध्ययन सम्मिलित है तथा चर से आशय आयामों या मापदंडों से है।

उक्त लघु शोध में जनसांख्यिकीय चर से अभिप्राय चुने हुए विभिन्न चरों (विद्यालय की प्रकृति, विद्यालय के प्रकार व शिक्षक की आयु) के आधार पर जनसंख्या (बरेली जनपद के विभिन्न प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक) के सांख्यिकीय अध्ययन से है।

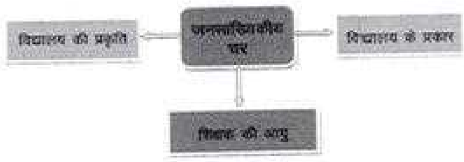

चित्र संख्या 02–जनसांख्यिकीय चर

विद्यालय की प्रकृति :

भारतीय शिक्षा व्यवस्था के वर्तमान परिदृश्य में प्रकृति के आधार पर विद्यालयों के दो रूप परिलक्षित होते है– सरकारी विद्यालय व गैर सरकारी विद्यालय।

सरकारी विद्यालयों से तात्पर्य उन विद्यालयों से है जिनका वित्तपोषण केन्द्र सरकार या सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

गैर सरकारी विद्यालयों की श्रेणी में उन विद्यालयों को सम्मिलित किया जाता है जिनके वित्तपोषण में केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों का कोई योगदान नहीं होता, इस प्रकार के विद्यालयों की यह विशेषता इन्हें स्ववित्तपोषित विद्यालय के रूप में इंगित करती है।

विद्यालय के प्रकार :

विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की लिंग आधारित विशेषता को मापदंड मानकर विद्यालयों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है– सहशिक्षा विद्यालय व गैर सहशिक्षा विद्यालय।

सहशिक्षा विद्यालयों से तात्पर्य शिक्षा प्रदान करने वाली उन संस्थाओं से है जिन विद्यालयों में छात्र व छात्राएं शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में एक साथ सम्मिलित होकर शिक्षा प्राप्त करते है।

गैर सहशिक्षा विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत छात्रों व छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने हेतु उनके लिए पृथक विद्यालयों की व्यवस्था की जाती है, इस हेतु छात्रों के लिए अलग विद्यालय तथा छात्राओं के लिए बालिका विद्यालयों की स्थापना की जाती है।

शिक्षक की आयु :

किसी भी व्यक्ति की आयु का निर्धारण उसके जीवनकाल पर निर्भर करता है। व्यक्ति की आयु व जीवन काल का मापन प्रमापीकृत व सर्वमान्य मापदंड (वर्ष) में किया जाता है। इस प्रकार व्यक्ति का जीवन काल उसकी आयु को इंगित करता है।

अध्ययन का औचित्य :

शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की वास्तविक गत्यात्मक शक्ति तथा शैक्षणिक संस्थाओं की आधारशिला माना गया है। यह बात स्वयं में सत्य है कि विद्यालय का भवन, पाठ्यचर्या, पाठ्य सहगामी क्रियाएँ, शिक्षण सहायक सामग्री आदि वस्तुएँ व क्रियाकलापों का शैक्षिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है परन्तु शिक्षक वह शक्ति है जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को सर्वाधिक प्रभावित करता है। इस दृष्टिकोण से शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो। वह छात्रों के व्यवहार के प्रति स्वस्थ व सकारात्मक अभिवृत्ति रखता हो तथा उनके मनोविज्ञान को समझता हो। विभिन्न क्षेत्रों यथा–शिक्षा समाजशास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान, नीतिशास्त्र, राजनीति, प्रबंध, प्रशासन आदि से सम्बंधित प्रमुख विद्वान एवं शोधकर्ता यह मानते है कि हमारे देश को ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है जिनकी शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति सकारात्मक हो।

अभिवृत्ति व्यक्ति के मनोभावों अथवा विश्वास को इंगित करती है। अभिवृत्ति सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। यदि शिक्षण के प्रति शिक्षक की अभिवृत्ति सकारात्मक होती है तो छात्र शिक्षण में अधिक रूचि लेते है तथा शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में अपना पूर्ण सहयोग देते है। शिक्षक की सकारात्मक अभिवृत्ति छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। छात्र शिक्षक के व्यवहार से प्रभावित होते है। इस प्रकार यदि शिक्षक शिक्षण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखता है तो छात्र आत्मविश्वास के साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करते है। इसके विपरीत यदि शिक्षण के प्रति शिक्षक की अभिवृत्ति नकारात्मक होती है तो छात्र शिक्षण में रूचि न लेकर शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करते है। इस प्रकार एक ऐसे अध्ययन की आवश्यकता स्वतः ही

सिद्ध हो जाती है जो शिक्षण के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का विभिन्न जनसांख्यिकीय चरों के आधार पर अध्ययन कर सके। इसी को दृष्टिगत रखते हुए शोधार्थी ने इसे अपने अध्ययन का विषय चुना।

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण :

मान, आर० एन० (2019) ने "कुरुक्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षण के सन्दर्भ में अभिवृत्ति" का अध्ययन किया तथा निष्कर्ष में इन्होंने पाया कि कुरुक्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षण के सन्दर्भ में अभिवृत्ति सकारात्मक है।

क्रेंक, के० (2018) ने "शिक्षण के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव" शीर्षक पर अनुसन्धान किया तथा निष्कर्ष में इन्होंने पाया कि शिक्षण के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

भगोत्रा, एच० पी० (2018) ने "शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति–एक प्रारम्भिक अध्ययन" शीर्षक पर पी० एच०डी० स्तरीय शोध कार्य किया तथा निष्कर्ष में इन्होंने पाया कि शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही प्रकार की हो सकती है।

कुमार, दिनेश एवं कांत, संजय (2017) ने "केरल विश्वविद्यालय के बी० एड० प्रशिक्षुओं की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति" का अध्ययन किया तथा निष्कर्ष में इन्होंने पाया कि केरल विश्वविद्यालय के बी० एड० प्रशिक्षुओं की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति सकारात्मक है।

दत्त, एस० पी० (2016) ने शिक्षण पर किये गए सर्वेक्षण में "कक्षा शिक्षण की सामान्य प्रथाओं व शिक्षक व्यवहार" का अध्ययन किया तथा निष्कर्ष में इन्होंने पाया कि शिक्षक का व्यवहार सभी छात्रों के प्रति समान होता है। अर्थात शिक्षक कक्षा के सभी छात्रों से एक समान व्यवहार करते हैं।

एंडरसन रूथान, स्मिथ (2016) ने "शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति तथा छात्र लाभान्वीकरण" शीर्षक पर अनुसन्धान किया तथा निष्कर्ष में इन्होंने पाया कि शिक्षकों की शिक्षण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति कक्षा में अध्ययनरत सभी छात्रों के लिए लाभकारी है।

अध्ययन का उद्देश्य :

(1) बरेली जनपद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का विद्यालय की प्रकृति (सरकारी व गैर सरकारी) के आधार पर अध्ययन।

(2) बरेली जनपद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का विद्यालय के प्रकार (सहशिक्षा व गैर सहशिक्षा) के आधार पर अध्ययन।

(3) बरेली जनपद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का शिक्षक की आयु (40 वर्ष या उससे कम व 40 वर्ष से अधिक) के आधार पर अध्ययन।

अध्ययन की परिकल्पनायें :

Ho1. बरेली जनपद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति में विद्यालय की प्रकृति (सरकारी व गैर सरकारी) के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है।

Ho2. बरेली जनपद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति में विद्यालय के प्रकार (सहशिक्षा व गैर सहशिक्षा) के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है।

Ho3. बरेली जनपद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति में शिक्षक की आयु (40 वर्ष या उससे कम व 40 वर्श से अधिक) के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है।

अनुसन्धान विधि– इस अनुसन्धान हेतु शोध की वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या– समय सीमा को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अनुसन्धान को उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जनपद में ही किया गया है।

न्यादर्श– अध्ययन हेतु यादृच्छिक प्रतिचयन विधि से बरेली जनपद के विभिन्न विद्यालयों के 100 शिक्षकों को चुना गया है।

अध्ययन चर :

आश्रित चर– शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति

स्वतन्त्र चर– विभिन्न जनसांख्यिकीय चर (विद्यालय की प्रकृति, विद्यालय के प्रकार एवं शिक्षक की आयु)

प्रयुक्त उपकरण– प्रस्तुत लघु शोध में "शिक्षक अभिवृत्ति मापनी" का प्रयोग किया गया है। जिसमें कुल 52 पद है जो कि कथन के रूप में दिए गए है। इनमें से कुछ कथन सकारात्मक एवं कुछ कथन नकारात्मक है। प्रत्येक कथन के सामने पांच संभावित उत्तर–पूर्णतः सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत, पूर्णतः असहमत दिए गए है। इन उत्तरों में से एक उत्तर का चयन करके निर्धारित स्थान पर सही का चिन्ह लगाना है।

प्रशासन :

आँकड़ों के संकलन हेतु बरेली जनपद के विभिन्न विद्यालयों के चयनित 100 शिक्षकों को शिक्षक अभिवृत्ति मापनी प्रदान की गयी परन्तु केवल 80 शिक्षकों से ही पूर्णरूप से भरी हुई मापनी प्राप्त हो सकी तथा 80 शिक्षकों द्वारा प्राप्त आँकड़ों को सांख्यिकीय गणना हेतु प्रयुक्त किया गया।

आँकड़ो का विश्लेषण :

परिकल्पना 01

"बरेली जनपद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति में विद्यालय की प्रकृति (सरकारी व गैर सरकारी) के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है।"

तालिका संख्या 01

सरकारी विद्यालयों के शिक्षक			गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षक			टी मूल्य
संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	0.028622**
45	211.7555	11.22123708	35	211.857	18.518897	परिणाम-असार्थक

"0.05 स्तर पर असार्थक

अतः सांख्यिकीय आधार पर कहा जा सकता है कि बरेली जनपद के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है, इस आधार पर अध्ययन की परिकल्पना "बरेली जनपद के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है" स्वीकृत की गयी।

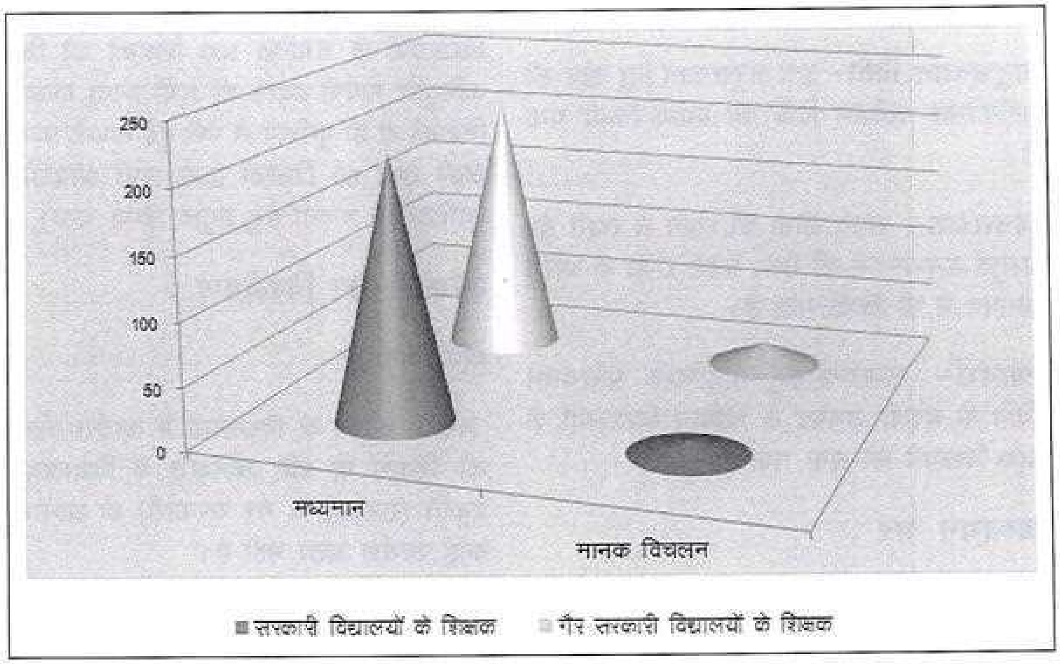

चित्र संख्या 03—बरेली जनपद के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति

परिकल्पना 02

''बरेली जनपद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति में विद्यालय के प्रकार (सहशिक्षा व गैर सहशिक्षा) के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है।''

तालिका संख्या 02

सहशिक्षा विद्यालयों के शिक्षक			गैर सहशिक्षा विद्यालयों के शिक्षक			टी मूल्य
संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	0.934502**
48	210.5208	14.30368139	32	213.718	15.438189	परिणाम-असार्थक

''0.05 स्तर पर असार्थक

अतः सांख्यिकीय आधार पर कहा जा सकता है कि बरेली जनपद के सहशिक्षा व गैर सहशिक्षा विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है, इस आधार पर अध्ययन की परिकल्पना ''बरेली जनपद के सहशिक्षा व गैर सहशिक्षा विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है'' स्वीकृत की गयी।

चित्र संख्या 04–बरेली जनपद के सहशिक्षा व गैर सहशिक्षा विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति

परिकल्पना 03

"बरेली जनपद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति में आयु (40 वर्ष या उससे कम व 40 वर्ष से अधिक) के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है।"

तालिका संख्या 03

40 वर्ष या कम आयु के शिक्षक			40 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षक			टी मूल्य
संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	0.026839**
39	211.8461	17.66134414	41	211.756	11.562397	परिणाम-असार्थक

"0.05 स्तर पर असार्थक

अतः सांख्यिकीय आधार पर कहा जा सकता है कि बरेली जनपद के विद्यालयों में कार्यरत 40 वर्ष या कम आयु व 40 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है, इस आधार पर अध्ययन की परिकल्पना "बरेली जनपद के विद्यालयों में कार्यरत 40 वर्ष या कम आयु व 40 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है" स्वीकृत की गयी।

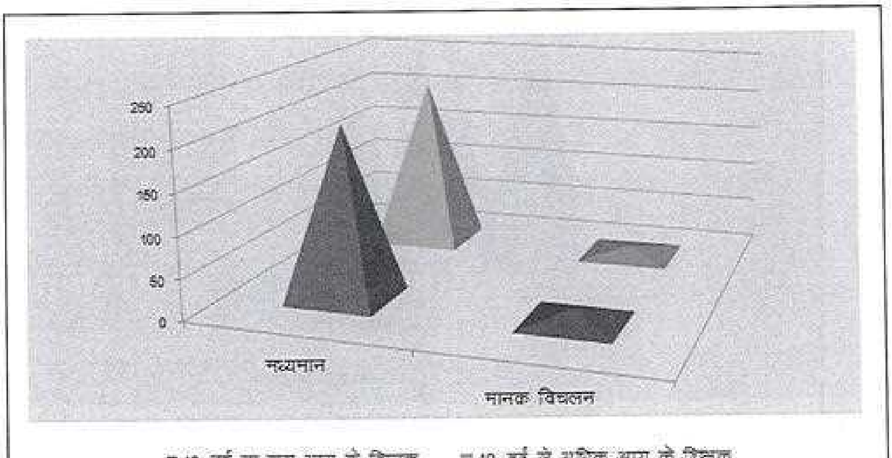

चित्र संख्या 05–बरेली जनपद के विद्यालयों में कार्यरत 40 वर्ष या कम आयु व 40 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति

मुख्य निष्कर्ष :

(1) बरेली जनपद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति में विद्यालय की प्रकृति (सरकारी व गैर सरकारी) के आधार कोई सार्थक अंतर नहीं है, इस आधार पर अध्ययन की परिकल्पना "बरेली जनपद के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है" स्वीकृत की गयी।

(2) बरेली जनपद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति में विद्यालय के प्रकार (सहशिक्षा व गैर सहशिक्षा) के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है, इस आधार पर अध्ययन की परिकल्पना "बरेली जनपद के सहशिक्षा व गैर सहशिक्षा विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है" स्वीकृत की गयी।

(3) बरेली जनपद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति में आयु (40 वर्ष या उससे कम व 40 वर्ष से अधिक) के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है, इस आधार पर अध्ययन की परिकल्पना "बरेली जनपद के विद्यालयों में कार्यरत 40 वर्ष या कम आयु व 40 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है" स्वीकृत की गयी।

शैक्षिक निहितार्थ :

(1) शिक्षण के अंतर्गत समस्त शिक्षकों अर्थात सरकारी व गैर सरकारी, सहशिक्षा व गैर सहशिक्षा विद्यालयों में कार्यरत तथा 40 वर्ष या उससे कम व 40 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों का सकारात्मक दृष्टिकोण शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का कार्य करता है अतः शिक्षकों को शिक्षण के प्रति अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखना चाहिए।

(2) शिक्षकों को शिक्षण में सम्मिलित समस्त छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए क्योंकि इस प्रकार का प्रोत्साहन छात्रों को उचित प्रकार से सीखने में सहायता प्रदान करता है।

(3) शिक्षकों को समस्त छात्रों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना चाहिए जिसके परिणाम स्वरुप छात्रों के मनोबल में वृद्धि होगी तथा वे आत्मविश्वास के साथ ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

भावी अनुसन्धान हेतु सुझाव :

(1) प्रस्तुत लघु शोध कार्य को बरेली जनपद में संपन्न किया गया है। इस अनुसन्धान कार्य को जनपद स्तर के अतिरिक्त मंडल अथवा प्रदेश स्तर पर भी किया जा सकता है।

(2) प्रस्तुत लघु शोध में बरेली जनपद के विद्यालयों में कार्यरत 100 शिक्षकों के सीमित न्यादर्श को लेकर अनुसन्धान कार्य किया गया है परन्तु अधिक विश्वसनीयता हेतु इस न्यादर्श को विस्तृत भी किया जा सकता है।

(3) प्रस्तुत लघु शोध को प्राथमिक व माध्यमिक स्तर तक सीमित रखा गया है परन्तु इस शोध कार्य को उच्च स्तर पर भी किया जा सकता है।

(4) प्रस्तुत लघु शोध में विद्यालय की प्रकृति, विद्यालय के प्रकार एवं शिक्षक की आयु को

आधार बनाया गया है, इस शोध कार्य में अन्य जनसांख्यिकीय चरों को भी आधार बनाया जा सकता है।

(5) प्रस्तुत लघु शोध में बरेली जनपद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का विद्यालय की प्रकृति, विद्यालय के प्रकार एवं शिक्षक की आयु के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, इसके साथ ही इस शोधकार्य में शिक्षकों की अभिवृत्ति का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का भी अध्ययन किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची :

- भान, आर० एन० (2019) "कुरुक्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षण के सन्दर्भ में अभिवृत्ति" ir.library.louisiv ille.edu<cgi> view content
- क्रेंक, के० (2018) "शिक्षण के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव" https//www.duo.uio.no>handle
- भगोत्रा, एच० पी० (2018) "शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति–एक प्रारम्भिक अध्ययन" इण्टरनेशनल जनरल ऑफ एजूकेशन वर्ष 21 अंक 1
- कुमार, दिनेश एवं कांत, संजय (2017) "केरल विश्वविद्यालय के बी० एड० प्रशिक्षुओं की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति" digitalcommons. pcom. edu<view content>
- दत्त, एस० पी० (2016) "कक्षा शिक्षण की सामान्य प्रथायें व शिक्षक व्यवहार" एजूट्रैक्स वर्ष 15 अंक 4
- एंडरसन रूथान, स्मिथ (2016) "शिक्षकों की शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति तथा छात्र लाभान्वीकरण" भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका वर्ष 34 अंक 2 जुलाई–दिसंबर

वेब सूची :

- www.hi.in.wikipedia.org
- www.academic.edu
- www.hindi.webdunia.com
- www.shikshahub.in
- ir.library.louisiville.edu<cgi>view content
- https//www.duo.uio.no>handle
- digitalcommons.pcom.edu<view content>
- www.open.edu<mod.oucontend>word.com

EXPRESSION : An International Journal of Social Sciences Volume 7, Issue 1, p.p.-61-70

पत्रकारिता का भारत की आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य सुरक्षा पर प्रभाव

सुधा पाल
शोधार्थिनी
सैन्य अध्ययन विभाग
डी0ए0–वी कालेज, कानपुर

शोध सारांश

पत्रकारिता एक तरह से 'दैनिक इतिहास' लेखन है। पत्रकार प्रतिदिन का इतिहास अखबार के पन्नों में दर्ज करता चलता है। उसका काम ऊपरी तौर पर बहुत आसान लगता है लेकिन वह इतना आसान होता नहीं। उस पर कई तरह के दबाव हो सकते हैं। अपनी पूरी स्वतंत्रता के बावजूद पत्रकारिता सामाजिक और नैतिक मूल्यों से जुड़ी रहती है। उदाहरण के लिए सांप्रदायिक दंगों का समाचार लिखते समय पत्रकार प्रयास करता है कि उसके समाचार से आग न भड़के। वह सचाई जानते हुए भी दंगों में मारे गए या घायल लोगों के समुदाय की पहचान स्पष्ट नहीं करता। बलात्कार के मामलों में वह महिला का नाम या चित्र नहीं प्रकाशित करता ताकि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को कोई धक्का न पहुँचे। पत्रकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे पत्रकारिता की आचार संहिता का पालन करें ताकि उनके समाचारों से बेवजह और बिना ठोस सबूतों के किसी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान न हो और न ही समाज में अराजकता और अशांति फैले।

भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय प्रतिवर्ष अपना वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसका प्रथम अध्याय पूर्णतया राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण को समर्पित रहता है। कई वर्षों तक यह रिपोर्ट भारत के सुरक्षा से जुड़े बिन्दुओं को सतत और प्रभावकारी ढंग से ऐसी भाषा में दर्शाता रहा जिसका उद्देश्य किसी भी देश की संवेदनशीलता को आहत करने का नहीं रहा। इसका उद्देश्य मात्र यही रहा कि यह भारत के लोगों को सुरक्षा से जुड़े बिन्दुओं से अवगत कराता रहे।

मुख्य बिन्दुः– पत्रकारिता, राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण, रक्षा मंत्रालय, सामाजिक मीडिया, साइवर युद्ध, साइवर आतंकवाद, साइवर अपराध, आपातकालीन प्रबन्धन में सोशल मीडिया।

प्रस्तावना

किसी भी लोकतंत्र में लोगों का अधिकार है कि क्यों और कहां राष्ट्रीय आपदायें प्रभावित कर रही हैं। सरकार भी लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। जहां

कहीं भी सरकार अपने इस कर्तव्य को पूरा करने में असफल होती है, मीडिया सरकार को कर्तव्य बोध करवाती रहती है।

भारत पर प्रमुख राष्ट्रीय आपदाओं में विदेशी आक्रमण प्रमुख रहते हैं। ऐसी आपदाओं में सरकार की असफलता तब मानी जाती है जब वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिये बिल्कुल तैयार न हो और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर लोगों को शिक्षित न किया जाये जिससे कि उनमें अपराधिक प्रवृत्ति न विकसित हो। और यह कार्य मीडिया का भी है कि लोगों को समय समय पर इसकी जागरूकता फैलाती रहे। क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को तभी सुदृढ़ कर सकता है जब उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में समुचित जानकारी हो और उसे समुचित सूचना मिलती रहे।

1962 के भारत–चीन युद्ध में यह एक दुखद कहानी रही कि देश को पता ही नहीं रहा कि भारत पर चीन का आक्रमण होने वाला है। बाद के वर्षों में भारत में यह प्रयास किया कि ऐसी घटनायें पुनः न घटित होने पाये।

1962 की पीढ़ी जिसने भारत चीन युद्ध को एक आपदा के रूप में देखा था, अब लगभग समाप्त सी हो चुकी है और उसके बाद भारत के भविष्य को दिशा देने के लिये नेतृत्व की दो नयी पीढ़ियाँ भी आयीं। इसलिये पोखरण–II का वर्ष जो भारत की स्वतंत्रता का पचासवां वर्ष भी रहा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को देखने का एक नया नजरिया प्रस्तुत किया और भारत की सुरक्षा के लिये खतरों के आंकलन का पैमाना भी प्रस्तुत किया।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अनेको विचार धारायें देखने को मिलती हैं जिसमें से कुछ विवादित श्रेणी में भी आती हैं। परन्तु विश्व के सभी देशों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों को आंकलन करने का अधिकार है और उनसे अपनी सुरक्षा करने का भी अधिकार है।

भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय प्रतिवर्ष अपना वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसका प्रथम अध्याय पूर्णतया राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण को समर्पित रहता है। कई वर्षों तक यह रिपोर्ट भारत के सुरक्षा से जुड़े बिन्दुओं को सतत और प्रभावकारी ढंग से ऐसी भाषा में दर्शाता रहा जिसका उद्देश्य किसी भी देश की संवेदनशीलता को आहत करने का नहीं रहा। इसका उद्देश्य मात्र यही रहा कि यह भारत के लोगों को सुरक्षा से जुड़े बिन्दुओं से अवगत कराता रहे।

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण को रेखांकित और निर्धारित करने का सम्बन्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर, भारतीय उप महाद्वीप से सटे क्षेत्रों के स्तर, उप महाद्वीप के अन्दर और आंतरिक मामलों में विकास तक विस्तीर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मई 1995 का एन0पी0टी0 (नाभिकीय अप्रसार संधि) का नाभिकीय हथियारों से मुक्त विश्व की आड़ लेकर बिना शर्त और अनिश्चित काल तक के लिये इसका विस्तार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रभावित किया। एन0पी0टी0 की प्रभावकारिता वैश्विक थी। इसका विस्तार मतदान पर आधारित था और बहुत से विरोधाभाषी और गंभीर मुद्दों को सही ढंग से प्रस्तुत ही नहीं किया गया था। नाभिकीय शस्त्रों से सम्पन्न राष्ट्रों

के नाभिकीय निरस्त्रीकरण की उपादेयता और गैर नाभिकीय राष्ट्रों के नाभिकीय हथियारों से सम्पन्न न होने के स्वैच्छिक वादों के बीच कोई अन्तर नहीं किया गया था। एन0पी0टी0 की प्रभावकारिता से और इसके बिना शर्त के और असीमित अवधि के लिये विस्तार से व्यापक विनाश के बड़े हथियारों के निर्माण को कानूनी मान्यता मिली और विश्व के मातृ कुछ राष्ट्रों को नाभिकीय हथियारों के विकास का एकाधिकार मिल गया

यहां पर इस बात का जिक्र करने का उद्देश्य आतंकवाद के कारणों का उल्लेख करना नहीं है। परन्तु यह कहना आवश्यक होगा कि सेनाओं का प्रशिक्षण दुश्मनों के विरूद्ध युद्ध करने के लिये किया जाता है। अपने ही लोगों के विरूद्ध युद्ध करना, और वे जो किसी कारण वश दिग्भ्रमित हो गये हैं, सैनिकों के मनोबल और प्रशिक्षण पर संभव है कि नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़े।

मीडिया के द्वारा इस तरह का किया गया नुकसान राष्ट्र के सुरक्षा हितों को व्यापक हानि पहुंचा सकता है, और यह उस समय जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया विश्व के कोने–कोने में अपनी नजर गड़ाये हुये है और इससे अंतर्राष्ट्रीय गलतफहमी हो सकती है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

सामाजिक मीडिया को सूचना युद्ध के हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके प्रयोग निम्नवत हो सकते है :–

• स्त्रातजिक और सामरिक दोनों क्षेत्रों में वांछित परिणाम के लिये इसका प्रयोग किया जा सकता है।

• इसका प्रभुत्व परम्परागत युद्ध (स्थल, वायु, समुद्र और अंतरिक्ष) के क्षेत्रों से बिल्कुल अलग है।

• इसका विस्तार युद्ध क्षेत्र से अलग है (मनोवैज्ञानिक, मानविकी, सांस्कृतिक, मीडिया और अन्य ग्राह्यताओं का क्षेत्र)

• इसका प्रयोग सैन्य लक्ष्यों के अलावा सामाजिक लक्ष्यों पर भी किया जा सकता है। (विशेष समुदाय, नृजातीयता, धर्म, संस्कृति और व्यवसायिक समुदाय आदि)

• इसका लक्ष्य सरकारी संस्थानों को भी बनाया जा सकता है (जैसे स्त्रातजिक महत्व की कम्पनियां, दूर संचार प्रणाली, बैकिंग प्रणाली इत्यादि)

• बिना किसी विशेष निवेश के और आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

• इस युद्ध को एक सनकी अथवा कुछ लोगों का संगठन बड़े से बड़े और शक्तिशाली प्रतिद्वन्दी के खिलाफ लड़ सकता है और विपक्षी को वांछित हानि पहुंचाकर अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है।

साइवर युद्ध :– इस युद्ध में दो राष्ट्रों द्वारा एक दूसरे के सूचना सुरक्षा घेरों को तोड़ा जाता है और इसके द्वारा स्त्रातजिक संचार प्रणाली को नष्ट किया जाता है। इसका उद्देश्य यौद्धिक गतिविधियों के पूरक के रूप में प्रयोग करना होता है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ रिचर्ड क्लार्क ने साइबर युद्ध को परिभाषित करते हुये लिखा है कि ऐसे क्रियाकलाप जो एक राष्ट्र राज्य

का दूसरे राष्ट्र राज्य के खिलाफ नुकसान पहुंचाने अथवा विनाश करने के उद्देश्य से कम्प्यूटर अथवा उसकी कार्यप्रणाली के साथ किये जाते हैं, साइबर युद्ध कहलाते हैं।[8] संक्षेप में साइबर युद्ध साइबर स्पेस में ऐसे आक्रमणात्मक कार्यवाही को कहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक या एक से अधिक राष्ट्र राज्यों द्वारा अपने प्रतिद्वन्दी के विरूद्ध किया जाता है।

साइबर आतंकवादः– साइबर आतंकवाद आतंकवादी संगठनों द्वारा संचार तकनीकों का प्रयोग प्रचार, बहकाव अथवा जुड़ाव के उद्देश्य के संदर्भ में देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संचार प्रणाली भी आ जाते हैं। जिनका उपयोग आतंकवादियों द्वारा किया जा सकता है। इसलिये साइबर आतंकवाद एक आक्रमणात्मक प्रक्रिया है। जिसे आंतकवादियों द्वारा साइबर स्पेस में संचालित किया जाता है। इसके लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गैर राज्य संस्थायें अथवा राज्य होते है। साइबर आतंकवाद का उद्देश्य भौतिक नुकसान पहुंचाने के साथ–साथ नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालना होता है।

साइबर अपराध :– अपराधी अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सूचना तंत्र को क्षति पहुंचाने वाले खतरों को साइबर अपराध के संदर्भ में देखा जाता है। ऐसे संगठन साइबर स्पेस का उपयोग आक्रमणात्मक कार्यवाहियों के लिये करते हैं जिसमें धोखेबाजी, पहचान को चुराना, सूचनाओं का गबन, अथवा बौद्धिक सम्पदा को हानि पहुंचाने के कार्य सम्मिलित होते हैं। साइबर अपराध के कार्य आक्रामक कार्यवाही में आते हैं और इन्हें साइबर स्पेस में संचालित किया जाता है। साइबर अपराध के प्राथमिक उद्देश्यों में आर्थिक लाभ प्राप्त करना सर्वोपरि होता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के सर्वाधिक खतरे के संदर्भ में अवरोही क्रम में निम्न संगठनों को रखा जा सकता है :–

- अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन (अल–कायदा, जेहाद से प्रेरित संगठन अलगाववादी संगठन इत्यादि)
- अंतर्राष्ट्रीय अपराधी संगठन (चीन, अफ्रीकी, अरबियन और दक्षिण अमेरिकी)
- गैर मान्यता प्राप्त सरकारें अथवा गैर राजनीतिक–सैनिक और/अथवा आर्थिक–वाणिज्यिक सहयोगी राष्ट्र (सुरक्षा सेवाओं से सम्बन्धित भी)
- अंतर्राष्ट्रीय कार्पोरेशन
- विघटनकारी समूह
- कम्पनियां (वाह्य जमा पूंजी वाले)
- धार्मिक समुदाय (अंतर्राष्ट्रीय विस्तार वाले)
- हैकर समूह
- गैर सरकारी संगठन
- अंतर्राष्ट्रीय संगठन
- विदेशी सह–राज्य अथवा राजनीतिक सैनिक और/अथवा आर्थिक वाणिज्यिक सहयोग वाले राष्ट्र।

आज जब सामाजिक मीडिया तेजी के साथ उभर

रही है। और इसकी गूंज वैश्विक स्तर पर हो रही है, उपरोक्त रेखांकन को व्यापक नहीं माना जा सकता और न ही इसे परिभाषिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि नये सामाजिक मीडिया के उपभोक्ता के रूप में भविष्य में नये संगठनों का उदय हो सकता है। अनेको संगठन एक ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर सक्रिय रहते हैं इसलिये उनके कार्य क्षेत्र को एक या द्विआयामी क्षेत्रों में नहीं बांधा जा सकता है बल्कि इनके कार्यक्षेत्र का विस्तार अनगिनत क्षेत्रों तक फैल सकता है।

अपनी सीमाओं के बावजूद उपरोक्त रेखांकित ढांचा सामाजिक मीडिया को सूचना युद्ध के हथियार के रूप में प्रयोग वाले लोगों के हथियार हो सकते हैं। सामाजिक मीडिया को अपने अभिकर्ता के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसलिये ऊपर दिया गया रेखाचित्र यह दर्शाता है कि किस प्रकार एक संगठित समूह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा बन सकता है अथवा उसके पास राष्ट्र के स्त्रातजिक हितों की सुरक्षा के लिये खतरों के विरूद्ध शक्ति अर्जित हो सकती है।

आतंकवादी संगठनों द्वारा सबसे ज्यादा सामाजिक मीडिया का प्रयोग उग्र विचारधारा को फैलाने नये लोगों को अपने संगठन में शामिल करने, उनसे सम्पर्क रखने और प्रशिक्षण देने के लिये किया जाता है। इसके अतिरिक्त आतंकवादी संगठन सामाजिक मीडिया का प्रयोग साइबर अपराधी संगठनों से सम्पर्क के लिये करते हैं और उनके साथ धन इकट्ठा करने के लिये करते हैं। इसके माध्यम से वे नशीले पदार्थों की तस्करी, छोटे हथियारों के कारोबार और इन्टरनेट पर फिशिंग का कार्य करते हैं। वर्तमान साइबर विश्व में आतंकवादी संगठनों और साइबर अपराधियों में तेजी से सम्बन्ध बढ़ रहे हैं। और ये आपसी गठजोड़ नये आक्रामक तकनीकों को विकसित करने योग्य हो सकते है।

वर्तमान समय में सामाजिक मीडिया का प्रयोग करने वाले आतंकवादी संगठनों में इस्लामिक जेहादी सबसे आगे हैं। फेसबुक और यू ट्यूब का प्रयोग अलकायदा द्वारा नये युवकों को शामिल करने, सहानुभूति प्रकट करने वालों की संख्या में इजाफा करने और जेहाद समर्थकों को जोड़ने के लिये किया जाता है। अलकायदा द्वारा इसका प्रयोग पश्चिमी देशों में सफल आतंकवादी आक्रमणों का फोटो और वीडियो प्रचारित करने के लिये, शहीदो की सूची और उनकी जीवनी प्रकाशित करने के लिये और इस्लामिक विचारधारा की पुस्तकों का प्रचार करने के लिये किया जाता है। "लीड्स ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी कालेज" के शोधकर्ता और आतंकवाद एवं राजनैतिक हिंसा के विशेषज्ञ "लोरेज बोमैन ग्रीव" ने कहा है कि "किसी व्यक्ति को सामूहिक क्रिया–कलापों में भाग लेने के लिये तैयार करने में सोशल मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि इसमें समाजीकरण, जुड़ाव और निर्णय देने वाले आधारभूत कार्य पद्धति होते हैं।" इसके अलावा सोशल मीडिया में सामाजिक सम्बन्ध बनाने और सामाजिक बन्धन तैयार करने की सहूलियत होती है जो समय के साथ–साथ दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये दृष्टिकोण परिवर्तन किसी समुदाय विशेष के लिये घातक भी हो सकते है। सोशल मीडिया और इन्टरनेट उग्रवादी विचारधारा और उससे सम्बन्धित अध्ययन सामग्री के प्रकाशन और वितरण

को आसान बनाते हैं और ये सामग्रियां कई लोगों को दिग्भ्रमित एवं विचलित कर सकती है।

इस्लामिक संगठनों द्वारा सोशल मीडिया का प्रयोग सफल आतंकी घटनाओं को प्रचारित करने के लिये और आम जनता के अन्दर भय पैदा करने के लिये किया जाता है। सोशल मीडिया में इस प्रकार के समाचार एवं घटनायें वायरस की तरह फैलती है और परम्परागत सूचना तकनीको की अपेक्षा सोशल मीडिया का प्रभाव ज्यादा घातक हो सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में इसका प्रभाव आतंकवादी आक्रमणों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अमेरिकी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस ने यह कहा है कि कुछ संगठित समूह और मुख्य रूप से आतंकवादी संगठन सोशल मीडिया का प्रयोग आपदा के समय गलत सूचना देने के उद्देश्य से कर सकते है अथवा किसी आपदा की घटना के बाद उसके घातक प्रभाव को और अधिक फैलाने के लिये कर सकते हैं। वे यह प्रचारित कर सकते हैं कि सरकार आपात कालीन सेवाओं के प्रति लापरवाह है।

अमेरिकी सेना के एक रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया का प्रयोग कम्प्यूटर वायरस के संचालक के रूप में किया जा सकता है जो कम्प्यूटर और मोबाइल टर्मिनल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह रिपोर्ट इस बात पर बल देती है। कि ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया का प्रयोग आतंकवादी संगठनों द्वारा अपने नेटवर्क के विस्तार के लिये किया जा सकता है और इसका प्रयोग प्रचार के लिये नहीं बल्कि विभिन्न वेबसाइटों पर खतरनाक साफ्टवेयर के रूप में भी किया जा सकता है जो उपभोक्ता के इलेक्ट्रानिक उपकरणों को अकाल्पनिक हानि पहुंचा सकते हैं।

आज जब अल–कायदा के पास विकेन्द्रित तंत्र है ऐसे में सोशल मीडिया उनकी संगठनात्मक कार्यवाही के लिये और नेतृत्व के लिये एक प्रभावकारी मंच साबित हो सकता है।[40] और वे अकेले भेड़िया की भूमिका निभा सकते हैं। सोशल मीडिया का प्रयोग कूट भाषा में सन्देश देने के लिये, आतंकवादी घटनाओं की योजना बनाने के लिये, कुछ आतंकवादियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिये और आतंकवादी घटनाओं को अन्जाम देने हेतु आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिये प्रयोग किया जाता है।

अपराधिक संगठन सोशल मीडिया का प्रयोग अपने असंवैधानिक कृत्यों के लिये संचार, सहयोग और सहायता के हथियार के रूप में करते हैं। इस प्रकार के अवैधानिक कार्यों में सूचना आधारित अथवा परम्परागत दोनों तरह की गतिविधियां शामिल हो सकती है।

अपराधिक संगठन सोशल मीडिया का उपयोग अपने भौगोलिक क्षेत्र में उन्हीं लोगों के साथ करते हैं जिन्हें वे अच्छी तरीके से जानते है और अपनी सोच के लोगों से वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्पर्क बनाये रखते हैं। ये अपराधिक समुदाय ऐसे कई लोगों के साथ जुड़े होते हैं जिनके पास यह क्षमता होती है कि उच्च गुणवत्ता की सूचना न मिलने पर वे अपने सदस्यों को बाहर भी निकाल देते हैं और जो लोग अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से पालन करते हैं उन्हें और भी जिम्मेदारी भरे कार्य सौंपे जाते हैं।

सोशल मीडिया और साधारण रूप से सूचना

प्रौद्योगिकी का अपराधिक उद्देश्यों के लिये प्रयोग नाटकीय ढंग से बढ़ रहा है। इसका कारण केवल यह नहीं है कि इसका विस्तार तेजी से हो रहा है बल्कि इसके उपयोग करने वाले मानते हैं कि उनकी सोशल मीडिया पर गतिविधि कोई गंभीर विषय नहीं है। इस कारण से उनके द्वारा जाने अन्जाने में अनेको गंभीर गलतियां हो जाती है। जो उनके और दूसरों के लिये भी खतरनाक हो सकती है।

नाटो के अध्ययन के अनुसार भविष्य के युद्ध सूचना वातावरण में लड़े जायेंगे जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी के नयी–नयी तकनीकों का प्रयोग होगा और इसमें सोशल मीडिया भी शामिल होगी। अभी कुछ ही वर्ष हुये हैं। जब संसार के कई देशों की सशस्त्र सेनायें सोशल मीडिया से जुड़ी हैं और परम्परागत आक्रामक साधन के रूप में सोशल मीडिया का प्रयोग वे अधिक से अधिक कर रही हैं। संघर्ष के दौरान सोशल मीडिया अन्य मास मीडिया के साधनों की तरह काम करता है। जिसके माध्यम से प्रचार प्रभाव तथा गोपनीय गतिविधियों से सम्बन्धित सूचनायें प्रसारित की जाती हैं। गत दशक में राष्ट्रों के मध्य युद्धों की संख्या में गिरावट आयी है। परन्तु सोशल मीडिया द्वारा कितने संघर्ष हुये हैं इसके आंकड़े नहीं है।

आज जब सोशल मीडिया विरोध ओर विद्रोह के लिये काफी सफल होती दिख रही है, आने वाले दिनों में इसके प्रयोग की संभावना और बढ़ जाती है। स्ट्रैटफोर के विश्लेषक मार्को पैपिक और सीन नूनन के अनुसार सोशल मीडिया ऐसा हथियार है जो क्रांतिकारी संगठनों को सबसे कम कीमत पर भागीदारी, संगठन, जुड़ाव और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करते है।

हाल के वर्षों में पश्चिमी देशों की आसूचना एवं गुप्तचर एजेन्सियों निजी संस्थानों के साथ अनेकों साझा कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य से अध्ययन और विश्लेषण को मजबूत बनाया जा रहा है। इसी क्षेत्र में "सी0आई0ए0" की संस्था "इन क्यू टेल (In-Q-Tel)" ने सोशल मीडिया की निगरानी के लिये इस कार्य में विशेषज्ञ कम्पनी "वीजिबल टेक्नोलोजी" को आर्थिक सहायता दी है।

दुनियां के सभी राष्ट्रों को राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के विरूद्ध प्रभावकारी कदम उठाने के लिये, अपने स्त्रातजिक हितों की सुरक्षा के लिये, आधुनिक प्रतिद्वन्दिता में अपनी दक्षता सिद्ध करने के लिये और सूचना तकनीक के क्षेत्र में नीति निर्धारण और अपने विरोधियों पर हमेशा लाभकारी स्थिति में हावी रहने के लिये सूचना तकनीकी के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त ही करना होगा। इस प्रकार के प्रतिद्वन्दी लाभ के लिये सोशल मीडिया का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से मिली सूचनायें लचीली होती हैं और नीति निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होती हैं।

सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाओं को तीव्र गति से प्रसारित किया जा सकता है और अंतर संस्थानिक सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार सोशल मीडिया प्रभावकारी सूचना को सुनिश्चित कर सकता है। और लोक सेवा की संस्थाओं को अपनी कार्य पद्धति में सुधार के लिये विभिन्न संस्थाओं और स्रोतो से सूचना प्रदान कर सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थाओं के लिये सोशल मीडिया का प्रयोग अपने संस्थागत और कार्य सम्बन्धी सुधार के लिये एक अवसर सिद्ध हो सकता है। इससे जरूरतमंद लोगों को सूचनायें आसानी से पहुंचायी जा सकती है। स्पष्ट है कि इससे संवेदनशील सूचनाओं को रोकने अथवा उन्हें समाप्त करने का महत्वपूर्ण कार्य करके विश्लेषण के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान किया जा सकेगा।

आपातकालीन प्रबन्धन में सोशल मीडिया वैधानिक सहयोग की भूमिका निभा सकती है। समाज में फैले अपराध, अवैधानिक व्यवहार अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों से निपटने में इन्टरनेट से जुड़े समुदाय के सूचनाओं का प्रयोग किया जा सकता है।

सोशल मीडिया केवल संचार, सूचनाओं के प्रसार, सामाजिक–राजनीतिक आयामों के विश्लेषण और आर्थिक वाणिज्यिक प्रचलन में ही प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि घटनाओं, वास्तविकताओं, निश्चित परिस्थितियों के प्रभाव और ग्राह्यताओं, कोई विशेष मुद्दा या व्यक्ति, प्रभाव, पसन्द और व्यवहार आदि के लिये भी किया जाता है। इसलिये सोशल मीडिया संस्थाओं, व्यापार अथवा स्त्रातजी को बुरी तरीके से प्रभावित कर सकती है। और साथ ही साथ लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य भी कर सकती है। इन हथियारों का प्रयोग विरोधियों के नीति निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिये भी किया जा सकता है। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों गतिविधियां शामिल हैं। चूंकि सोशल मीडिया का अपना विशेष गुण होता है। इसलिये इसका प्रयोग प्रभाव डालने, प्रचार करने और धोखा देने के हथियार के रूप में किया जा सकता है।

आजकल मीडिया सूचना के संचारण का एक माध्यम बन गयी है। जो व्यक्ति विशेष से लेकर समूह तथा लोक सेवा संगठनों को अपने में जोड़ती है। इसमें राज्य, निजी एजेन्सियां, कम्पनियां, आंदोलन तथा विरोध को संचालित करने वाले संगठन, आतंकवादी संगठन आदि जुड़े होते है। ऐसे परिदृश्य में किसी व्यक्ति विशेष अथवा समुदाय विशेष को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये वास्तविक जानकारियों और स्त्रातजी के आधार पर काम करने की आवश्यकता है।

21वीं सदी में अमेरिका से प्रारम्भ हुये सोशल मीडिया के प्रभाव ने लगभग पूरे विश्व को अपने तंत्र में समाहित कर लिया है। इसने आधुनिक समाज को एक नयी दिशा दी हैं और यह सब कुछ अति तीव्रगति से हुआ है। 2010 में पूरे संसार से लगभग–2 बिलियन से ज्यादा लोग सोशल मीडिया से अपने आपको जोड़ चुके थे।

निष्कर्ष

आधुनिक परिवेश में मीडिया एक ऐसी संस्थागत तंत्र है जिसके सफल नीतियों के समिश्रण के प्रयोग से आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। विकास की प्रक्रिया और मुख्य रूप से अच्छी नीतियों का अनुकरण राजनीतिक अभिकर्ताओं के आपसी संघर्ष के परिस्थितियों के अनुसार सुनिश्चित होता है। आर्थिक विकास के लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब संघर्ष के खेल को सहयोग के खेल में बदला जा सके और इस कार्य में स्वतंत्र मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती

है। सहयोगात्मक परिपेक्ष्य के लिये स्त्रातजी का चुनाव अभिकर्ताओं पर निर्भर करता है और उनके विश्वास पर निर्भर करता है इसलिये यहां पर ध्यान देना आवश्यक है कि इस विश्वास को संस्थायें कैसे प्रभावित करती हैं।

सभी प्रकार के मीडिया संस्थानाओं, चाहे वे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रानिक मीडिया और इसके साथ–साथ इसके सहयोगी संस्थानों को प्रभावकारी बनाने के लिये इसका निजीकरण होना आवश्यक है। इससे वे निष्पक्ष रूप से वास्तविकता को आम जनता के सामने रख सकते हैं। मीडिया में सरकार की भागीदारी से मीडिया की विश्वसनीयता के साथ समझौता हो सकता है और इस पर लोगों का सन्देह भी हो सकता है। सरकार अपने राजनैतिक लाभ के लिये मीडिया का दुरूपयोग भी कर सकती है।

मीडिया के क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश और उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित करना होगा। विश्व में ऐसे अनेको उदाहरण हैं जहां मीडिया के क्षेत्र में विदेशी भागीदारी और पूंजी निवेश वहां के आर्थिक विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। विदेशी मीडिया अपने प्रसारण के माध्यम से विदेशी पूंजी निवेशकों को होने वाले लाभ पर सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। इससे स्थानीय मीडिया को भी प्रतिद्वन्दिता के वातावरण में अपने कार्यशैली में सुधार लाने का मार्गदर्शन तथा अवसर प्राप्त होगा।

मीडिया संस्थानों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट भी देनी होगी जिससे कि इसके ग्राहकों को मीडिया स्वतंत्र रूप से संतुष्ट कर सके और आर्थिक विकास की नीतियों को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिये सहयोगात्मक माहौल को तैयार किया जा सके। जब आम जनता राजनेताओं और नीति निर्माताओं से अच्छी नीतियों के निर्माण की मांग करेगी और इन नीतियों से बहकाव की स्थिति में उनको दण्डित करने की इच्छा जाहिर करेगी, ऐसे परिवेश में मीडिया एक पारदर्शी स्रोत साबित हो सकती है। स्वच्छद मीडिया आर्थिक विकास में आने वाली बाधाओं के विरूद्ध एक सशक्त हथियार की भूमिका निभा सकता है। इस प्रकार व्यापक परिदृश्य में विभिन्न मुद्दों पर आंतरिक तथा विदेशी मीडिया प्रसारण लोगों को नये रूप में सोचने को प्रेरित कर सकती है और स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार व्यवस्था पर आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकता है।

संदर्भ सूची

- आर.ए. क्लार्क, साइबर बार : द नेक्सट थ्रेटटू नेशनल सेक्योरिटी एण्ड व्हाट टू डू एबाउट इट, हार्पर कोलिन्स, न्यूयार्क
- न्यू एण्ड ओल्ड वार्स, मैरी कैल्डर, पालिटी, 2001
- फोजिंग वार, द मीडिया, थाम्पसन, यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूटन, 1999
- मीडिया अन्डर सीज, मीडिया मानिटरिंग प्रोजेक्ट, 2003
- द वर्क ऑफ मीडिया, डाईवर्सिटी इन्सटीट्यूट
- यू.एस. डिपार्टमेन्ट आफ डिफेन्स, (1995), ज्वाइंट पब्लिकेशन– 1–02 : डिक्शनरी आफ मिलीटरी एण्ड एसोशिएटेड टर्मस अर्लिंगटन कन्ट्री, वी.ए.
- क्यू. लियांग और डब्ल्यू. जियांगसुई, (2001) बुटरा सेन्जा लिमिटी, लाइब्रेरिया एडिट्राइस, जोरिजिआना, जोरिजिआ

- सी.जीन. और पी. सबोना (2011). इन्टेलिजेन्स इकोनामिका, क्वाडर्नी, आई सी.एस.ए., रूबेटिनो, सोबेरिया मनेल्ली।
- यू.एस. डिपार्टमेन्ट आफ डिफेन्स, (1995), ज्वाइंट पब्लिकेशन– 1–02 : डिक्शनरी आफ मिलीटरी एण्ड एसोशिएटेड टर्मस अर्लिंगटन कन्ट्री, वी.ए.
- पी. हीमानेन (2001) लेटिका हैकर एलो इस्पीरीटो डेल इन्फार्मेजिओन, फेल्ट्रीनेली, मिलानो,
- कोपैसर (2010), स्टैबिलीमेन्टी टीपोग्रैफिसी कार्लो कोलम्बो, रोमा।
- http://editors.sipri.se/pubs/yb04mini.pdf
- http://www.impacs.org/
- http://www.ictiss.ca/menu-en.asp
- http://www.i-m-s.dk/?ID=139&SMID=139

EXPRESSION : An International Journal of Social Sciences Volume 7, Issue 1, p.p.-71-85

"चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध शासकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के विज्ञान संकायों की अवस्थापना सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन"

अभिषेक त्यागी
शोधार्थी
डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
अयोध्या

डॉ० जगदीश
रीडर बी०एड० विभाग,
बी०एन०के०बी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
अकबरपुर, अम्बेडकरनगर

शोध सार

प्राचीन भारत में मुनियों एवं महर्षियों ने सभ्यता के उषाकाल में ही शिक्षा के महत्व को समझ लिया था कि उच्च स्तर की शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति, मानवजाति, समाज एवं देश का कल्याण सम्भव है। "विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य प्रशासन, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय तथा ज्ञान विज्ञान में अधिकतम नेतृत्व करना है। आज दुनिया के तमाम देश उच्च विज्ञान शिक्षा और शोध के क्षेत्र में अपना विश्वस्तरीय ढाँचा तैयार कर रहे है, तब हम अपने देश की शिक्षा को दस गुना मंहगी करने की योजना बना रहे है। जो युवा मध्यम वर्ग के साथ खिलवाड़ है। धन के अभाव में प्रतिभाओं का हनन होता है।

प्रस्तावना के आलोक में शोधार्थी द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध शासकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के विज्ञान संकायों की अवस्थापना सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया। जिसमें प्रमुख उद्देश्य अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति का अध्ययन करना। उन उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु परिकल्पनाओं का निर्माण किया। आंकड़ो के एकत्रीकरण एवं विश्लेषणोपरांत शोधार्थी ने पाया है कि तीनों प्रकार के महाविद्यालयों में बी.एस–सी. के पाठ्यक्रम अन्य विषयों के साथ ही संचालित हैं। इनमें निर्मित भवन का क्षेत्रफल, कक्षा–कक्ष, बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ व शुद्ध पानी, आग से बचाव, प्रसाधन कक्ष, प्रयोगशालाएं, खेल के मैदान एवं सुविधाओं, स्वच्छता की व्यवस्था में मानकों के अनुरूप कोई अन्तर नही पाया गया है। जबकि बहुउद्देशीय बड़े कक्ष, पुस्तकालय एवं वाचनालय, पुस्तक उपलब्धता, फोटोकापी मशीन, कम्प्यूटर एवं इण्टरनेट की सुविधा, वाहनों के लिए पार्किंग, शोर एवं प्रदूषण रहित वातावरण के सन्दर्भ मे अन्तर पाया गया है।

प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष शिक्षा जगत हेतु अति उपयोगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों प्रशंसनीय कार्य किये हैं, परन्तु वर्तमान में वास्तविकता यह है इसके द्वारा

निर्धारित मानकों का पालन शायद ही कहीं पूरी तरह होता हो। शिक्षा के मंदिरों के लिये ये आरोप शुभ संकेत नहीं है। धन की कमाई के केन्द्र ये स्ववित्तपोषित संस्थान न बनने पायें, इसके लिये शासन को सजग रहना होगा। शासन की ओर से इस प्रकार के नियम बने कि सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की अपनी वेबसाइट हो जिसमें सभी सूचनाएं उपलब्ध हों। इससे शासन को नीतिगत निर्णय लेने में सुविधा होगी।

प्रस्तावना

भारतीय शिक्षा का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। भारत में शिक्षा का प्रारम्भ उस आदि काल से हुआ था, जब विश्व के अन्य देशों कि निवासी पशुवत जीवन यापन कर रहे थे। प्राचीन भारत में मुनियों एवं महर्षियों ने सभ्यता के उषाकाल में ही शिक्षा के महत्व को समझ लिया था कि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति मानवजाति, समाज एवं देश का कल्याण सम्भव है। इस दृष्टिकोण से अनुप्राणित होकर उन्होंने शिक्षा की समुचित व्यवस्था की थी। अल्तेकर ने लिखा है – "वैदिक युग से आज तक भारतीयों की शिक्षा की मुख्य अवधारणा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमें उचित मार्ग दर्शन देने में रही है, जो कि यह प्रकाश का स्रोत है।"विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य प्रशासन, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय तथा ज्ञान विज्ञान में अधिकतम नेतृत्व करना तथा राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना उत्पन्न करना और जीवन को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करना है अर्थात यदि किसी राष्ट्र में मानवीय संसाधनों के त्वरित विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है तो वह राष्ट्र अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी समुचित विकास नहीं कर पाता। मानवीय संसाधनों के ज्ञान, कुशलता, क्षमता और दक्षता में वृद्धि विज्ञान शिक्षा द्वारा ही सम्भव होती है, परन्तु दुःखद बात यह है कि आज भवन और भौतिक संरचना को अधिक महत्वपूर्ण समझा जा रहा है और सभी समस्या के हल में धन को देखा जाता है, विश्वविद्यालयों में प्रवेश की समस्याओं को देखकर लोगों ने जगह–जगह नए कॉलेज खोले हैं, जब भी उनसे प्रवेश की समस्या हल नहीं हो पाती और सही नियमों का उल्लंघन कर ताक पर रखकर प्रवेश किए जाते हैं। ये ऐसे कॉलेज एवं संस्थान न तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं और न ही इनके पास पर्याप्त भवन एवं संसाधन होते हैं।

आज दुनिया के तमाम देश उच्च शिक्षा, विज्ञान शिक्षा और शोध के क्षेत्र में अपना विश्वस्तरीय ढाँचा तैयार कर रहे है, तब हम अपने देश की शिक्षा को दस गुना मंहगी करने की योजना बना रहे है। जो युवा मध्यम वर्ग के साथ खिलवाड़ है। धन के अभाव में प्रतिभाओं का हनन होता है। भारत अभी इतना सक्षम नहीं हुआ है कि वह मंहगी शिक्षा का भार वहन कर सके। आने वाले ज्ञान एवं विज्ञान के इस युग में उच्च शिक्षा शिक्षित विशाल मानव संसाधन हमारा हथियार बन सकता है और हम उसे ही थोथरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

विज्ञान मानवीय क्रिया का सुव्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान के रूप में प्राप्त किया गया एक पूर्ण उत्पाद

है। यह हमारी सूचनाओं, अवधारणाओं सामान्यीकृत निर्णयों, नियमों और सिद्धान्तों से सम्बन्धित तथ्यों का एक ऐसा उत्पादन है जो कि संचित ज्ञान के विस्तृत भण्डार के आधार पर निर्मित किया गया है। विज्ञान एक ऐसा शास्त्र है जिसमें जैविक एवं अजैविक, सजीव एवं निर्जीव प्राणी, पदार्थों और ऊर्जा या शक्ति के गुणों एवं विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है।

समस्या कथन– "चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध शासकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के विज्ञान संकायों की अवस्थापना सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन"

अध्ययन के उद्देश्य –

अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति का अध्ययन करना। अवस्थापना को पुनः निम्न प्रकार बांटा गया–

- भवन
- खेल का मैदान
- प्रयोगशालाएं
- पुस्तकालय
- पीने का स्वच्छ पानी
- आग से बचाव की व्यवस्था
- प्रसाधन–कक्ष
- वाहनों की पार्किंग व्यवस्था
- स्वच्छता
- प्रदूषण की स्थिति

अध्ययन की परिकल्पनायें –

1. शासकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित विज्ञान विभागों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के मानकों के अनुरूप अवस्थापना सुविधाओं में अन्तर है।

2. तीनों प्रकार के विज्ञान संकायों में प्रयोगाशालाओं की स्थिति में अन्तर है।

उपरोक्त शोध परिकल्पनाओं के परीक्षण हेतु एकांश अनुसार शून्य परिकल्पनाओं में परिवर्तित करके उप परिकल्पनाओं के परीक्षण किये गये हैं।

अध्ययन की विधि – प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने चयनित समस्याओं को जानने के लिये सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श का चयन – प्रस्तुत शोध के प्रतिदर्श में 6 शासकीय, 6 अनुदानित एवं 6 स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों का चयन यादृच्छिक प्रतिचयन विधि से किया गया। साथ ही इन तीनों प्रकार के महाविद्यालयों से 96 शिक्षकों/विभागध्याक्षों एवं 1890 विद्यार्थियों को प्रतिदर्श में सम्मिलित किया गया।

उपकरण – प्रदत्तों के एकत्रीकरण हेतु शोधकर्त्ता द्वारा दो प्रश्नावलियों एवं एक निरीक्षण अनुसूची का विकास किया गया है। प्रतिदर्श में चयनित प्रत्येक महाविद्यालय/विज्ञान संकाय के निरीक्षण के समय विभागाध्यक्ष, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से भी विचार–विमर्श किया गया है। स्वयं निरीक्षण करके सूचनाएं एकत्र की गई हैं।

साख्किीय प्रविधियां – प्रस्तुत शोध में साख्यिकीय प्रविधियों के रूप में सार्थकता के अन्तर को ज्ञात करने के लिये काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं विवेचन –

तालिका–1
प्रशासकीय भवन के लिए भूमि का क्षेत्रफल

कक्ष	धरातल का क्षेत्रफल	
	आवश्यक	वांछनीय
प्राचार्य कक्ष	25 वर्ग मीटर	40 वर्ग मीटर
कर्मचारी कक्ष	60 वर्ग मीटर	100 वर्ग मीटर
कार्यालय कक्ष	40 वर्ग मीटर	50 वर्ग मीटर
भण्डार कक्ष	25 वर्ग मीटर	40 वर्ग मीटर

उपर्युक्त कक्ष प्रत्येक महाविद्यालय / बी.एस–सी. संस्थान में होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश शासन के मानकों के अनुसार– प्रशासनिक कक्ष जिसमें प्राचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष, परीक्षा एवं सभा कक्ष, 80 वर्ग मीटर में निर्मित होनी चाहिए। यह महाविद्यालय के न्यूनतम आवश्यकताओं के अन्तर्गत होंगे। शोधकर्ता द्वारा निरीक्षण एवं वार्तालाप से यह जानकारी हुई कि शासकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल एवं निर्मित भवन का क्षेत्रफल कम नहीं है। तीनों प्रकार के महाविद्यालयों में प्रशासनिक भवन एवं उसके कार्यों के संदर्भ में कोई अन्तर नहीं पाया गया।

तालिका–2
बी.एस–सी. विभाग में कक्षा–कक्ष

	शासकीय महाविद्यालय		अनुदानित महाविद्यालय		स्ववित्तपोषित महाविद्यालय		काई वर्ग का मान
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	
प्रदत्त	501	25	649	21	678	16	5.718
प्रतिशत	95.24	4.75	96.87	3.13	97.7	2.3	सार्थक अन्तर नहीं

यहां पर शासकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की कक्षा–कक्ष सम्बन्धी राय में अन्तर की सार्थकता के परीक्षण हेतु काई वर्ग की गणना की गई गणना में काई वर्ग का मान 5.718 प्राप्त हुआ। काई वर्ग तालिका में 0.05 की सार्थकता पर 2df का मान 5.99 है, अतः स्पष्ट है कि तीनों प्रकार के महाविद्यालयों के कक्षा–कक्ष में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। अतः अवस्थापना सुविधा के अन्तर्गत कक्षा–कक्षा के सन्दर्भ में शोध परिकल्पना अस्वीकृत तथा शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

शोधकर्ता द्वारा निरीक्षण में भी उपर्युक्त तथ्यों की पुष्टि हुई। लगभग सभी महाविद्यालयों के बी. एस–सी. विभागों में 6 अध्ययन कक्षों की पर्याप्त व्यवस्था थी।

तालिका–3
अध्ययन कक्षों में बैठने की व्यवस्था

	शासकीय महाविद्यालय		अनुदानित महाविद्यालय		स्ववित्तपोषित महाविद्यालय		काई वर्ग का मान
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	
प्रदत्त	510	16	652	18	666	28	2.083
प्रतिशत	96.96	3.04	97.31	2.69	95.97	4.03	सार्थक अन्तर नहीं

गणना में काई वर्ग का मान 2.083 प्राप्त हुआ। काई वर्ग तालिका में 0.05 की सार्थकता पर 2df का मान 5.99 है, अतः स्पष्ट है कि तीनों प्रकार के महाविद्यालयों के अध्ययन कक्षों में बैठने की व्यवस्था में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। अतः अवस्थापना सुविधा के अन्तर्गत बैठने की व्यवस्था के सन्दर्भ में शोध परिकल्पना अस्वीकृत तथा शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

शोधकर्ता द्वारा निरीक्षण में भी उपर्युक्त तथ्यों की पुष्टि हुई। परन्तु श्यामपट्ट का आकार कुछ में मानकों के अनुसार नहीं था। शिक्षक की कुर्सी मेज भी 25% महाविद्यालयों में स्तरानुसार नहीं थी।

तालिका–4
बहुउद्देशीय बड़ा कक्ष (हाल)

	शासकीय महाविद्यालय		अनुदानित महाविद्यालय		स्ववित्तपोषित महाविद्यालय		काई वर्ग का मान
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	
प्रदत्त	366	160	380	290	394	300	26.13
प्रतिशत	69.58	30.42	56.72	43.28	56.77	43.23	सार्थक अन्तर

0.05 सार्थकता स्तर पर 2df का मान 5.99 है गणना में काई वर्ग का मान 26.13 प्राप्त हआ है। अर्थात् तीनों प्रकार के महाविद्यालयों में बहुउद्देशीय हाल के सन्दर्भ में शोध परिकल्पना स्वीकृत तथा शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

शोधकर्ता द्वारा निरीक्षण एवं विभागाध्यक्षों से वार्ता में यह तथ्य सामने आया कि स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में बहुउद्देशीय हाल के निर्माण के लिए वहाँ का प्रबन्ध तन्त्र अधिक गम्भीर नहीं था।

तालिका–5
पीने के पानी की व्यवस्था

	शासकीय महाविद्यालय		अनुदानित महाविद्यालय		स्ववित्तपोषित महाविद्यालय		काई वर्ग का मान
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	
प्रदत्त	518	8	649	21	669	23	4.186
प्रतिशत	98.48	1.52	96.87	3.13	96.39	3.61	सार्थक अन्तर नहीं

तीनों प्रकार के महाविद्यालयों के पीने के पानी की व्यवस्था सम्बन्धी राय में अन्तर की सार्थकता की गणना में काई वर्ग का मान 4.186 प्राप्त हुआ। काई वर्ग तालिका में 0.05 सार्थकता के स्तर पर काई वर्ग का मान 5.99 है। अतः तीनों प्रकार के महाविद्यालयों के पीने के पानी की व्यवस्था में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। इस सन्दर्भ में शोध परिकल्पना अस्वीकृत तथा शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

शोधकर्ता द्वारा निरीक्षण में यह पाया गया कि लगभग सभी (दो को छोड़कर) शासकीय एवं अनुदानित महाविद्यालय जनपद मुख्यालयों में स्थित हैं जहाँ पानी की आपूर्ति नगर पालिका के जल संस्थान द्वारा नलों से होती है साथ ही विभाग/महाविद्यालय परिसर में हैण्डपम्प से भी पानी की व्यवस्था है।

तालिका–6
आग से बचाव की व्यवस्था

	शासकीय महाविद्यालय		अनुदानित महाविद्यालय		स्ववित्तपोषित महाविद्यालय		काई वर्ग का मान
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	
प्रदत्त	519	7	660	10	674	20	4.920
प्रतिशत	98.66	1.34	98.50	1.50	97.12	2.88	सार्थक अन्तर नहीं

विद्यार्थियों की राय अनुसार गणना करने पर काई वर्ग का मान 4.920 आया है अर्थात् 0.05 सार्थकता स्तर पर अन्तर सार्थक नहीं है। इस सन्दर्भ में शोध परिकल्पना अस्वीकृत तथा शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है। अर्थात् आग से बचाव की व्यवस्था पर तीनों प्रकार के महाविद्यालयों में गम्भीरता से पालन किया गया है।

शोधकर्ता द्वारा निरीक्षण में भी उपर्युक्त तथ्यों की पुष्टि हुई है। परन्तु कुछ महाविद्यालयों में अग्नि शमक यंत्रों का रख–रखाव सही नहीं पाया गया।

तालिका–7
प्रसाधन – कक्ष

	शासकीय महाविद्यालय		अनुदानित महाविद्यालय		स्ववित्तपोषित महाविद्यालय		काई वर्ग का मान
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	
प्रदत्त	520	6	656	14	672	22	5.75
प्रतिशत	98.86	1.14	97.91	2.09	96.83	3.17	सार्थक अन्तर नहीं

सभी विद्यार्थियों की राय अनुसार काई वर्ग की गणना करने पर मान 5.75 प्राप्त हुआ है अर्थात् 0.05 की सार्थकता स्तर पर अन्तर सार्थक नहीं है। अतः अवस्थापना सुविधा की इस व्यवस्था पर शोध परिकल्पना अस्वीकृत तथा शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है। अर्थात् प्रसाधन कक्षों की व्यवस्था पर तीनों प्रकार के महाविद्यालयों में प्रसाधन सुविधाओं का ध्यान रखा गया है।

शोधकर्ता द्वारा निरीक्षण में यह पाया गया है कि ऐसे महाविद्यालय जहाँ बी.एस–सी. विभाग के अलावा अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित है वहाँ विभाग में अलग से यू०जी०सी० के मानकों के अनुरूप प्रसाधन कक्ष नहीं है। कहीं–कहीं पर कुल एक ही प्रसाधन कक्ष है। लगभग 65 प्रतिशत महाविद्यालयों के प्रसाधन कक्ष पानी की निरन्तर आपूर्ति न होने के कारण स्वच्छ नहीं थे। ज्यादातर महाविद्यालयों में शिक्षकों के प्रसाधन कक्षों की स्वच्छता का ध्यान रखा गया था।

तालिका–8
पुस्तकालय एवं वाचनालय

	शासकीय महाविद्यालय		अनुदानित महाविद्यालय		स्ववित्तपोषित महाविद्यालय		काई वर्ग का मान
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	
प्रदत्त	368	158	398	272	412	282	18.09
प्रतिशत	70	30	59.40	40.60	59.37	40.63	सार्थक अन्तर

काई वर्ग तालिका में 0.05 स्तर पर 2df का मान 5.99 है। गणना से प्राप्त काई वर्ग का मान 18.09 है जो अधिक है अर्थात् तीनों प्रकार के महाविद्यालयों में पुस्तकालय एवं वाचनालय के सन्दर्भ में अन्तर सार्थक है। इस सन्दर्भ में शोध परिकल्पना स्वीकृत तथा शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

शोधकर्ता द्वारा यू०जी०सी०/विश्वविद्यालय के इस सम्बन्ध में बनाये गये मानकों का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में बी.एस–सी. विभागों के विभागाध्यक्षों एवं प्राचार्यों से वार्तालाप में कई कारण स्पष्ट हुए हैं। शासकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के प्रदत्त में चयनित एक महाविद्यालय के अलावा सभी महाविद्यालयों के बी.एस–सी. विभागों में कोई विभागीय पुस्तकालय नहीं है। महाविद्यालयों का पुस्तकालय ही बी.एस–सी. छात्रों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ वाचनालय की भी सुविधाएँ हैं परन्तु भवन के क्षेत्रफल के मानकों में पूरे खरे नहीं उतरते। इन महाविद्यालयों के वाचनालयों में यू०जी०सी० के मानक के अनुसार 25 प्रतिशत छात्रों के बठने की सुविधाएं हैं।

तालिका–9
पुस्तकों की उपलब्धता

	शासकीय महाविद्यालय		अनुदानित महाविद्यालय		स्ववित्तपोषित महाविद्यालय		काई वर्ग का मान
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	
प्रदत्त	450	76	612	58	600	94	11.58
प्रतिशत	85.55	14.45	91.34	8.66	86.45	13.55	सार्थक अन्तर

तीनों प्रकार के महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की राय जानने के बाद काई वर्ग की गणना की गई जिसमें काई वर्ग का मान 11.58 प्राप्त हुआ है काई वर्ग तालिका में 0.05 स्तर का 2df का मान

5.99 है। अर्थात् प्राप्त मान 5.99 से अधिक है।

अर्थात् तीनों प्रकार के महाविद्यालयों के छात्रों को मिलने वाली पुस्तकों के सन्दर्भ में पर्याप्त अन्तर है। इस सन्दर्भ में शोध परिकल्पना स्वीकृत तथा शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है। अर्थात् बी.एस–सी. विभाग की अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत शासकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के छात्रों को पुस्तकालय से पुस्तकें उपलब्ध होने के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर पाया गया। शासकीय व अनुदानित महाविद्यालयों के छात्रों को अधिक पुस्तकें मिलती रहीं, एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के छात्रों को उनकी तुलना में कम पुस्तकें उपलब्ध कराई गई।

शोधकर्ता द्वारा निरीक्षण में भी उपर्युक्त तथ्यों की इस आधार पर पुष्टि हुई कि शासकीय व अनुदानित महाविद्यालयों के छात्रों की तुलना में स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के छात्रों के लिए पुस्तकालयों में पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी।

तालिका–10
पुस्तकालय में फोटोकॉपी, कम्प्यूटर एवं इण्टरनेट की सुविधा

	शासकीय महाविद्यालय		अनुदानित महाविद्यालय		स्ववित्तपोषित महाविद्यालय		काई वर्ग का मान
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	
प्रदत्त	460	66	600	70	550	144	31.63
प्रतिशत	87.45	12.55	89.55	10.45	79.25	20.75	सार्थक अन्तर है।

कोई वर्ग तालिका में 0.05 विश्वास स्तर पर 2df का मान 5.99 है। गणना से प्राप्त काई वर्ग का मान 31.63 बहुत अधिक है। अर्थात् 0.05 स्तर पर काई वर्ग का मान यह स्पष्ट करता है कि अन्तर सार्थक है। इस सन्दर्भ में शोध परिकल्पना स्वीकृत तथा शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

शोधकर्ता ने निरीक्षण में पाया कि चयनित प्रतिदर्श के लगभग 75 प्रतिशत शासकीय व अनुदानित महाविद्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध है, परन्तु बिजली की निरन्तर आपूर्ति न होने के कारण इसका लाभ पूरी तरह छात्रों को नहीं मिल पाता। कम्प्यूटर एवं इण्टरनेट की कार्यप्रणाली की जानकारी अधिकांश छात्रों को नहीं है।

तालिका–11
भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला

	शासकीय महाविद्यालय		अनुदानित महाविद्यालय		स्ववित्तपोषित महाविद्यालय		काई वर्ग का मान
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	
प्रदत्त	490	36	612	58	625	69	3.64
प्रतिशत	93.16	6.84	91.34	8.66	90.06	9.94	सार्थक अन्तर नहीं है।

तीनों प्रकार के महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की राय जानने के बाद काई वर्ग की गणना की गई, जिसमें काई वर्ग का मान 3.64 प्राप्त हुआ है। काई वर्ग तालिक में 0.05 सार्थकता स्तर पर 2df का मान 5.99 है। अतः स्पष्ट है कि तीनों प्रकार के महाविद्यालयों में भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला की व्यवस्था के सन्दर्भ में शोध परिकल्पना अस्वीकृत तथा शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

शोधकर्ता द्वारा इन महाविद्यालयों के बी.एस–सी. संकायों के निरीक्षण एवं शिक्षकों से वार्तालाप में अन्तर के कारण चिन्हित नहीं हुए है।

तालिका–12
रसायन विज्ञान प्रयोगशाला

	शासकीय महाविद्यालय		अनुदानित महाविद्यालय		स्ववित्तपोषित महाविद्यालय		काई वर्ग का मान
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	
प्रदत्त	494	32	617	53	627	67	5.18
प्रतिशत	93.92	6.08	92.09	7.91	90.35	9.65	सार्थक अन्तर नहीं है।

तीनों प्रकार के महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की राय जानने के बाद काई वर्ग की गणना की गई, जिसमें काई वर्ग का मान 5.18 प्राप्त हुआ है। काई वर्ग की तालिका में 0.05 स्तर पर 2df का मान 5.99 है अतः स्पष्ट है कि तीनों प्रकार के महाविद्यालयो की रसायन विज्ञान प्रयोगशालों की व्यवस्था में काई सार्थक अन्तर नहीं है। अतः अवस्थापना सुविधा के अन्तर्गत रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की व्यवस्था के सन्दर्भ में शोध परिकल्पना अस्वीकृत तथा शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

तालिका–13
जन्तु विज्ञान/जैव तकनीकी/सूक्ष्म जैविकी प्रयोगशाला

	शासकीय महाविद्यालय		अनुदानित महाविद्यालय		स्ववित्तपोषित महाविद्यालय		काई वर्ग का मान
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	
प्रदत्त	488	38	614	56	624	70	3.22
प्रतिशत	92.78	7.22	91.64	8.36	89.91	10.09	सार्थक अन्तर नहीं है।

तीनों प्रकार के महाविद्यालयों के इस प्रयोगशाला की व्यवस्था के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की राय जानकर काई वर्ग की गणना की गयी है, जिसमें काई वर्ग का मान 3.22 प्राप्त हुआ है। काई वर्ग तालिका में 0.05 सार्थकता स्तर पर 2df का मान 5.99 है। अतः स्पष्ट है कि तीनों प्रकार के महाविद्यालयों की जन्तु विज्ञान/जैव तकनीकी/सूक्ष्म जैविकी प्रयोगशालाओं की व्यवस्था में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। इस सन्दर्भ में शोध परिकल्पना अस्वीकृत तथा शून्य परिकल्पना स्वीकृत

की जाती है। शोधकर्ता द्वारा निरीक्षण में भी उपर्युक्त तथ्यों की पुष्टि हुई है।

तालिका–14
वनस्पति विज्ञान प्रयोगशाला

	शासकीय महाविद्यालय		अनुदानित महाविद्यालय		स्ववित्तपोषित महाविद्यालय		काई वर्ग का मान
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	
प्रदत्त	321	205	380	290	394	300	2.85
प्रतिशत	61.03	38.97	56.72	43.28	56.77	43.23	सार्थक अन्तर नहीं है।

तीनों प्रकार के महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की राय जानने के बाद काई वर्ग का मान 2.85 प्राप्त हुआ है। तालिका में 0.05 स्तर पर काई वर्ग का मान 5.99 है। अतः स्पष्ट है कि तीनों प्रकार के महाविद्यालयों की वनस्पति विज्ञान प्रयोगशाला की व्यवस्था के सन्दर्भ में शोध परिकल्पना अस्वीकृत तथा शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है। शोधकर्ता द्वारा निरीक्षण में भी उपर्युक्त तथ्यों की पुष्टि हुई है।

तालिका–15
वाहनों की पार्किंग व्यवस्था

	शासकीय महाविद्यालय		अनुदानित महाविद्यालय		स्ववित्तपोषित महाविद्यालय		काई वर्ग का मान
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	
प्रदत्त	364	162	413	257	391	303	20.97
प्रतिशत	69.20	30.80	61.64	38.36	56.34	43.66	सार्थक अन्तर है।

उपर्युक्त प्रदत्तों की गणना से काई वर्ग का मान 20.97 प्राप्त हुआ है। काई वर्ग तालिका में 0.05 सार्थकता स्तर पर 2df का मान 5.99 है, जो गणना से प्राप्त मान से बहुत कम है। अर्थात अन्तर सार्थक है। तीनों प्रकार के महाविद्यालयों के प्रदत्तों में सार्थक अन्तर है। इस सन्दर्भ में शोध परिकल्पना स्वीकृत तथा शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है। शोधकर्ता द्वारा निरीक्षण में पाया गया कि अधिकांश शासकीय, अनुदानित महाविद्यालयों में छात्रों के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था के लिए पर्याप्त स्थान तो था परन्तु उनके ऊपर किसी प्रकार के शेड की व्यवस्था नहीं थी और यदि किसी महाविद्यालय में शेड था, तो वह वाहनों की संख्या के अनुसार पर्याप्त नहीं था।

तालिका–16
खेल का मैदान एवं खेलों की सुविधायें

	शासकीय महाविद्यालय		अनुदानित महाविद्यालय		स्ववित्तपोषित महाविद्यालय		काई वर्ग का मान
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	
प्रदत्त	480	46	600	70	620	74	1.396
प्रतिशत	91.25	8.75	89.55	10.45	89.34	10.66	सार्थक अन्तर नहीं है।

उपर्युक्त प्रदत्तों की गणना में काई वर्ग का मान 1. 396 प्राप्त हुआ। काई वर्ग तालिका में 0.05 सार्थकता स्तर पर 2df का मान 5.99 है, जो गणना से प्राप्त मान से अधिक है अर्थात सार्थक अन्तर नहीं है। इस सन्दर्भ में शोध परिकल्पना अस्वीकृत तथा शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

शासकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की राय अनुसार बहुसंख्य छात्र खेल का मैदान एवं खेलो की सुविधायें को पर्याप्त मानते है, अर्थात् एक जैसी ही है। अतः शून्य परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है।

शोधकर्ता द्वारा निरीक्षण में भी तथ्यों की पुष्टि हुई है। खेलों में रूचि न लेने वाले विद्यार्थियों से खेलो के सम्बन्ध में नकारात्मक उत्तर प्राप्त होने की संभावनायें होती है।

तालिका–17
महाविद्यालय / बी.एस–सी. विभाग में स्वच्छता

	शासकीय महाविद्यालय		अनुदानित महाविद्यालय		स्ववित्तपोषित महाविद्यालय		काई वर्ग का मान
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	
प्रदत्त	400	126	500	170	510	184	1.03
प्रतिशत	76.05	23.95	74.63	25.37	73.49	26.51	सार्थक अन्तर नहीं है।

उपर्युक्त तालिकानुसार प्रदत्तों की गणना में काई वर्ग वर्ग का मान 1.03 प्राप्त हुआ, काई वर्ग तालिका में 0.05 सार्थकता स्तर पर 2df का मान 5.99 है जो गणना में प्राप्त काई वर्ग के मान से अधिक है अतः तीनों प्रकार के महाविद्यालयों में स्वच्छता के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर नहीं है। इस सन्दर्भ में शोध परिकल्पना अस्वीकृत तथा शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है। शोधकर्ता द्वारा निरीक्षण में भी उपर्युक्त तथ्यों की पुष्टि हुई है।

तालिका–18
शान्त एवं प्रदूषण रहित वातावरण

	शासकीय महाविद्यालय		अनुदानित महाविद्यालय		स्ववित्तपोषित महाविद्यालय		काई वर्ग का मान
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	
प्रदत्त	401	125	523	147	609	85	32.21
प्रतिशत	76.24	23.76	78.06	21.94	87.75	12.25	सार्थक अन्तर नहीं है।

उपर्युक्त तालिकानुसार प्रदत्तों की गणना से प्राप्त काई वर्ग का मान 32.21 प्राप्त हुआ है। काई वर्ग तालिका में 0.05 सार्थकता स्तर पर 2df का मान 5.99 है। जो गणना में प्राप्त मान से कम है। अर्थात् शासकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों/बी.एस–सी. विभागो में शान्त एवं प्रदूषण रहित वातावरण के सन्दर्भ में पर्याप्त अन्तर हैं। इस सन्दर्भ में शोध परिकल्पना स्वीकृत तथा शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

शोधकर्ता द्वारा निरीक्षण में यह पाया गया कि एक–दो महाविद्यालयों को छोड़कर सभी शासकीय व अनुदानित महाविद्यालय जनपद मुख्यालयों में शहर के आवागमन के मुख्य मार्ग के किनारे स्थित हैं। सामान्यतः वहां शोर भी है और कुछ न कुछ प्रदूषित वायु मण्डल भी। शोर की तीव्रता शोर प्रदूषण के दायरे में तो नहीं आती फिर भी उसे शान्त वातावरण भी नहीं कहा जा सकता।

निष्कर्ष – वर्तमान शोध में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं

- तीनों प्रकार के महाविद्यालयों में बी.एस–सी. के पाठ्यक्रम अन्य विषयों के साथ ही संचालित हैं। इनमें भूमि का क्षेत्रफल एवं बी.एस–सी. के लिए निर्मित भवन का क्षेत्रफल यू०जी०सी०/विश्वविद्यालय के नये मानकों के अनुरूप पाया गया। बी.एस–सी. के लिए अलग से प्रशासकीय भवन निर्मित नहीं है।
- तीनों प्रकार के महाविद्यालयों में कक्षा–कक्ष मानकों के अनुसार निर्मित है तथा तीनों प्रकार के महाविद्यालयों में इस सन्दर्भ में कोई अन्तर नहीं है।
- अध्ययन कक्षों में बैठने की व्यवस्था मानकों के अनुरूप है। अध्ययन कक्षों के फर्नीचर की गुणवत्ता एवं व्यवस्था में तीनों प्रकार के महाविद्यालय में कोई विशेष अन्तर नहीं है।
- बी.एस–सी. के अनेकों कार्यक्रम के लिए एक बहुउद्देशीय बड़े कक्ष के मानक निर्धारित हैं। तीनों प्रकार के महाविद्यालयों में इस सन्दर्भ में सार्थक अन्तर है।
- तीनों प्रकार के महाविद्यालयों में स्वच्छ एवं शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर नहीं है। स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में शासकीय, अनुदानित महाविद्यालयों की तुलना में यह व्यवस्था कम अच्छी है।
- संस्थान के भवनों में आग से बचाव की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अध्ययन में पाया गया कि

तीनों प्रकार के महाविद्यालयों में आग से बचाव की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। परन्तु तीनों में सार्थक अन्तर नहीं है।

• यू०जी०सी०/विश्वविद्यालय के मानकों में छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग प्रसाधन कक्ष होना चाहिए। यह सुविधा शासकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की तुलना में अधिक अच्छी है। परन्तु तीनों में सार्थक अन्तर नहीं है।

• महाविद्यालय/विज्ञान संकाय में पुस्तकालय एवं वाचनालय यू०जी०सी०/विश्वविद्यालय के मानकों के अनुरूप होना चाहिए। अध्ययन में पाया गया कि तीनों प्रकार के महाविद्यालयों में पुस्तकालय एवं वाचनालय मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये। इस संदर्भ में स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की तुलना में शासकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों की स्थिति अधिक अच्छी है। तीनों में सार्थक अन्तर है।

• पुस्तकालयों में पुस्तकों के सम्बन्ध में यू०जी०सी०/विश्वविद्यालय ने बी.एस-सी. के लिए मानक निर्धारित किये हैं। शोध में पाया गया कि तीनों प्रकार के महाविद्यालयों में मानक के अनुसार पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। शासकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों की तुलना में स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के पुस्तकालय अच्छी स्थिति में नहीं है। तीनों में सार्थक अन्तर है।

• पुस्तकालय में फोटोकापी मशीन, कम्प्यूटर एवं इण्टरनेट की सुविधा स्ववित्तपोषित महाविद्यालय की तुलना में, शासकीय एवं अनुदानित महाविद्यालय में अधिक अच्छी है। तीनों में सार्थक अन्तर पाया गया। तीनों प्रकार के महाविद्यालय इस संदर्भ में मानकों का पालन उचित रूप सें नहीं करते।

• तीनों प्रकार के महाविद्यालयों में मानकों के अनुरूप उपकरण युक्त भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान/जैव तकनीकी/सूक्ष्म जैविकी एवं वनस्पति विज्ञान की प्रयोगशालाएँ उपलब्ध है। शासकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों में, स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की तुलना में स्थिति अधिक अच्छी है परन्तु तीनों में सार्थक अन्तर नहीं है।

• प्रत्येक महाविद्यालय/विज्ञान संकाय में वाहनों के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। शासकीय महाविद्यालयों के 69.20%, अनुदानित महाविद्यालयों के 61.64% एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के 56.34% छात्रों का मानना है कि उनके यहाँ इस प्रकार की उचित व्यवस्था नहीं है। इस सुविधा के संदर्भ में तीनों प्रकार के महाविद्यालयों में सार्थक अन्तर पाया गया।

• महाविद्यालय/विज्ञान संकाय में खेल का पर्याप्त मैदान एवं विभिन्न खेलों की सुविधाएँ होनी चाहिए। तीनों प्रकार के महाविद्यालयों के लगभग 14% छात्र अपने यहाँ इन सुविधाओं से संतुष्ट नहीं हैं। इस संदर्भ में तीनों प्रकार के महाविद्यालयों में सार्थक अन्तर नहीं है।

• स्ववित्तपोषित महाविद्यालयो के 73.49% शासकीय महाविद्यालयों के 76.05% व अनुदानित महाविद्यालयों के 74.63% छात्र स्नातक विज्ञान संकाय में स्वच्छता से संतुष्ट हैं। तीनों प्रकार के महाविद्यालयों में स्वच्छता के संदर्भ में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।

• यू०जी०सी०/विश्वविद्यालय के मानक के अनुसार महाविद्यालय शोर एवं प्रदूषण रहित क्षेत्र में स्थापित किया जाये। तीनों प्रकार के महाविद्यालयों के छात्रों का बहुमत महाविद्यालय में वातावरण को शांत एवं प्रदूषण रहित मानता है परन्तु स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के 12.25% शासकीय महाविद्यालय के 23.76% एवं अनुदानित महाविद्यालयों के 21. 94% छात्र ऐसा नहीं मानते। तीनों प्रकार के महाविद्यालयों में इस संदर्भ में सार्थक अन्तर है।

शैक्षिक निहितार्थ – वर्तमान शोध में जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के विज्ञान संकायों की यू०जी०सी० एवं राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों के लिये निर्धारित मानकों के अनुरूप अवस्थापना सुविधाओं से सम्बंधित समस्याओं, कमियों को दूर करके उनकी शैक्षिक प्रगति को सुनिश्चित करने हेतु कई बिन्दु स्पष्ट हुए हैं इनका सम्बन्ध विज्ञान विषय से सम्बन्धित छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, महाविद्यालयों, शासन एवं विश्वविद्यालयों से है।

प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष शिक्षा जगत हेतु अति उपयोगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य सरकार ने विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों प्रशंसनीय कार्य किये हैं, परन्तु वर्तमान में वास्तविकता यह है इसके द्वारा निर्धारित मानकों का पालन शायद ही कहीं पूरी तरह होता हो। मानक वह है जो माना जाए न कि मनमानी करने के लिये। शिक्षा के मंदिरों के लिये ये आरोप शुभ संकेत नहीं है। धन की कमाई के केन्द्र ये स्ववित्तपोषित संस्थान न बनने पायें, इसके लिये शासन को सजग रहना होगा। शासन की ओर से इस प्रकार के नियम बने कि सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की अपनी वेबसाइट हो जिसमें सभी सूचनाएं उपलब्ध हों। इससे शासन को नीतिगत निर्णय लेने में सुविधा होगी।

सन्दर्भ सूची –

- अल्टेकर डा० ए.एस. एजुकेशन इन ऐंसिएण्ट इण्डिया, वाराणसी : नन्द किशोर एण्ड ब्रदर्स, 1965
- अशोक कुमार दुबे, उच्च शिक्षा में स्ववित्तपोषित शिक्षण संस्थानों की व्यावहारिक उपादेयता, एन०सी०ई०आर०टी०, नई दिल्ली, जुलाई – अक्टूबर 2006
- ब्राउन, जे., टीचिंग ऑफ साइंस इन स्कूल यूनिवर्सिटी लन्दन, 1945
- इन्टर्नशिप इन टीचिंग, न्यू देल्ही : एन०सी०ई० आर०टी०, 1964
- एन०सी०ई०आर०टी०, मेरठ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन रिफोर्म, मेरठ यूनिवर्सिटी, मेरठ 2004
- सटक्लिफ, ए, स्कूल लेबोरेट्री मैनेजमेंट, जॉन, मुरे लन्दन, 1950
- कोठारी सी. आर., रिसर्च मेथाडोलाजी, न्यू देल्ही, विश्व प्रकाशन – 2002
- किलपैट्रिक, एफ०एल०, पॉलिसीज ऑफ साइंस एजुकेशन, न्यूयार्क टीचर ऑफ कालेज प्रेस, 1960
- रेखा यादव, 2005, ए कम्प्रेटिव स्टडी आफ सेल्फ–फाइनेसिंग एण्ड ट्रेडिशनल टीचर ट्रेनिंग कालेजेज, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज़, टीचिंग स्किल्स सेल्फ कनसेप्ट ऑफ प्युपिल टीचर्स

- डेविड न्यूहाउस एवं कैथलीन बीगल, द इफेक्ट आफ स्कूल टाईप ऑन एकेडमिक एचीवमेंट : एविडेन्स फ्राम इंडोनेशिया; जर्नल आफ ह्यूमन रिर्सोसिज़, यूनिवर्सिटी आफ विनकोनसिन प्रेस 2006, वोल्यूम 41, इशू 3, पेज 529—557

EXPRESSION : An International Journal of Social Sciences Volume 7, Issue 1, p.p.-86-92

सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का प्रभाव और कानून

सुषमा देवी
शोधकर्ता
बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ

सारांश

इन्टरनेट के विकास ने मानवीय संचार के नये माध्यमों को विकसित किया है आज के दौर में सोशल मीडिया मानवीय विचारों के आदान–प्रदान का एक सशक्त माध्यम है सोशल मीडिया ऐसी वेबसाइट होती है जिनके जरिये आम लोग उक्त माध्यम में शामिल सभी सदस्यों के साथ अपने विचारों और सूचनाओं, फोटो एवं विडियो आदि को सांझा कर सकते है। सोशल मीडिया के अत्यधिक लोकप्रिय होने का कारण इसकी लोकतांत्रिक प्रकृति है। सूचना समान्यवाद के इस युग में सोशल मीडिया सूचना के मुक्त प्रवाह का विकल्प बन कर उभर रहा है। जहाँ सोशल मीडिया ने एक तरफ पूरी दुनिया को एक घर बना दिया है वही फेक न्यूज का इस्तेमाल हर क्षेत्र में किया जा रहा है किसी विशेष व्यक्ति की छवि खराब करने के लिए राजनीति लाभ के लिए, प्रचार–प्रसार के लिए ऑनलाइन शेयरिंग बढ़ाकर क्लिक रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया फेक न्यूज पर चिंतित है। फेक न्यूज को लेकर लोगो को जागरूक होने का समय आ गया है। समाचार की निगरानी और समाचार को परखने के पुराने का समय आ गया है। ये सही है कि सोशल मीडिया जैसे माध्यमों पर ये रोक कठिन लेकिन प्रौद्योगिक जगत अगर कड़ा इनक्रिप्टेड वातावरण अपने संवादो के लिए बना सकता है तो फेक न्यूज की पहचान और रोक के लिए भी कड़े कानून बनाये जा सकते है।

कानाफूसी या अफवाह को समाज में किसी भी दौर में रोका नही जा सकता है। जैसे–सोशल मीडिया से काफी पहले के दौर में गणेश मूर्ति के दूध पीने की 'खबर' भला कोई कैसे भूल सकता है। लेकिन यही कानाफूसी सोशल मीडिया जैसे प्लेटफार्मो पर त्वरित प्रसार कर त्वरित नुकसान का कारण बन जाती है। बड़े कानून ही फेक न्यूज का एक उपाय हो सकता है।

महत्वपूर्ण शब्द–फेक न्यूज, सोशल मीडिया, कानून, फर्जी खबरें, मीडिया

प्रस्तावना

सोशल मीडिया पर फर्जी खबरे (Fake News) व वायरल पोस्ट (Viral Post) को नियंत्रित करने के लिए देश में लंबे समय से कवायद चल रही है, लेकिन अब तक सब नाकाम रही हैं। आज सोशल मीडिया अभिव्यक्ति के ऐसे विकसित मंच के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है, जहाँ सब कुछ गोली की तरह तेज और तुरन्त चलता है। यहां जितनी

तेजी से विचारों का प्रवाह होता है, उतनी ही तीव्रता से उनपर प्रतिक्रियाएं भी आती है और उनका प्रसार भी होता जाता है। मीडिया के पारंपरिक माध्यमों में ऐसी तीव्रगामी प्रतिक्रिया की कोई व्यवस्था नहीं है, परंतु सोशल मीडिया इस मामले में विशिष्ट है। इसकी इस विशिष्टता के अच्छे और बुरे दोनो परिणाम सामने आने लगे हैं। अगर आप मीडिया इंडस्ट्री से हैं या नजदीक से जुड़े हैं तो आप जानते ही होंगे कि फेक न्यूज क्या हैं। यह एक तरह की पीत पत्रकारिता (येलो जर्नलिज्म) है। इसके तहत किसी के पक्ष में प्रचार करना व झूठी खबर फैलाने जैसे कृत्य आते है। किसी व्यक्ति या संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाने या लोगों को उसके खिलाफ झूठी खबर के जरिए भड़काने की कोशिश फेक न्यूज है। सनसनीखेज और झूठी खबरों, बनावटी हेडलाइन के जरिए अपनी रीडरशिप और ऑनलाइन शेयरिंग बढ़ाकर क्लिक रेवेन्यू बढ़ाना भी फेक न्यूज की श्रेणी में आते हैं। फेक न्यूज किसी भी सटायर या पैरोडी से अलग है। क्योंकि इनका मकसद अपने पाठकों का मनोरंजन करना होता है, जबकि फेक न्यूज का मकसद पाठक को बरगलाने का होता है। इन सोशल साइट्स की आलोचना इस बात पर भी हो रही है कि वे गलत जानकारी को रोकने में लगभग नाकाम हैं। सोशल मीडिया में कुछ लोग नफरत फैलाने व गाली गलौंच की सीमा को लांघ चुके है। दुनिया भर में फेक न्यूज चिंता का विषय बनी हुई है। विभिन्न देशों की सरकारे फेक न्यूज के असर और समाज में इससे फैलने वाली अशांति से परेशान है। चुनावों के दौरान फेक न्यूज को कई राजनीतिक दल हथियार भी बनाते है। वही, इससे सौहाद्र बिगड़ने के भी कुछ मामले सामने आए हैं। यह एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसमें सभी धर्म, जाति, उम्र तथा आर्थिक हैसियत वालो को वैचारिक स्वतन्त्रता मिली हुई है। शोधार्थी का उद्देश्य फेक न्यूज का लोगों पर प्रभाव और दूरगामी परिणाम का अध्ययन करना है।

साहित्य का पुनर्वलोकन

सोशल मीडिया सकारात्मक भूमिका अदा करता है जिससे किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह और देश आदि को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया के जरिए ऐसे कई विकासात्मक कार्य हुए है जिनमें कि लोकतंत्र को समृद्ध बनाने का काम हुआ है जिससे किसी भी देश की एकता, अखंडता, पंथनिरपेक्षता समाजवादी गुणों में अभिवृद्धि हुई है।

हम ऐसे कई उदाहरण देखते है, जो कि उपरोक्त बातों को पुष्ट करते है जिनमें 'INDIAAGAINST CORRUPTION' को देख सकते है, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ महाअभियान था जिसे सड़कों के साथ–साथ सोशल मीडिया पर भी लड़ा गया जिसके कारण विशाल जनसमूह अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ा और उसे प्रभावशाली बनाया।

2014 के आम चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों ने जमकर सोशल मीडिया का उपयोग कर आमजन को चुनाव के जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इस आम चुनाव में सोशल मीडिया के उपयोग से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा साथ ही साथ युवाओं को चुनाव के प्रति जागरूकता बढ़ी। सोशल

मीडिया के माध्यम से ही 'निर्भया' को न्याय दिलाने के लिए विशाल संख्या में युवा सड़को पर आ गए जिससे सरकार दबाव में आकर एक नया एवं ज्यादा प्रभावशाली कानून पर मजबूर हो गई।

लोकप्रियता के प्रसार में सोशल मीडिया पर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहाँ व्यक्ति स्वयं को अथवा अपने किसी उत्पाद को ज्यादा लोकप्रिय बना सकता है। आज फिल्मों के टेलर, टीवी प्रोग्राम का प्रसारण भी सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। वीडियों तथा ऑडियो चैट भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुगम हो पाई है जिनमें फेसबुक, व्हॉटसऐप, इंस्टाग्राम कुछ प्रमुख प्लेटफार्म है यह एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसमें सभी, धर्म, जाति, उम्र तथा आर्थिक हैसियत वालों को वैचारिक स्वतन्त्रता मिली हुई है। निसंदेह पिछले डेढ़ दशक में सोशल मीडिया ने भारत के सामाजिक स्वरूप और मानव स्वभाव में बड़े बदलाव किए है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एआईएमएआई के पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर छह माह में सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या 17–18 फीसदी की दर से बढ़ रही है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत में सोशल मीडिया यूजर्स की कुल संख्या 50 करोड़ से ऊपर पहुंच गयी है, इनमें से फेसबुक से 27 करोड़, व्हाटसएप से 20 करोड़ तथा ट्विटर से 3.3 करोड़ यूजर्स जुड़े हुए है। इसका मतलब देश की लगभग आधी आबादी बड़ी तेजी से एक ऐसे समाज में तब्दील हो रही है जो सोशल मीडिया के जरिए ही अपने सामाजिक सारोकारों को पूरे कर रहे है। वैसे तो सोशल मीडिया से सभी आयु के लोग जुड़े हुए है परन्तु इस मीडिया के उपयोग में युवा वर्ग सबसे आगे है जो देश के भविष्य के साथ–साथ विकास और बदलाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं एक शोध के मुताबिक देश के 84 फीसदी युवा सोशल मीडिया प्लेटफार्म से जुड़े हुए है। संचार की इस नई तकनीक ने एक नई दुनिया को जन्म दिया हैं सोशल मीडिया लोगों को पास लाने का जरिया बनकर उभरा है, तो इसके जरिये कोई खबर काफी तेजी से बहुत दूर तक फैल जाती है। यह हम सभी जानते हैं, मगर एक अध्ययन में कहा गया है कि झूठी खबरें फैलाने में भी इस मंच का उसी तरह इस्तेमाल होता है, जैसे साधारण खबर। मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुए अध्ययन में कहा गया है कि सोशल मीडिया से झूठी खबरे छह गुना अधिक तेजी से फैलती है। इस अध्ययन में 2006 से 2016 के बीच माइक्राब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट की गई 1.26 लाख खबरों का आकलन किया गया। इस दौरान देखा गया कि झूठी खबर 70 फीसदी अधिक बार रीट्वीट की गई। पिछले कुछ साल में फेक न्यूज को लेकर दुनियाभर में बवाल मचा है। खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार–बार फेक न्यूज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि फेक न्यूज जैसा शब्द सिर्फ पश्चिमी जगत के मीडिया में ही हो। भारत में भी इसका खूब इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। दरअसल फेक न्यूज बड़ी समस्या हैं जिसके तहत किसी की छवि को धूमिल करने या अफवाह फैलाने के लिए झूठी खबर पब्लिश की जाती है। ऐसी झूठी खबरो पर रोक लगाने की पहल दुनियाभर में चल रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। प्रमुख शोधकर्ता और शोध के सह लेखक देब रॉय का कहना है

कि सही खबर को तलाशने और 1500 लोगों तक पहुंचने में छह गुना अधिक समय लगता है। प्रोफेसर रॉय का कहना है कि सच्ची खबरों के मुकाबले झूठी खबरे या जानकारियां ज्यादा दूर तक और ज्यादा लोगों तक पहुंच जाती है। यह अध्ययन साइंस पत्रिका में प्रकाशित हो चुका है। प्रोफेसर रॉय एमआईटी की लैबोरेटरी फॉर सोशल मशीन्स चलाते है और वह ट्वीटर के पूर्व मुख्य मीडिया वैज्ञानिक भी रह चुकी है। उन्होंने कहा कि अध्ययन के नतीजों से उनकी टीम चकित और हतप्रभ थी। यह अध्ययन हमारे ऑनलाइन संपर्क तंत्र पर नई रोशनी डालेगा। साथ ही सोशल मीडिया पर कोई भी जानकारी साझा करने के मौलिक पक्ष को समझना आसान होगा।

सूचनाओं को वायरल करने में सोशल मिडिया यूजर्स का हाथ होता है। बतौर रिपोर्ट, ट्वीटर पर झूठी या भ्रामक सूचनाओं वाली पोस्ट सच या असली सूचनाओं वाली पोस्ट से छः गुणा तेजी से लोगों तक पहुँचती हैं।

इसे एक उदाहरण के जरिए समझा जा सकता हैं, एमआईटी के स्टूडैंटस को लेकर एक रिसर्च की, इस रिसर्च में उन्होनें साल 2006 से लेकर अब तक के ट्वीटर पर करीब 126,000 न्यूज आइटम की पड़ताल की, इन न्यूज को 3 मिलियन यूजर्स द्वारा लगभग 4.5 मिलियन बार शेयर किया गया था, इनमें से जब उन्होनें सही और सच्ची घटनाओं वाली ट्वीटस की पड़ताल की तो पता चला कि ऐसी ट्वीट की पहुँच मुश्किल से एक हजार लोगों तक रही थी, जबकी झूठी सूचनाओं वाली ट्वीट दस हजार लोगों तक पहुँच रही थी।

इसकी पुष्टि बजफीड के एक सर्वे में भी होती हैं, इस सर्वे के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के तीन महीने पहले बीस बड़ी फेक न्यूज को बीस सच खबरो से ज्यादा रिस्पांस मिला था, इस दौरान फेसबुक पर झूठी खबरो को 8,711,000 लाइकस, शेयर और कमेंट मिलें जबकि सच खबरो को केवल 7367000 लाइकस, शेयर और कमेंट मिले, ये दोनों रिसर्च रिपोर्ट बताती हैं कि सोशल मीडिया पर आने वाली फेक न्यूज क्यों इतनी असरदार साबित होती है।[1]

1 www.smbewafahai.com/fake-news-spreads-faster-than-real-news-research-shows/

शोध प्रश्न–

1. फेक न्यूज का लोगों पर प्रभाव?
2. फेक न्यूज के क्या दूरगामी परिणाम है?
3. फेक न्यूज रोकने के उपाय?

शोध प्रवधि (Research Methodology)

प्रस्तुत शोध सामग्री विश्लेषण (Content analysis) है। इस शोध के लिए सामग्री अवलोकन (Content observation), व्याख्या (Interpretation) का प्रयोग किया जायेगा जिसमें सूचनाएं एकत्रित करने लिए इन्टरनेट का प्रयोग किया गया है।

सामग्री अवलोकन (Content observation) एवं सामग्री विश्लेषण (Content analysis)

कैसे Fake News रोकते है बाकी देश

मलेशिया– मलेशिया दुनिया के उन अग्रणी देशों में से एक है, जिसने फेक न्यूज रोकने के लिए सख्त कानून (Anti Fake News Law) बनाया है। मलेशिया में ये कानून पिछले साल ही लागू किया गया है। मलेशिया में फेक न्यूज फैलाने पर 5,00,000 मलेशियन रिंग्गित (84.57 लाख रूपये) का जुर्माना या छह साल की जेल अथवा दोनों का प्रावधान है।

ऑस्ट्रेलिया– ऑस्ट्रेलिया ने इसी वर्ष फेक न्यूज रोकने के लिए एंटीफेक न्यूज लॉ बनाया है। इसके तहत फेक न्यूज फैलाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफार्म से उसके सालाना टर्न ओवर का 10 प्रतिशत जुर्माना वसूला जा सकता है। साथ ही तीन साल तक की सजा भी हो सकती है। यहाँ फेक न्यूज के अलावा अगर सोशल मीडिया कंपनी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले, हत्या, दुष्कर्म और अन्य गंभीर प्रकृति के अपराधों से संबंधित पोस्ट हटाने में असफल होती है तब भी उसके खिलाफ Anti Fake News Law के तहत कार्रवाई की जा सकती है। कानून का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति पर (1,68,000 ऑस्ट्रेलियन डालर) 80.58 लाख रूपये और किसी निगम या संगठन पर (8,40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर) 4.029 करोड़ रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

फ्रांस– अक्टूबर 2018 में इस देश ने दो एंटी फेक न्यूज कानून बनाए। फ्रांस ने ये कदम–2017 के राष्ट्रपति चुनाव में रूस के दखल का आरोप लगाने के बाद उठाए थे। ये कानून उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों को फेक न्यूज के खिलाफ कोर्ट की शरण में जाने की अनुमति देते है। इसके अलावा फ्रांस की ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी को ये अधिकार देते है कि वह फेक न्यूज फैलाने वाले किसी भी चैनल या नेटवर्क को बंद कर सकते है।

रूस– राज्य के खिलाफ या उसकी छवि खराब करने वाली कोई भी फेक न्यूज या झूठी सूचना फैलाने वाले व्यक्ति अथवा कंपनियों के खिलाफ सख्त सजा का कानून है। मार्च 2019 में ही रूस ने फेक न्यूज को रोकने के लिए कानून लागू किया है। अगर किसी पब्लिकेशन (समाचार पत्र) द्वारा फेक न्यूज फैलायी जाती है तो उस पर 15 लाख रूबल (16.57 लाख रूपये) का जुर्माना लग सकता है। देश के प्रतीक चिन्हों या अथॉरिटीज की छवि खराब करने वाली फेक न्यूज फैलाने पर 3,00,000 रूबल (3.31 लाख रूपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोबारा ऐसा करने पर जुर्माने के साथ 15 दिन की जेल भी हो सकती है।

चीन–चीन ने फेक न्यूज को रोकने के लिए पहले से ही कई सोशल मीडिया साइट और इंटरनेट सेवाओं जैसे ट्वीटर, गूगल और व्हाटसएप आदि को प्रतिबंधित कर रखा है। चीन के पास हजारों की संख्या में साइबर पुलिस कर्मी है, जो सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखते है। साइबर पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखते है। साइबर पुलिस सोशल मीडिया पर राजनीतिक रूप से संवेदनशील, फेक न्यूज और भड़काऊ पोस्ट पर नजर रखती है। इसके अलावा यहां इंटरनेट के बहुत से कंटेंट पर संसरशिप भी लागू है, जैसे 1989 में हुए चीन के थियानमेन चौक पर हुए नरसंहार से संबंधित कंटेंट।

जर्मनी– यहां फेक न्यूज रोकने के लिए जर्मनी का नेटवर्क इन्फोर्समेंट एक्ट (Germany's Network Enforcement Act) या नेट्जडीजी (NetzDG) कानून लागू है। ये कानून यहां की सभी कंपनियों और दो लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड सोशल मीडिया यूजर्स पर लागू होता है। कानून के तहत कंपनियों को कंटेंट संबंधी शिकायतों का रिव्यू करना आवश्यक है। अगर रिव्यू में कंटेट गलत या गैरकानूनी पाया जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य है। फेक न्यूज फैलाने वाले किसी व्यक्ति पर 50 लाख यूरो (38.83 करोड़ रूपये) और किसी निगम अथवा संगठन पर 5 करोड़ यूरो (388.037 करोड़ रूपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये कानून उन लोगो पर भी लागू होता है जो इंटरनेट पर नफरत भरे भाषण वायरल करते है। जर्मनी ने एक जनवरी 2018 को ये कानून लागू किया है।

सिंगापुर– जनता में भय फैलाने, माहौल खराब करने वाले या किसी भी तरह की फेक न्यूज फैलाने वाले के लिये यहां 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है। फेक न्यूज रोकने मे नाकाम रहने वाली सोशल मीडिया साइट्स पर 10 लाख सिंगापुर डॉलर (5.13 करोड़ रूपये) का जुर्माना लगाया जा सकता है। कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को उसका पोस्ट हटाने या संशोधित करने के निर्देश दिए जा सकते हैं निर्देशों का पालन न करने वाले व्यक्ति पर 20 हजार सिंगापुर डॉलर (10.26 लाख रूपये) का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही एक साल तक की जेल भी हो सकती है।

यूरोपियन यूनियन अप्रैल 2019 में यूरोपियन संघ की परिषद ने कॉपीराइट कानून में बदलाव करने और ऑनलाइन प्लेटफार्म को उसके यूजर्स द्वारा किए जा रहे पोस्ट के प्रति जिम्मेदार बनाने वाले कानून को मंजूरी प्रदान की थी। इसका सबसे ज्यादा लाभ उन लोगों की वास्तविक कृतियों को मिला, जिनका इंटरनेट पर अक्सर दुरूपयोग होता था या उन्हें चोरी कर लिया जाता था। जैसे किसी और कि फोटो या पोस्ट को अपने प्रयोग के लिए चोरी कर लेना। यूरोपियन यूनियन का ये कानूनन सोशल मीडिया (पेस्ट–कॉपी), इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों और सर्च इंजनों पर भी लागू होता है।

विश्लेषण–

सोशल मीडिया के द्वारा पूरे विश्व में लोगों के द्वारा सीधे, सम्प्रेषण से समाज की कार्य प्रणाली पर होने वाले बदलाव का अध्ययन, ऑनलाइन जर्नलिज्म और सिटीजन मीडिया नयी मोबाइल तकनीकी, एप जैसे स्काइप, व्हाटसप, यूट्यूब, मैसेंजर ने फेक न्यूज फैलाने में मुख्य भूमिका निभाई है। इस पेपर का मुख्य उद्देश्य उन चुनौतियों का पता लगाना था जो फेक न्यूज के बाद से आयी इस शोध का उद्देश्य फेक न्यूज का लोगों पर प्रभाव और दूरगामी परिणाम का अध्ययन करना था। इस शोध से ऐसा लगता है कि अन्य देशों की तरह भारत में भी सख्त कानून की आवश्यकता सोशल मीडिया पर फेक न्यूज रोकने के लिए है।

साइबर लॉ के जानकारों के अनुसार भारत में भी आईटी एक्ट है, जिसके तहत इस तरह के अन्य प्रावधान है, लेकिन ये कानून बहुत स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा ज्यादातर राज्यों की पुलिस या

अन्य जांच एजेंसियों को आईटी एक्ट के बारे में बहुत कम जानकारी है। यही वजह है कि देश में अब भी साइबर क्राइम के ज्यादातर मामले आईटी एक्ट की जगह आईपीसी के तहत दर्ज किए जाते है। पुलिस के अलावा भारत में ज्यादातर सोशल मीडिया यूजर्स को भी आईटी एक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में लोग बिना सोचे समझे किसी को भी वायरल पोस्ट को फारवर्ड कर देते है।

अतः अन्य देशो की तरह भारत में भी सख्त कानून ही फेक न्यूज के ग्राफ को कम कर सकता है।

सन्दर्भ सूची–

- Jain, Pratyasha (2011) Impact of social networking site (SNS) on the youth of India
- Mistry, Dipali R (2014) Social networking among youth and their communication and conflict resolution skills, ISSN-0972-5997-Vol.13 issue-4
- Choudhary, Dr. Indrajit Roy and Saha, Biswajeet (2015), Impact of a facebook as a Social networking sites (SNS) on youth Generations: A case study of Kolkata city: ISSN (Online): 2319-7722, ISSN(Print) 2319-7714, Vol. 4, issue 6
- www.wikipedia.com
- www.smbewafahai.com/fake-news-spreads-faster-than-real-news-research-shows
- www.bhaskarhindi.com/news/pandit-jawahrlal-nehru-picture-in-pm-narendramodi-motherhouse-66319
- Kulandairaj, Dr.A. Jesu "Impact of social media on the lifestyle of youth" specialissue (nov-dec-2017) ISSN-2320-8163 https://doi.org/10.1177/0961000618764258
- Jain, S, Sharma, V, Kaushal, R (2016) Towards automated real-time detection of misinformation on Twitter. In: 2016 International conference on advances in computing, communications and informatics (ICACCI), Jaipur, India, 21–24 September. IEEE. DOI: 10.1109/ICACCI.2016.773234
- Jin, F, Wang, W, Zhao, L, et al. (2014) Misinformation propagation in the age of Twitter. Computer 47(12): 90–94.

Expression

An International Journal of Social Sciences

(A Blind Peer Reviewed Refereed Indexed Half Yearly Journal)

Subscription Form

I/ We wish to subscribe to "EXPRESSION-An International Journal of social sciences" for .... Year. A Bank Demand Draft Bearing No. .... Dated.. for Rs................. drawn in favor of ...., towards subscription is enclosed.

Name: ....

Designation: ....

Qualification: ....

Subscription Type: Individual ( ) Institutional ( ) Corporate ( )

Delivery Address:

....

Contact No...

Email..

Annual Subscription Rates

Subscriber	Cost (Rs.)	Overseas
Individual	Rs. 1000.00	$ 60.00
Institutional	Rs. 2000.00	$ 100.00
Corporate	Rs. 3000.00	$ 120.00
Life Time subscription	Rs. 2500.00	$ 150.00

The subscription and all related correspondence should be addressed:

Chief Editor

"EXPRESSION-An International Journal for Social Sciences"

Modern College of Professional Studies, 431, Anand Industrial Estate, Mohan Nagar, Ghaziabad, Pin Code: 201007

MODERN COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES GZB

Website : www.modemcollege.org, E-mail : journal.expression@gmail.com